खण्ड-196, अंक-2
बुधवार, 15 श्रावण, शक संवत् 1880
(6 अगस्त, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 196 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	९३–९७
प्रश्नोत्तर	९७–११६
१० मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न ३२ से संबंधित एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	११६
३० जुलाई, १९५८ के तारांकित प्रश्न ३७ से संबंधित अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर का शोधन	११६-११७
गृह मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना	११७-११८
तहसील पडरौना के सामने पड़े ३०० अकाल-ग्रस्त लोगों के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	११८
पंखों की व्यवस्था के सम्बन्ध में शिकायत	११८–११९
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ (संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया)	११९–१४०
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ (विचारोपरान्त पारित)	१४१–१५९
उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) विधेयक, १९५७ (विचार जारी)	१५९–१६१
नत्थियां	१६१–१६६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ६ अगस्त, १९५८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्दखेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५६

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्त राम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिन्हा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह, चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेंद्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती

गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्द सिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायण दत्त सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद श्री
जगदीश शरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगुलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेंद्रसिंह भंडारी, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर, प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभान प्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री

बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन,खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेंद्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेंद्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुबीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रकिशोरी, श्रीमती
राजेंद्रकुमारी, श्रीमती
राजेंद्रसिंह, श्री
राजेंद्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री

रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
सुरेंद्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेंद्रसिंह, राजकुमार
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री

सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्र सिंह, राजकुमार श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सुरतचन्द्र रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ६ अगस्त, १९५८ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

वर्क्स कौंसिल तथा परमानेंट कन्सीलिएशन बोर्ड की स्थापना के संबंध में विज्ञप्तियां

**१--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार ने १५ जुलाई, १९५८ से राजकीय कारखानों तथा अन्य राजकीय उद्यमों, कोआपरेटिव फेडरेशन आदि के कर्मचारियों के हेतु कोई Works Council बनाने का निर्णय किया है? यदि हां, तो क्या सरकार तत्संबंधी आदेश सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करेगी?

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)--जी हां। संबंधित विज्ञप्तियां† संलग्न हैं।

**२--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार ने राजकीय कर्मचारियों के हेतु किसी Permanent Conciliation Board की स्थापना भी की है? यदि हां, तो कब से? क्या इस संबंध में जारी किये गये आदेश भी सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी हां। Permanent Conciliation Board की स्थापना संबंधी विज्ञप्ति भी १५ जुलाई, १९५८ को प्रकाशित कर दी गई है। विज्ञप्ति की प्रतिलिपि प्रस्तुत हैं।

**३--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या उक्त Board में जो मामले तय नहीं होंगे उन्हें Labour Courts या Tribunals में भेजे जाने की भी व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो क्या?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी उन राजकीय प्रतिष्ठानों की लिस्ट पढ़ कर सुनायेंगे कि जिन पर यह जी० ओ० लागू होगा और क्या उनमें रोडवेज आदि प्रतिष्ठान भी शामिल हैं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मेरे पास इस वक्त लिस्ट तो नहीं है, लेकिन १०० से अधिक कर्मचारी जिन प्रतिष्ठानों में काम करते हैं उन सब जगहों में यह सरकारी आज्ञा लगेगी।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो मामले बोर्ड में तय नहीं होंगे और जिन पर झगड़ों को तय करने के लिये स्थायी समझौता बोर्ड के लिय बनाये गये नियम ५ के उपनियम ३ के अन्तर्गत जो रिपोर्ट भेजी जायगी उन झगड़ों को तय करने के लिये क्या कार्यवाही होगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---सरकार यह कोशिश करेगी और यह हमारा प्रयास है कि जहां तक संभव हो सब मामलों का कांसीलियेशन बोर्ड में ही समझौता हो जाय । यदि दुर्भाग्य-वश कोई परिस्थिति ऐसी आ जाय कि वहां समझौता न हो सके तो ऐसे मामलों को सरकार का ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और श्रम विभाग के लोग बैठ कर कोशिश करेंगे कि उनका हल निकल जाय ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या जो विज्ञप्तियां जारी हुई हैं उनमें रोडवेज और कोआपरेटिव फेडरेशन, जैसा कि प्रश्न में जिक्र है, में भी वर्क्स कौंसिल बनाने का विचार है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी हां । रोडवेज को उन जगहों के लिये जहां १०० से अधिक कर्मचारी काम करते हैं और उक्त फेडरेशन में भी जहां कहीं ऐसी स्थिति आती है, दोनों पर यह लागू है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो नियम के अनुसार लागू हुआ है कि न तो वर्क्स कौंसिल और न कांसिलियेशन बोर्ड मजदूरी, बोनस, लाभांश कोष, निवृत्ति वेतन और उपदान आदि से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श कर सकेंगे तो इस संबंध में जो झगड़े होंगे उनको कौन तय करेगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---वर्क्स कौंसिल का जो कार्यक्षेत्र है उसको ट्रेड यूनियन के कार्यक्षेत्र से जानबूझ कर मिलाया नहीं गया है, क्योंकि दुनिया भर के श्रमिकों के आन्दोलन की यह मांग रही है और इसको हमारी इंडियन लेबर कांफ्रेंस ने भी स्वीकार किया है कि वर्क्स कौंसिल और ट्रेड यूनियन के कार्यक्षेत्र यदि अलग अलग नहीं रहेंगे तो उसकी सफलता संभव नहीं है । अस्तु इन दोनों के कार्य अलग अलग हैं । ट्रेड यूनियन्स के लिये कांसीलियेशन बोर्ड और दूसरे रास्ते खुले हैं कि जहां वे अपनी मांगों को सीधा-सीधा उठा सकती हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन वर्क्स कौंसिल के कांस्टीट्यूशन का आधार क्या होगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---विज्ञप्ति में स्पष्ट है, लेकिन संक्षिप्त में मैं बता दूं कि जिन संस्थाओं में ५०० तक मजदूर हैं वहां ५ मजदूरों के और ५ मिल-मालिकों के प्रतिनिधि बैठकर वर्क्स कौंसिल बनावेंगे और उसके ऊपर की श्रमिक संख्या पर आनुपातिक अंश में होंगे पर १० से अधिक संख्या एक दल की न होगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जिस सरकारी प्रतिष्ठान में १०० से कम मजदूर होंगे वहां विवादों के सुलझाने का क्या तरीका होगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---वर्तमान तरीका लागू रहेगा ?

प्रान्तीय रक्षक दल से होम गार्ड्स बनाने पर विचार

**४---श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)---सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या प्रांतीय रक्षक दल के विघटन तथा भविष्य के बारे में कोई फैसला किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपा कर उस फैसले का संक्षिप्त विवरण सदन को मेज पर रखेगी ?

नियोजन उप-मंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)--जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

**५--श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव--क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि सरकार इस विभाग का विलयन निकट भविष्य में पुलिस विभाग में करने पर विचार कर रही है?

श्री सुल्तान आलम खां--जी नहीं।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गत सत्र में माननीय सदन में बतलाया गया था कि कुछ जिलों में प्रांतीय रक्षक दल की पोस्टों को पुलिस के पैरेलल पोस्ट बनाकर एक्सपेरीमेंट्स मेजर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसमें कितनी सफलता मिली है?

श्री सुल्तान आलम खां--१९५७-५८ में एक प्रांतीय रक्षक दल विंग के नाम से दूसरी संस्था बनाई गई है। जो समाज कल्याण और सुधार के बिल यहां पास होंगे वह उनको एनफोर्स करेगी। ये संस्थाएं ३ शहरों में, लखनऊ, आगरा और वाराणसी में, काम कर रही हैं। यह भी सरकार के जेरेगौर है कि यह एक बिल सदन के सामने लावे जिसमें उन्हें होम गार्ड्स कहा जाय। लेकिन वह किस सूरत में होगा, अभी निश्चित तौर पर तय नहीं हुआ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार का ऐसा भी विचार है कि प्रांतीय रक्षक दल का नाम बदला जाय और उसके आर्गेनाइजरों या अन्य कार्यकर्त्ताओं को क्रमशः योग्यतानुसार ग्राम सेवक, ए० डी० ओ० या बी०डी०ओ० बनाया जाय?

श्री सुल्तान आलम खां--ऐसा कोई सवाल नहीं है कि उसका नाम बदला जाय। मैंने कहा कि एक दूसरी संस्था, जो प्रांतीय रक्षक दल का विंग है, बनाई गई है और पुलिस के साथ उसका इन्तजाम इन्स्पेक्टर जनरल आफ पुलिस करता है। प्रांतीय रक्षक दल से कुछ रुपया अलहदा कर दिया गया है और उससे उसका खर्चा पूरा होता है। उसके सिलसिले में यह ख्याल है कि एक बिल सदन में लाया जाय जिसमें इस विंग को होम गार्ड्स कहा जाय और यह एक अलहदा संस्था कायम की जाय।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--क्या गत वर्ष सन् १९५७ में कुछ रक्षकों को ट्रेनिंग लखनऊ में दी गई थी?

श्री सुल्तान आलम खां--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गेंदा सिंह--इस समय सरकार का इरादा प्रांतीय रक्षक दल की वर्तमान स्थिति में न किसी परिवर्तन का है और न उनको रिट्रेन्च करने का है, क्या यह सही है?

श्री सुल्तान आलम खां--सन् १९५७-५८ में प्रांतीय रक्षक दल में कुछ रिडक्शन किया गया और उसके ए०डी०ओज० को हटा दिया गया। अब प्रांतीय रक्षकदल पर १५, ४६,००० रुपया खर्च होता है और ४,६०,००० रुपया प्रांतीय रक्षक दल विंग, जो पुलिस का बनाया गया है, उस पर खर्च होता है। ये दो संस्थाएं चल रही हैं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--जो विधेयक आने वाला है क्या वह इसी सेशन में आ जायगा?

श्री सुल्तान आलम खां--मैं इसके लिये निश्चित वायदा नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश यही है कि वह जल्द से जल्द यहां आ जावें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--शुरू में जिस कार्य के लिये प्रांतीय रक्षक दल बनाया गया था, वह अब पूरा करने की जरूरत नहीं है या पूरा हो चुका है?

श्री सुल्तान आलम खां--प्रांतीय रक्षक दल जिस मकसद के लिये बनाया गया था उसके मुताबिक काम करता रहा। उस दल से बदले हुये हालात में जरूरत के मुताबिक और भी काम लिये गये। जो काम अब वह कर रहा है वह भी आपके सामने है। अगर जरूरत होगी तो और भी काम कराने पर विचार किया जायगा।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव--इस दल के संगठन के बारे में अंतिम निश्चय सरकार कब तक कर लेगी।

श्री सुल्तान आलम खां--कोशिश यही कि जल्दी हो जाय।

तारांकित प्रश्न

ग्राम सभाओं द्वारा मालगुजारी की वसूली

*१--श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में किन-किन जिलों में अलग-अलग कितनी ग्राम सभाएं मालगुजारी की वसूली कर रही हैं?

वित्त मंत्री (श्री चरण सिंह)--आवश्यक सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १६२ पर)

*२--श्री अमरनाथ (अनुपस्थित)--क्या वित्त मंत्री बनाने की कृपा करेंगे कि बाकी ग्राम सभाओं को भी मालगुजारी की वसूली का कार्य देने का विचार वे कर रहे हैं?

श्री चरण सिंह--जी हां।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन जिलों में यह मालगुजारी वसूली का कार्य चल रहा है उन जिलों में लगान वसूली के अनुभव को देखते हुये क्या सरकार ग्राम सभाओं द्वारा मालगुजारी वसूली योजना को प्रसारित कर रही है?

श्री चरण सिंह--सरकार की तो इच्छा है कि गांव समाजों के द्वारा मालगुजारी वसूली हो जाया करे, लेकिन अब तक का जो तजुर्बा है वह बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो अब तक तजुर्बा है उसके अनुसार ग्राम सभाओं द्वारा मालगुजारी वसूल करने में क्या दिक्कतें प्रतीत हो रही हैं?

श्री चरण सिंह--पहली दिक्कत तो यह है जिसकी तरफ माननीय मदन पांडेय जी ने दो बार संकेत करने की कोशिश की कि अगर कोई आदमी मालगुजारी न दे तो उसके खिलाफ कोअर्सिव प्रासेस इस्तेमाल करना पड़ेगा। ग्राम सभापति तहसील के स्टाफ से कहेगा। बहुत कड़ुआ काम है। इसलिये कोई आदमी तैयार नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जो मालगुजारी का रुपया इकट्ठा होगा उसकी जिम्मेदारी क्या होगी? अगर रुपया खो जाय या चोर ले जाय और वह यह साबित न कर सके ग्राम सभापति, तो उसकी जिम्मेदारी है। ग्राम सभापति को कोई इंटरेस्ट नहीं। पब्लिक इंटरेस्ट है। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट के लिये इतना खतरा उठाने के बाद बहुत कम लोग तैयार होंगे कि अपनी जायदाद को फंसा दें। इसके अलावा यह भी सवाल है कि उनकी जायदाद से वसूल हो जायगा या नहीं। इसलिये दिक्कत है।

नोट--तारांकित प्रश्न १-३ श्री मदन पांडेय ने पूछे।

गोरखपुर जिले से बुढौती भत्ते के लिये प्रार्थना-पत्र

*३—श्री अमरनाथ (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले की प्रत्येक तहसील में आरम्भ से अब तक कितने बुढ़ौती भत्ते के लिये प्रार्थना-पत्र आये, उनमें कितने स्वीकृत हुये, तथा कितने विचाराधीन हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—गोरखपुर जिले की तहसीलवार वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १६३ पर)

श्री मदन पांडेय—चूंकि सम्बन्धित सदस्य उपस्थित नहीं हैं उसलिए क्या माननीय मंत्री जी इसका संक्षिप्त विवरण देने की कृपा करेंगे ?

(श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ने आगे पृष्ठ १६३ पर मुद्रित नत्थी 'ख' में दी हुई तालिका पढ़ कर सुनाई)

मूक-बधिर स्कूल, सहारनपुर के व्यय की जांच न होने पर आपत्ति

*४—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सहारनपुर के मूक-बधिर स्कूल को सरकार ने कितनी ग्रान्ट आवर्तक तथा अनावर्तक दी है ?

सामाजिक कल्याण उपमंत्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)—सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा मूक-बधिर स्कूल, सहारनपुर को १९५६-५७ से १,५०० रु० का आवर्तक अनुदान दिया जा रहा है। उक्त वर्ष में संस्था को १२,५०० रु० और १९५७-५८ में ५,५०० रु० के अनावर्त्तक अनुदान भी दिये गये।

*५—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या उस स्कूल के हिसाब-किताब की जांच सरकार अपने आडीटरों द्वारा कराती है ? यदि हां, तो क्या आडीटर की पिछली रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की सरकार कृपा करेगी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—सरकार द्वारा ऐसी संस्थाओं के हिसाब-किताब का कोई आडिट नहीं किया जाता।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस बात की देख-रेख वह कैसे करती है कि जिन संस्थाओं को सरकार की ओर से ग्रान्ट मिलती है, चाहे वह रैकरिंग हो या नान-रैकरिंग हो, उसे वह ठीक से खर्च करे ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—समय समय पर विभाग के लोग जा कर उन संस्थाओं का निरीक्षण करते हैं और अगर आवश्यकता हो तो उनके हिसाब की भी देख-रेख की जाती है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—तो क्या इस संस्था की देख-रेख करने के लिये विभाग के लोग गये थे ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—अभी पिछले महीने में ऐसा आदेश दिया गया था कि विभाग के लोग जाकर उसके हिसाब-किताब को और उसकी व्यवस्था को उचित ढंग से देखें।

श्री उग्रसेन—क्या सरकार के पास कोई ऐसी सूचना अभी आई थी कि इस स्कूल के हिसाब-किताब में कोई गड़बड़ी हुई और उसकी जांच की आवश्यकता है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जी नहीं, सरकार को कोई ऐसी लिखित सूचना नहीं है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—जो रिपोर्ट आई है उसका क्या आशय है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई। उसकी देखभाल हो रही है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या अनुदान देने के पहले, जिस समय इस संस्था का प्रार्थना-पत्र आया था, सरकार द्वारा यह जांच करा ली गई थी कि यह संस्था वास्तव में कैसी है और कैसा कार्य कर रही है ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)—मैं स्वयं गया था और मैंने देखा था कि वहां काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। एक बड़ा भवन भी उन्होंने बना लिया है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस संस्था का संचालन किनके द्वारा होता है ?

आचार्य जुगल किशोर—एक कमेटी नियुक्त की गई है जिसके सभापति वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं और जिसमें वहां के प्रमुख कार्यकर्तागण हैं।

कानपुर जिले के अन्तर्गत ग्राम कुर्सी किसनदत्त निवादा में कथित अग्निकाण्ड

*६—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या कानपुर जिले के अन्तर्गत ग्राम कुर्सी किसनदत्त निवादा में २४ अप्रैल, सन् १९५८ में आग लगने की कोई सूचना उसको मिली ? यदि हां, तो क्या उस अग्निकाण्ड से हुई धन और जन की क्षति का पूर्ण विवरण सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह—कानपुर जिले के अन्तर्गत ग्राम कुर्सी किसनदत्त निवादा में २४ अप्रैल, सन् १९५८ में कोई अग्निकाण्ड नहीं हुआ। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*७—९—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—[हटा दिये गये।]

बाराबंकी जिले की रामसनेही घाट तहसील में चकबन्दी का कार्य

*१०—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बाराबंकी रामसनेही घाट में जो चकबन्दी हो रही है वह कितने दिनों में समाप्त हो जावेगी ?

श्री चरण सिंह—आशा की जाती है कि तहसील रामसनेही घाट में चकबन्दी का कार्य १९५९ ई० के अन्त तक समाप्त हो जायेगा।

तराई, जिला नैनीताल में राजनीतिक पीड़ितों की खाली जमीन

*११—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तराई, जिला नैनीताल में राजनैतिक पीड़ितों को खेती करने के लिए जो भूमि दी गई है उसमें कितने राजनीतिक पीड़ित ऐसे हैं जो खेती नहीं करते हैं और उनकी भूमि खाली पड़ी हुई है ?

श्री चरण सिंह—तराई, जिला नैनीताल में जिन राजनैतिक पीड़ितों को खेती करने के लिये भूमि दी गई है उनमें से केवल ७३ राजनैतिक पीड़ित ऐसे हैं जो खेती नहीं करते हैं और उनकी भूमि खाली पड़ी है।

*१२—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तराई, जिला नैनीताल में सन् १९५२ से १९५७ तक कितने राजनैतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्रों पर सरकार ने विचार कर के उन पर वाजिब सरकारी मतालबों को माफ किया है ?

श्री चरणसिंह—तराई जिला नैनीताल में सन् १९५२ से १९५७ तक किसी राजनैतिक पीड़ित का इस प्रकार का प्रार्थना-पत्र नहीं आया। अतः किसी राजनैतिक पीड़ित को वाजिब सरकारी मुतालबे से बरी नहीं किया गया।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो राजनीतिक पीड़ित खेती नहीं करते हैं उनकी भूमि कब से पड़ी हुई है, उनकी भूमि को क्या सरकार भूमि-हीनों को देने पर विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह---इन ७३ आदमियों की भूमि कब से खाली पड़ी हुई है, यह बताना संभव नहीं है, ऐसी इत्तला इकट्ठा नहीं की गयी है। लेकिन कार्यवाही यह हो रही है कि उनको नोटिस दी गई है कि यह ज़मीन वापस क्यों न ले ली जाय। यह ज़मीन जो वितरित की जायगी उसमें पहले उन लोगों को मौका दिया जायगा जो स्वयं राजनीतिक पीड़ित हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि ये राजनीतिक पीड़ित इसलिये जमीन नहीं जोत पाये कि उनको सरकारी ट्रैक्टर और सरकारी तकावी की सहायता समय पर नहीं मिली या उस जगह तक रास्ता नहीं बना ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, मेरे मित्र की इत्तला ग़लत है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जिनकी जमीन पड़ी हुई है, उनको ट्रैक्टर खरीदने के लिये सरकार की ओर से मदद दी गयी या नहीं ?

श्री चरणसिंह---हर आदमी को ट्रैक्टर खरीदने की ज़रूरत पेश नहीं आती। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है और खरीद सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक पीड़ितों को इतनी जमीन नहीं दी गई कि ट्रैक्टर खरीदने की आवश्यकता हो, इसलिये यह सवाल ही नहीं उठता।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार यह बतायेगी कि ७३ आदमियों की जमीन खाली पड़ी है तो ऐसे कितने आदमी हैं जो अपनी जमीन जोत रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---जो आंकड़े उत्तर में बताये गये हैं, उनमें से ७३ को घटा दीजिये, बाकी जोत रहे हैं।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या सरकार बतायेगी कि बहुत से राजनीतिक पीड़ितों ने जिनकी जमीन खाली पड़ी है और जिनमें बहुत से ऐसे हैं जो खेती नहीं करते और लोगों ने सोसाइटी बना कर उनके नाम से धन ले लिया तथा उस को खर्च कर डाला तो सरकार बतायेगी कि क्या ऐसी बात है ? क्या यह रुपया उनसे वसूल किया जायगा और राजनीतिक पीड़ितों को उससे मुक्त किया जायगा ?

श्री चरणसिंह---जिन लोगों की भूमि खाली पड़ी हुई है वे खेती करते हैं या नहीं, इसके बारे में यहां तो वे खेती नहीं करते क्योंकि उनकी ज़मीन यहां तो खाली पड़ी ही हुई है। अब रही यह बात कि उनके बाप दादे खेती करते थे या नहीं करते थे या वे अपने जिले में खेती करते हैं या नहीं करते, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

जहां तक सवाल के दूसरे भाग का संबंध है कि सोसाइटी ने जिन लोगों की तरफ से कर्ज ले लिया है वह कर्जा उनसे वसूल होगा या नहीं तो सोसाइटी ने तो मेम्बरों की ही तरफ से कर्जा लिया है। इसकी जिम्मेदारी मेम्बरों की ही है, वह उन्हें देना होगा।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला सहारनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो खाली पड़ी हुई जमीन का नोटिस दिया है, वह कब दिया है और कितने दिन का दिया है ?

श्री चरणसिंह---मैं इस वक्त यह नहीं बतला सकता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२ से सन् ५७ के बीच में बिना प्रार्थना-पत्र के कितने राजनीतिक पीड़ितों का मतालबा माफ किया गया है और क्या-क्या ?

श्री चरणसिंह---मेरे इल्म में एक का नहीं किया गया है।

महिला संस्था तथा बाल संस्था अधिनियम, १९५६ के लागू होने में विलम्ब

*१३---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुछ समय हुआ जब प्रदेश के अनाथालयों की जांच करने के लिये उसने कोई कमेटी नियुक्त की थी ? यदि हां, तो कब और उसे अपनी रिपोर्ट दिये कितने दिन हो गये हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--- जी हां, उस कमेटी की नियुक्ति १९४८ में हुई थी तथा उसने अपनी रिपोर्ट १९५१ में दी थी।

*१४---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने अनाथालयों के सम्बन्ध में कोई नियम बनाये हैं ? यदि हां, तो कब और वे कार्यान्वित हुए या नहीं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--- एक ऐक्ट बनाया गया है जिसका नाम महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, १९५६ है। इस अधिनियम के अन्तर्गत रूल्स बन रहे हैं, जिनके बनने पर ही अधिनियम लागू हो सकेगा।

श्री लक्ष्मण राव कदम---कमेटी की नियुक्ति के बाद १० वर्ष के लम्बे अर्से का खयाल करते हुये क्या सरकार उक्त अधिनियम को इस वर्ष में लागू करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---इस वक्त यह रूल बनने के बाद स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को वितरित किये गये हैं, उनकी राय आ जाने के बाद शीघ्र ही ये रूल बनकर तैयार हो जायेंगे और हमारे प्रदेश में लागू हो जायेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीया मंत्राणी जी बतलाने की कृपा करेंगी कि यह अधिनियम बन जाने के बाद भी ये नियम बनने में इतनी देरी क्यों हुई ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---देरी तो नहीं हुई। सारे सदस्यों के उसके ऊपर जो विचार हैं, उनके आने में कुछ देरी जरूर हुई। अब तो हमारे रूल्स तैयार हैं और बहुत शीघ्र लागू होने जा रहे हैं।

बन्दियों के लिए जेल में मनोरंजन की व्यवस्था

*१५---श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने जेल के बन्दियों के मनोरंजन के लिये इस समय तक जेलों में क्या व्यवस्था की है ?

सामाजिक सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)---कैदियों के मनोरंजन के लिये जेलों में खेल-कूद, गाने-बजाने व ड्रामा इत्यादि करने की सहूलियत दी जाती है, पढ़ने के लिये किताबें व समाचार-पत्र दिये जाते हैं तथा अधिकांश जेलों में रेडियो सेट का भी प्रबन्ध है।

*१६—श्री गनेशी लाल चौधरी (अनुपस्थित)—क्या सरकार अब तक के मनोरंजन की व्यवस्था के अलावा इस सम्बन्ध में किसी नवीन योजना पर विचार कर रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं, कोई नयी योजना अभी सामने नहीं है।

बाराबंकी जिलान्तर्गत हैदरगढ़ तहसील में नायब तहसीलदार के विचाराधीन दुरुस्ती कागजात व दाखिल खारिज के मुकदमे

*१७—श्री जंगबहादुर वर्मा (अनुपस्थित)— क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत तहसील हैदरगढ़ में नायब तहसीलदार के इजलास में कागजात दुरुस्ती व दाखिल खारिज के कुल कितने मुकदमे विचाराधीन हैं और कितने दिनों से ?

श्री चरणसिंह—दुरुस्ती कागजात के मुकदमों को करने का अख्तियार नायब तहसीलदारों को नहीं है इसलिये ऐसे मुकदमों के विचाराधीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता और न ही कोई विचाराधीन है। दाखिल खारिज के ४६१ मुकदमें १४ जुलाई, १९५८ तक विचाराधीन थे। इनमें सब से पुराना ९ मई, १९५८ का (नं० ३२६५) है।

*१८—श्री जंगबहादुर वर्मा (अनुपस्थित)—[२० अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*१९-२०—श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)— [हटा दिये गये।]

उन्नाव जिले की पुरवा तहसील में दुरुस्ती कागजात व दाखिल खारिज के मुकदमे

*२१—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला उन्नाव की तहसील पुरवा में कागजात-दुरुस्ती एवं दाखिल खारिज सम्बन्धी कितने मामले गत २ वर्षों से अधिक समय से विचाराधीन हैं ?

श्री चरणसिंह—एक भी नहीं।

*२२—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन मामलों के फैसलों में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

श्री चरणसिंह—प्रश्न नहीं उठता।

श्री भगवतीसिंह विशारद—माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बीच में कागज दुरुस्ती के वहां पर कोई मामले दाखिल ही नहीं हुए ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया कि एक भी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि वहां पर कोई मामला इसलिये विचाराधीन नहीं है, क्योंकि वहां पर सब कागज दुरुस्त हैं ?

श्री अध्यक्ष—'दो वर्षों से अधिक से विचाराधीन हैं, यह सवाल पूछा गया था। अब यह हो सकता है कि एक साल से कम वाले हों। इस प्रकार गलत दिशा में सवाल पूछने से कोई फायदा नहीं होता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि कोई केसेज वहां कागज दाखिल सम्बन्धी विचाराधीन हैं, यदि हां, तो कब से ?

श्री अध्यक्ष—यह नया प्रश्न है, यदि माननीय मन्त्री के पास इत्तिला हो तो दे दें।

श्री चरण सिंह—सवाल यह था कि दो वर्ष से अधिक समय से कितने विचाराधीन हैं, मैंने कहा एक भी नहीं। अब यह इत्तिला मैं क्यों मंगाता।

सूत पर से बिक्री-कर हटाने के लिये कानपुर सूत कमेटी का स्मृति-पत्र

*२३—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास कानपुर सूत कमेटी, कानपुर का कोई स्मृति-पत्र आया है जिसमें उन्होंने cotton yarn (सूत) पर से सेल्स टैक्स हटाने की मांग की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री चरणसिंह—जी हां, विगत जुलाई मास में कानपुर सूत कमेटी, कानपुर का इस प्रकार का एक अभिवेदन प्राप्त हुआ था । सहायता के रूप में उत्तर प्रदेश से बाहर स्थित स्थानों को निर्यात किये जाने वाले सूत को १ जुलाई, १९५७ से केन्द्रीय बिक्रीकर से मुक्त कर दिया गया था । कोई अन्य सहायता देना आवश्यक नहीं समझा गया । कानपुर सूत कमेटी को तदनुसार सूचित कर दिया गया था ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय वित्त मन्त्री यह बतलायेंगे कि कानपुर सूत कमेटी ने अपना जो आवेदन-पत्र दिया था या मेमोरेंडम भेजा था उसमें उसकी मुख्य-मुख्य क्या मांगें थीं ?

श्री चरणसिंह—इस वक्त तो उसको मैंने देखा नहीं है । क्या उसकी मांगें थीं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि वे तो कर से बिलकुल मुक्ति चाहते थे । जो सूत यहां से बाहर जाता था उस पर से तो केन्द्रीय बिक्रीकर १ जुलाई, १९५७ को मुक्त कर दिया गया था । अब अपने यहां का सेल्स टैक्स रहा, इससे भी गालिबन वे बिलकुल मुक्ति चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने यह तय किया है कि बजाय ६ पाई फी रुपया देने के २ परसेंट दिया जाय, पहले का दो तिहाई ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मन्त्री को जानकारी है कि दूसरे प्रदेशों में सूत के ऊपर या तो सेल्स टैक्स नहीं है या नहीं के बराबर है, तो दूसरे प्रदेशों की तरह यहां भी सूत को सेल्स टैक्स से वे मुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं, यह तो मुझे नहीं मालूम है कि दूसरे सूबों में कितना टैक्स है, लेकिन हमने टैक्स को २ परसेंट कर दिया है इससे ज्यादा नहीं घटा सकते ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—सूत के ऊपर सेल्स टैक्स हटाने से हैंडलूम इंडस्ट्री पर बड़ा भारी जोर पड़ रहा है उसको दूर करने के लिये क्या माननीय मन्त्री पुनः सेल्स टैक्स के हटाने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—इस सम्बन्ध में तो जवाब दिया जा चुका है ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मन्त्री केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में कोई लिखा पढ़ी कर रहे हैं कि कानपुर की मिलों को भी सूत उसी भाव पर मिल सके जिस भाव पर बम्बई और अहमदाबाद की मिलों को मिलता है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, उन लोगों का रेप्रिजेन्टेशन यह था कि एक्सपोर्ट पर टैक्स न लिया जाय । सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी सिफारिश पर वह टैक्स खत्म कर दिया । जहां तक प्रदेश के अन्दर के सेल्स टैक्स का सम्बन्ध है उसे ६ पाई फी रुपया घटा कर २ परसेंट कर दिया गया है ।

*२४-२५—श्री नारायणदत्त तिवारी—[४ अगस्त, १९५८ को प्रश्न संख्या ८१-८२ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

काशीपुर जिला नैनीताल के नागर क्षेत्र में बेदखली की शिकायतें

*२६—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि काशीपुर, जिला नैनीताल के शहरी क्षेत्र में नागर क्षेत्र जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब तक लागू होगा ?

श्री चरणसिंह—इस क्षेत्र के लिये पहले उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ कुछ अपवादों अथवा परिष्कारों के साथ प्रचलित किया जायगा। इसके बाद जैसे ही वहां कृषि क्षेत्र का परिच्छेद हो जायगा, वैसे ही जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि काशीपुर क्षेत्र, जिला नैनीताल के लिये यह अधिनियम परिष्कृत अपवादों सहित कब तक प्रचलित हो जायगा ?

श्री चरणसिंह—यह अभी ठीक नहीं कहा जा सकता। दर असल बात यह है कि मैंने इसमें कोई कार्यवाही की ही नहीं थी क्योंकि कुमायूं डिवीजन में यह ऐक्ट नाफिज हो सकता था कुछ माडिफिकेशंस के साथ और कुमायूं डिवीजन में गालिबन केवल काशीपुर का कस्बा ही एक ऐसा है जहां यह ऐक्ट नाफिज किया जा सकता है। अब उसके माडिफिकेशन पर विचार कर रहे हैं। मैं निश्चित समय नहीं बता सकता।

श्री नाराणदत्त तिवारी—क्या मन्त्री जी को सूचना है कि इस अधिनियम के लागू न किये जाने के कारण इस समय काशीपुर शहर के अन्दर जो जमींदार हैं वे सैकड़ों आदमियों को बेदखल कर रहे हैं ? वे लोग उनको बेदखल न करने पायें इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री चरणसिंह—जी, पहले से नोटिफिकेशन्स जारी हैं जिनके मातहत बेदखल नहीं कर सकते हैं। मैं जानना चाहूंगा अगर १०० के बजाय ५० मिसाल भी मेरे साथी दे दें कि बेदखल हुए हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या राजस्व मन्त्री जी मेरे इस प्रश्न को नोटिस मानकर जांच करायेंगे कि काशीपुर जिला नैनीताल में इस प्रकार की कोई बेदखली हुई या नहीं ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। बात बिलकुल गलत है, इसलिये मैं तहकीकात कराना जरूरी नहीं समझता। सिवाय ट्रेसपासर्स के और किसी को बेदखल नहीं कर सकते।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि शहर में जिन लोगों की बेदखली इस समय हो रही है वे ट्रेसपासर्स नहीं हैं बल्कि एक जमाने से शहर की जमीन पर काबिज हैं ?

श्री चरणसिंह—अगर अपने आपको वे काश्तकार साबित कर देंगे तो बेदखल नहीं होंगे अर्बन एरियाज में। जो ट्रेसपासर्स हैं उनकी बेदखली हो सकती है।

जेलों में बन्दियों से दैनिक साक्षात्कार के लिये आदेश

*२७—श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)—क्या सामाजिक सुरक्षा राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि राज्य की प्रत्येक जेल में कैदियों का daily interview का system होने जा रहा है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। राज्य की प्रत्येक जेल में इस प्रथा को १ जनवरी, १९५८ से लागू करने का आदेश दिया जा चुका है।

*२८—श्री गौरीशंकरराय (जिला बलिया)—[२० अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*२९—श्री गौरीशंकर राय—[हटा दिया गया ।]

*३०—श्री गौरीशंकर राय—[२० अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में लगान न अदा करने वालों की गिरफ्तारी

*३१—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज में मार्च सन् १९५७ से अब तक कितने व्यक्तियों को लगान वसूली की बाबत गिरफ्तार करके हवालात में रखा गया ?

श्री चरणसिंह—जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज में मार्च सन् १९५७ से जुलाई २३, १९५८ तक कुल चार व्यक्तियों को मालगुजारी वसूली के सम्बन्ध में गिरफ्तार करके हवालात में रक्खा गया ।

कुंवर श्रीपालसिंह—मंत्री जी बतायेंगे कि इन लोगों को कितने दिनों तक हवालात में रक्खा गया ?

श्री चरणसिंह—१५ दिन से ज्यादा तो रक्खा ही नहीं जा सकता । इससे कम रखे गये होंगे ।

कुंवर श्रीपाल सिंह—क्या मन्त्री जी बतालायेंगे कि इन लोगों को हवालात में कितनी धनराशि बाकी रहने की वजह से रखा गया था ?

श्री चरण सिंह—यह मैंने तहकीकात नहीं की, क्योंकि अगर एक रुपया भी उन्होंने नहीं दिया है तो भी रखे जा सकते हैं ।

गोरखपुर जिले के तिलपुर परगने में अग्नि पीड़ितों को सहायता

*३२—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के परगना तिलपुर में इस वर्ष कितने गांवों में आग लगी तथा उसमें कितना नुकसान हुआ ?

श्री चरण सिंह—गोरखपुर जिले के परगना तिलपुर में इस वर्ष ४१ गावों में आग लगी तथा उसमें १ मनुष्य, १५७ मवेशियों और करीबन १,३२,२७२ रुपये मूल्य की हानि हुई ।

*३३—श्री मदन पांडेय—उपरोक्त अग्नि पीड़ित गांवों को सरकार की ओर से क्या सहायता दी गई ?

श्री चरणसिंह—उपरोक्त अग्निपीड़ित गांवों को सरकार की ओर से ४८१ रुपये बतौर अहेतुक सहायता के रूप में तथा घर बनाने के लिये मुफ्त लकड़ी और खर दिया गया ।

*३४—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार इस प्रकार के अग्निकांडों से बचाव के लिये उक्त क्षेत्र के किसी केन्द्रीय स्थान पर कोई दमकल अथवा आग बुझाने का यंत्र रखने की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह—सरकार इस समय अग्निकांडों के लिये गोरखपुर क्षेत्र में कोई दमकल अथवा आग बुझाने का यन्त्र रखने की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं कर रही है । गोरखपुर नगरपालिका में पहिले से ही एक फायर ब्रिग्रेड वर्तमान है जो कि यथासमय उपयोग किया जा सकता है ।

श्री मदन पांडेय—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इन अग्निकांडों में पीड़ित व्यक्तियों की संख्या क्या थी और अहेतुक सहायता का औसत प्रति व्यक्ति क्या पड़ा ?

श्री चरणसिंह--आदमियों की संख्या २,१६७। अहेतुक सहायता हर आदमी को नहीं दी गई, न हर आदमी चाहता है। अगर हिसाब लगाना चाहते हैं तो जो रकम मैंने बतायी उससे लगा लें।

श्री मदन पांडेय--क्या उत्तर तिलपुर क्षेत्र के विकास खंडों की तरफ से, कुल में से या किन्हीं से, इस प्रकार का प्रस्ताव आया है कि जिसमें सरकार से अनुदान की मांग की गई है अपने यहां फायर ब्रिगेड रखने के लिये ?

श्री चरणसिंह--कम से कम मेरी फाइल में इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री अवधेशप्रतापसिंह--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों को इस अग्निकांड से दुःख पहुंचा या नुक्सान हुआ है उनको कोई आर्थिक सहायता भविष्य में दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष--यह तो उन्होंने बता दिया।

पडरौना तहसील से बैल खरीदने के लिये तकावी की दरख्वास्तें

*३५--श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि तहसील पडरौना में बैल की तकावी की इस वर्ष कितनी दरख्वास्तें पड़ी हैं ?

श्री चरणसिंह--२९३ दरख्वास्तें दायर हुईं जिनमें से १९७ बाकी हैं।

*३६--श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि कितने प्रार्थना-पत्र बैलों की तकावी के मंजूर हुए और कितने अस्वीकार कर दिये गये ?

श्री चरणसिंह--९५ प्रार्थना-पत्र मंजूर हुए और एक अस्वीकार कर दिया गया।

*३७--श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि तहसील पडरौना में एक व्यक्ति को कम से कम व अधिक से अधिक कितनी तकावी दी गई है ?

श्री चरणसिंह--तहसील पडरौना में एक व्यक्ति को कम से कम ४० रुपये व अधिक से अधिक ५०० रुपये की तकावी दी गई है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५ दरख़्वास्त बाकी किस आधार पर रह गईं ?

श्री चरणसिंह--रुपये की कमी के कारण।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--यह मंजूरशुदा ९५ प्रार्थना-पत्रों में १ और प्रार्थना-पत्र किस व्यक्ति का अस्वीकार कर दिया गया ?

श्री चरणसिंह--जी, मुझे नहीं मालूम कि किसका अस्वीकार कर दिया गया।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि ४० और ५०० रुपये आपने कहा तो कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि ५०० रुपये की तकावी दी गई ?

श्री चरणसिंह--नोटिस की आवश्यकता होगी इसके लिये।

*३८-३९--श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--[२० अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*४०-४१--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--[हटा दिये गये।]

जिला रक्षा गृह खोलने के संबंध में जानकारी

*४२—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने पांच राजकीय तथा कई जिला रक्षा गृह खोले हैं जिनमें से एक अभी हाल ही में इलाहाबाद में खोला गया है ? यदि हां, तो क्या वह ऐसे गृहों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जी हां । वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १६४ पर)

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिन जिलों में रक्षा-गृह खोले गये हैं उन जिलों में उनके खोलने का आधार क्या है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—वैसे तो योजना के अनुसार सारे जिलों में खोले जायेंगे । जहां-जहां स्थान प्राप्त हो गये उन जिलों में खोले गए ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीया मन्त्राणी जी यह बताने का कष्ट करेंगी कि जो यह रक्षा-गृह खोले गये हैं उनमें कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां पर रक्षा-गृह खोल कर फिर बन्द भी कर दिये गये ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जी नहीं । ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां खोलने के बाद बन्द कर दिया गया हो ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीया मन्त्राणी जी को यह ज्ञात है कि कानपुर में इस तरह का कोई रक्षा-गृह खोला गया था, उसको अब बन्द कर दिया गया और उसके स्थान पर अब कोई इलाहाबाद में रक्षा-गृह खोल दिया गया है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जी नहीं, इस योजना के अनुसार कानपुर के अन्दर कोई ऐसा रक्षा-गृह नहीं खोला गया था ।

*४३—श्री गरीबदास (जिला जालौन)—[हटा दिया गया ।]

*४४—श्री गनेशचन्द्र काछी—[हटा दिया गया ।]

*४५—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—[२० अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

खंड मन्डलाधीश, बलरामपुर के विचाराधीन पंचायत चुनाव का मुकदमा

*४६—श्रीमती सज्जन देवी महनोत (जिला वाराणसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में प्रत्येक खंड मन्डलाधीश के न्यायालय में कितने-कितने मामले (क) एक साल से अधिक, और (ख) दो साल से अधिक के विचाराधीन हैं ?

श्री चरणसिंह—गोंडा जिले में केवल बलरामपुर खंड मन्डलाधीश के न्यायालय में एक साल से अधिक का एक पंचायत चुनाव का पेटीशन विचाराधीन है । दो साल से अधिक अवधि का कोई मुकदमा किसी भी खंड मन्डलाधीश के न्यायालय में विचाराधीन नहीं है ।

*४७—श्रीमती सज्जन देवी महनोत—उपरोक्त मामलों के निर्णय में शीघ्रता कराने के हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चरणसिंह—यह प्रश्न नहीं उठता । आशा की जाती है कि पंचायत चुनाव के पेटीशन का फैसला सितम्बर तक हो जायगा ।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुल कितने चुनाव पेटीशन न्यायालय में आये थे ?

श्री चरणसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सितम्बर तक फैसला करने का अन्तिम निर्णय किया गया है, यह अन्तिम निर्णय है या आगे बढ़ेगा ?

श्री चरणसिंह---वादी की शहादत खत्म हो चुकी है और प्रतिवादी के लिये १६ सितम्बर मुकर्रर है और अदालत को अधिकार है कि कोई माकूल वजूहात मुल्तवी के रहें तो वह मुल्तवी कर सकती है ।

गोंडा जिले में पुराने हवालाती

*४८---श्रीमती सज्जनदेवी महनोत---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोंडा जिले की जिला जेल में कितने ऐसे हवालाती हैं जो छः मास से अधिक से उनके मामले निर्णय न होने के कारण हवालात में हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---ऐसे हवालातियों की संख्या ५३ है ।

*४९-५१---श्री उग्रसेन---[२० अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५२---श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)---[२० अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५३---श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---[हटा दिया गया ।]

*५४-५५---श्री मोतीलाल अवस्थी---[२० अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

बाल अधिनियम लागू करने के लिये केन्द्रीय सहायता के संबंध में जानकारी

*५६---श्री श्यामलाल यादव (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार बाल अधिनियम के अन्तर्गत होने वाले कामों में कितनी सहायता या अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार को देती है ?

श्री मुजफ्फर हसन---अभी तक केन्द्रीय सरकार से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता उत्तर प्रदेश में बाल अधिनियम लागू करने के निमित्त नहीं मिली है ।

*५७-५८---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---[२० अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५९-६०---राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे---[माननीय सदस्य के तीन प्रश्नों से अधिक होने के कारण छठवें बुधवार में प्रश्न संख्या ९-१० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ का प्रवर्त्तन

*६१---श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश कानून कब तक लागू करने जा रही है ?

श्री चरणसिंह---उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ तो सारे उत्तर प्रदेश में प्रसारित है, लेकिन अभी कृषि क्षेत्र का परिच्छेद केवल १० नगरपालिकाओं और ३४ टाउन एरियाओं में हो रहा है । इस काम के समाप्त होने के बाद धारा ८ के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में जमींदारी समाप्त कर दी जायगी ।

श्री धनुषधारी पांडेय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह १० नगरपालिका और ३४ टाउन एरिया किन-किन जिलों के हैं जहां पर यह ऐक्ट लागू होने जा रहा है ?

श्री चरणसिंह---यह ४४ जिलों में है, १० जिलों में एक-एक म्युनिसिपैलिटी और ३४ जिलों में एक एक टाउन एरिया में। कुमायूं में यह ऐक्ट बगैर माडिफिकेशन के लागू नहीं हो सकता। अब केवल ३ जिले ऐसे हैं, रामपुर, सुल्तानपुर और बहराइच जहां पर कोई टाउन एरिया या म्युनिसिपैलिटी नहीं ली गयी है।

श्री गेंदासिंह---बाकी नागर क्षेत्रों में इस कानून को लागू करने में क्या दिक्कत है ?

श्री चरणसिंह---ट्रेन्ड पर्सनल-प्रशिक्षित राज्यकर्मचारीगण।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या इस ऐक्ट को लागू करने के लिये कर्मचारीगण प्रशिक्षित करने की कोई योजना चल रही है ?

श्री चरणसिंह---कोई खास योजना नहीं चल रही है।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नागर क्षेत्र में इस ऐक्ट को लागू करने के लिये लगभग कितने प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होगी ?

श्री चरणसिंह---कोई ऐसा हिसाब नहीं लगाया गया है।

श्री गेंदासिंह---जिन प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव है वह किस प्रकार के चाहिये और सरकार ने अब तक ऐसे आदमी प्राप्त करने के लिये क्या प्रयत्न किया ?

श्री चरणसिंह---एग्रीकल्चरल क्षेत्र का नान-एग्रीकल्चरल क्षेत्र से डिमारकेशन जरूरी है और वह आसान नहीं है। स्टाफ को ट्रेन्ड करने के बारे में जो पूछा गया तो उसका जवाब यह है कि वह बहुत थोड़ा रकबा है जिसका मामला है। इसलिये कोई बात अभी जहन में नहीं है कि कोई खास योजना बनाई जाय। हो सकता है कि अगले साल हम ४४ के बजाय ८८ टाउन्स को ले लें और काम शुरू कर दें।

श्री नागेश्वर प्रसाद (जिला जौनपुर)---क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि वह सभी नागर-क्षेत्रों में कौन-सा कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब हो चुका।

श्री रामलखन मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि परिच्छेदन कार्य वह किस आधार पर करा रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---जो आधार ऐक्ट और रूल्स में दिया गया है।

श्री गेंदासिंह---क्या राजस्व मंत्री जी अब यह स्पष्ट बतला सकते हैं कि नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश का यह अधिनियम सारे प्रदेश भर में कब तक लागू हो सकेगा ?

श्री चरणसिंह---जी "लागू" का मतलब मैं नहीं समझ सका। हां, यह ४४ जगह प्रचलित हुआ है। मैं समझता हूं कि ३ साल के अन्दर हो जायगा।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि बेदखलियां बराबर हो रही हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार की ओर से कोई ऐसा आदेश गया है कि जब तक वह कानून लागू न हो तब तक बेदखलियां न हों ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस नागर-क्षेत्र अधिनियम के अनुसार नियम बन चुके हैं अथवा नहीं ?

श्री चरणसिंह—जिन चैप्टर्स के अधीन काम हो रहा है, उनके नियम बन चुके हैं।

*६२–६३—श्री हरिदत्त काण्डपाल (जिला अल्मोड़ा)—[२० अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*६४—श्रीमती सज्जनदेवी महनोत—[माननीया सदस्या के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण चौथे बुधवार में प्रश्न संख्या ५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील से बुढ़ापे की पेन्शन के लिये प्रार्थना-पत्र

*६५—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में बुढ़ापे की पेन्शन प्राप्त करने के लिये कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये तथा इनमें से कितनों को यह पेन्शन प्राप्त हुई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में वृद्धावस्था पेंशन के लिये १०६ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। इनमें से ३७ व्यक्तियों को पेंशन दी गई है।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या मंत्री जी बतानें की कृपा करेंगे कि जिन ३७ व्यक्तियों को पेंशन दी गयी है उनको कितने रुपये मासिक या वार्षिक के हिसाब से दिया गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इन सभी लोगों को, जिन्हें इस स्कीम के मातहत पेंशन दी जाती है, १५ रुपया पेंशन मिलती है।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन व्यक्तियों को किस आधार पर पेंशन दी गयी और जिनकी दरख्वास्तें रिजेक्ट की गयीं वह किस अधार पर हुईं ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न आप का स्पष्ट नहीं है। यह तो बुढ़ापे की पेंशन है, आधार तो आप को स्पष्ट ही हो गया।

कुंवर श्रीपालसिंह—१०६ दरख्वास्तें पड़ी थीं, उनमें से ३७ ही क्यों मंजूर हुईं, बाक़ी रिजेक्ट क्यों हुईं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—जो पेंशन ३७ को मिली है वह नियम के अन्दर आते थे, बाकी में से कुछ की जानकारी हो रही है और कुछ की दरख्वास्तें रिजेक्ट हो गयी हैं क्योंकि वह नियमानुकूल पेंशन पाने के हकदार नहीं थे।

*६६—६७—श्री मदन पांडेय—[माननीय सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण नवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ३–४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*६८—श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—[२० अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*६९–७०—श्री खुशी राम (जिला अल्मोड़ा)—[२० अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*७१—श्री हरिदत्त काण्डपाल—[२० अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*७२—कुंवर श्रीपाल सिंह—[२० अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*७३—श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव—[२० अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

कपड़ा कमेटी, कन्नौज की प्रार्थना पर छपे कपड़े पर से बिक्री कर हटना

*७४—राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कपड़ा कमेटी, कन्नौज की ओर से उनके पास ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र आया है जिसमें यह मांग की गई है कि छपे और सिले कपड़े पर से बिक्री-कर समाप्त किया जाय? यदि हां, तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चरणसिंह—जी हां, इस सम्बन्ध में कपड़ा कमेटी, कन्नौज का एक प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है। सरकार ने छपे कपड़ों को पहली जुलाई, १९५८ से बिक्रीकर से मुक्त करने का निर्णय किया है, किन्तु सिले कपड़ों को बिक्री कर से मुक्त करने की प्रार्थना को स्वीकार करना संभव नहीं हो सका।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार बतायेगी कि जब छपे कपड़े बिक्री-कर से मुक्त हैं तो उन्हीं कपड़ों से सिले हुए कपड़ों को बिक्री कर से मुक्त करने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्री चरणसिंह—जो तकाजा खर्च का हो रहा है उन खर्चों को पूरा करने के लिये आमदनी की आवश्यकता है।

श्री भगवती सिंह विशारद—माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उनको जानकारी है कि जिस कपड़े से सिले कपड़े बनते हैं उस पर सेल्स टैक्स जो सेंट्रल एक्साइज टैक्स में शामिल हो चुका है, पहले ही वसूल कर लिया जाता है?

श्री चरणसिंह—जी, कपड़े पर बेशक कर लिया जाता है और यह सिले कपड़ों का सवाल है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि वित्त मंत्री जी के सभापतित्व में बैठ कर यू० पी० सेल्स टैक्स ऐडवाइजरी कमेटी ने यह सलाह दी है कि सिले हुये कपड़े पर से टैक्स हटा दिया जाय?

श्री चरणसिंह—मेरे सभापतित्व में तो कोई कमेटी की मीटिंग हुई नहीं है और पहले का मुझे इल्म नहीं है। लेकिन आपकी इजाजत से बतलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश और बिहार में ६ पाई प्रति रुपया, बंगाल में ९ पाई प्रति रुपया, बम्बई में १० पाई प्रति रुपया है और हमारे यहां केवल ३ पाई फी रुपया टैक्स है।

ग्राम लक्ष्मियों की नियुक्ति के नियम

*७५—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में कितनी ग्राम लक्ष्मियां हैं और इनकी नियुक्ति के क्या नियम हैं?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—सरकार की महिला मंगल योजना के अन्तर्गत ६३० ग्राम लक्ष्मियां हैं। ग्राम लक्ष्मियां अवैतनिक कार्यकर्भी होती हैं जिनको २० रुपये प्रति महीना पारिश्रमिक दिया जाता है। उनका चुनाव जिला चुनाव समिति के द्वारा होता है। चुनाव समिति उनकी कार्यक्षमता, समाज सेवा में उत्साह तथा ग्रामवासियों पर उनका प्रभाव देख कर उनका नाम जिला नियोजन अधिकारी के पास सिफारिश करके भेज देती हैं। जिला नियोजन अधिकारी उनको महिला मंगल केन्द्र के अन्तर्गत ग्रामों में तैनात कर देते हैं। ग्राम लक्ष्मियों के चुनाव के लिए साधारणतया निम्नलिखित योग्यतायें निर्धारित की गयी हैं :—

शैक्षिक योग्यता	..	कक्षा ४ पास,
आयु ..	..	२५ से ४० वर्ष तक।

*७६—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार इनके कर्त्तव्यों (duties) का विवरण-पत्र सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—ग्राम लक्ष्मियों का कर्त्तव्य महिला मंगल केन्द्रों को सुचारु रूप से चलाने में ग्राम सेविकाओं की सहायता करना है।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्राणी जी बताने की कृपा करेंगी कि जिला की चुनाव समिति के सदस्य कौन होते हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—नियोजन अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट आर्गेनाइजर महिला मंगल योजना और कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं।

श्री मदन पांडेय—मंत्राणी जी बताने की कृपा करेंगी कि जिन प्रतिष्ठित व्यक्तियों का नाम लिया गया है क्या उनमें जनप्रतिनिधि यानी असेम्बली के मेम्बर्स भी शामिल होते हैं या नहीं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—ऐसा तो कुछ नहीं है कि असेम्बली के मेम्बर्स लिये जा सकते हों। जो समाज सेवा में रुचि लें वह अवश्य लिये जा सकते हैं।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्राणी जी भविष्य के लिये जिस हल्के में चुनाव हो उस हल्के के मेम्बरों को रखने का विचार कर रही हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इसमें किसी हल्के विशेष का प्रश्न नहीं होता है, बल्कि पूरे जिले के लिये चुनाव किया जाता है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या मंत्राणी जी बतायेंगी कि यह योजना प्रांत के सभी जिलों में लागू हो गई है या कुछ जिलों में अभी लागू नहीं हुई है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—अभी पूरे प्रांत में लागू नहीं हुई है। ३३ जिलों में यह योजना चालू है।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्राणी जी को ज्ञात है कि ग्राम लक्ष्मियों का चुनाव समिति न करके क्षेत्रीय ग्राम सेविका की सिफारिश पर किया जाता है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—ऐसी जानकारी तो मुझे किसी विशेष स्थान की नहीं है लेकिन अगर वह सूचना देंगे तो मैं जरूर जांच कराने की चेष्टा करूंगी।

श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)—क्या मंत्राणी जी बतलायेंगी कि जो महिला मंगल योजना के अन्तर्गत जिला समाज समिति है और जो दूसरी समाज कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत है, उन दोनों में क्या फर्क है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जो महिला मंगल योजना के अन्तर्गत समिति है वह तो ग्राम लक्ष्मियों का चुनाव करती है और जो बोर्ड की समिति है, वह सारे कामों की, जो बोर्ड द्वारा चलाये जाते हैं देखरेख करती है और उनका प्रबन्ध करती है।

अतारांकित प्रश्न

हरदोई जिले में अग्निपीड़ितों को सहायता

१—श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले के किन-किन गांवों में चालू वर्ष में आग लग चुकी है और आग के कारण गांव में क्रमशः कितनी-कितनी हानि हुई ?

श्री चरणसिंह—अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १६५-१६६ पर।)

२—श्री बुलाकीराम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अग्नि पीड़ित गांवों के लोगों की कितनी-कितनी किस प्रकार की सहायता की गई ?

श्री चरणसिंह—अग्नि पीड़ित गांवों के लोगों को ४८३ रुपये १३ नए पैसे बतौर अहेतुक सहायता तथा ३५,९८० रुपये बतौर तकावी के वितरित किये गये।

सेन्ट्रल जेल बरेली द्वारा तैयार किया गया फर्नीचर

३—श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सेन्ट्रल जेल बरेली में सन् १९५७ ई० में कुल कितने रुपये का फर्नीचर तैयार किया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—सन् १९५७ ई० में सेन्ट्रल जेल, बरेली में कुल ४०,५५७ रुपये २९ नये पैसे का फर्नीचर तैयार किया गया।

४—श्री शिवराज बहादुर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६ व सन् १९५७ ई० में सेन्ट्रल जेल बरेली में कुल कितने रुपये के दरी और कालीन बेचे गये ?

श्री मुजफ्फर हसन—सेन्ट्रल जेल बरेली में सन् १९५६ ई० में १२,३०० रुपये ७७ नये पैसे की दरियां तथा १६६ रुपये ३१ नये पैसे के कालीन और १९५७ ई० में ४०,१८४ रुपये ८७ नये पैसे की दरियां तथा १,२५७ रुपये १९ नये पैसे के कालीन बेचे गये।

१० मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न ३२ से संबंधित एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

वित्त मंत्री (श्री चरणसिंह)—श्रीमन्, १० मार्च, १९५८ को तारांकित प्रश्न संख्या ३२ के सम्बन्ध में श्री भगवती सिंह विशारद ने एक अनुपूरक प्रश्न किया था कि "क्या माननीय वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष ५ रुपये की मजीद इमदाद जो दी गई थी वह भी इस महंगाई भत्ते में शामिल है ?" उस समय उक्त प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दिया गया था "वह इसमें सम्मिलित नहीं है।" इस उत्तर को इस प्रकार होना चाहिये था "जी हां, वह इसमें शामिल है।"

३० जुलाई, १९५८ के तारांकित प्रश्न ३७ से संबंधित अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर का शोधन†

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—श्रीमन्, ता० ३० जुलाई, १९५८ को तारांकित प्रश्न संख्या ३७ से सम्बन्धित श्री भगवती सिंह विशारद ने कुछ अनुपूरक प्रश्न पूछे थे जिनका उत्तर उस समय ठीक नहीं दिया जा सका था। जो प्रश्न किये गये थे और उस समय उनके जो उत्तर दिये गये थे तथा जो सही उत्तर हैं, मैं आपकी आज्ञा से उनको सदन की सूचना के लिये पढ़ देना चाहता हूं —श्री भगवती सिंह विशारद ने यह प्रश्न किया था "क्या माननीय श्रममन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह मिनिमम वेजेज ऐक्ट प्रदेश की जूट मिलों में लागू है या नहीं ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?" इसका यह उत्तर उस समय दिया गया था कि "जूट मिलों में श्रमिकों के सम्बन्ध में अलग से सरकारी आज्ञा निकली है जिनके अन्तर्गत उनके वेतन व वेतनक्रम की बातें दी गई हैं, इसलिये मिनिमम वेजेज ऐक्ट को लागू करने का प्रश्न नहीं उठता।" यह उत्तर इस प्रकार से होना चाहिये "जूट उद्योग में यह ऐक्ट लागू नहीं है, क्योंकि यह उद्योग इस ऐक्ट की अनुसूची में भारत सरकार द्वारा सम्मिलित

---

†३० जुलाई, १९५८ की कार्यवाही में तदनुसार संशोधन कर दिया गया।

नहीं किया गया है। जूट मिलों में न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के सम्बन्ध में कोई अलग सरकारी आदेश नहीं निकला है।"

दूसरा प्रश्न जो श्री भगवतीसिंह विशारद ने किया था यह था कि "मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत जो तनख्वाह निश्चित है और जिस शासकीय आज्ञा का जिक्र अभी माननीय मन्त्री ने जूट मिल्स के सम्बन्ध में किया है, उसका असर मिनिमम वेजेज ऐक्ट पर ज्यादा तनख्वाह होने पर पड़ता है या कम होने पर ?" उस समय यह उत्तर दिया गया था "कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत जो तनख्वाह निश्चित की है यदि कम तनख्वाह दे तब तो मिनिमम वेजेज ऐक्ट के आपरेशन का प्रश्न आता है, वरना नहीं।" उत्तर यह होना चाहिये कि "जूट मिलों के श्रमिकों के सम्बन्ध में अलग से कोई सरकारी आज्ञा नहीं निकली है। अतः यह प्रश्न नहीं उठता।"

उनका तीसरा प्रश्न यह था कि "क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जो शासकीय आज्ञा जूट मिलों के ऊपर लागू है मजदूरों के वेतन के सम्बन्ध में, उसके अनुसार मिनिमम वेजेज ऐक्ट के मातहत उनको ज्यादा पैसा मिलता है या कम ?" उस समय यह उत्तर दिया गया कि "मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत जो निश्चित वेतन है उनसे ज्यादा, कम नहीं"। उत्तर यह होना चाहिये कि "जैसा मैं अभी कह चुका हूं, जूट मिलों के ऊपर न तो मिनिमम वेजेज ऐक्ट ही लागू है और न उसमें काम करने वाले श्रमिकों के वेतन के सम्बन्ध में कोई अलग से शासकीय आज्ञा ही निकली है। न्यूनतम वेतन कानून के अन्तर्गत केवल न्यूनतम वेतन ही निश्चित होता है। जूट मिलों में जो तनख्वाह वर्तमान समय में दी जा रही है वह प्रायः न्यूनतम वेतन के अधिनियमों में निर्धारित वेतन से अधिक ही है।"

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह प्रश्न दुरुस्त किये जाते हैं माननीय मन्त्रियों के द्वारा उसकी प्रतिलिपि सम्बन्धित सदस्यों को यहां पर ११ बजे से पहले अवश्य मिल जानी चाहिये ताकि वह कोई अनुपूरक प्रश्न करना चाहें तो कर सकें।

श्री अध्यक्ष—इसमें पूरक प्रश्न तो नहीं होते किन्तु आपका यह कहना ठीक है कि जो माननीय सदस्य यह पूरक प्रश्न पूछते हैं उनको सही उत्तर की प्रतिलिपि मिल जाय। यह व्यवस्था मैं करा दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इसके लिये एक टाइम निश्चित होना चाहिये कि इतने समय के अन्दर मन्त्री लोग अपने संशोधित उत्तर यहां सदन में सुना दें। यह देखा गया है कि ३, ३ और ४, ४ महीने के बाद भी वह सही किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—यह तो आपको मालूम होना चाहिये कि आपको गलत उत्तर मिला यदि ऐसी बात आप मुझे बतला दें तो मैं मन्त्री जी से पूछ लूं। मुझे तो स्वप्न नहीं होता कि कौन सा उत्तर गलत है। जब मन्त्री जी को मालूम होगा कि उन्होंने गलती की है तभी वह सदन के सामने ला सकते हैं। उसके लिये मैं टाइम लिमिट नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि जब गलती मालूम हो तो स्पष्ट रूप से सदन के सामने मन्त्री जी आवें और कह दें कि हम से यह गलती हुई। यही सब से अच्छा तरीका अपनी गलती को दुरुस्त करने का है।

गृह मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री उग्रसेन ने एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न भेजा है जिसकी मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं क्योंकि इस विषय में मैं कह चुका हूं कि इस सदन में जो भाषण होते हैं उनको यह मान कर चलना चाहिये कि जो आदमी बोलता है वह अपनी जानकारी से सत्य समझकर बोलता है। उन भाषणों के ऊपर अगर विशेषाधिकार का प्रश्न होने लगे तो

[श्री अध्यक्ष]

सदन के दूसरे काम एक रोज की कार्यवाही और एक रोज के भाषणों के बाद नहीं चल सकेंगे। महीने दो महीने तक एक दूसरे के खिलाफ विशेषाधिकार के प्रश्न ही आया करेंगे। मैं इस चीज को पढ़ कर नहीं सुनाता और समझता हूं कि यह जो प्रश्न उठाया गया है अवैध है।

श्री उग्रसेन—मैं इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता। आप कृपया बैठें।

तहसील पडरौना के सामने पड़े ३०० अकाल-ग्रस्त लोगों के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री ब्रजनारायण तिवारी का है। वह पडरौना तहसील के सामने पड़े ३०० अकाल-ग्रस्त लोगों के सम्बन्ध में है। इसके सम्बन्ध में खाद्य समस्या के ऊपर काफी वाद-विवाद हो चुका है और उस समय माननीय सदस्य उचित समझते तो इसकी बात कह सकते थे। अब इस विषय में जिक्र नहीं हो सकता। यह अवैध है और मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—श्रीमन्, वहां की स्थिति बिगड़ती जा रही है और सरकार लापरवाही करती है।

श्री अध्यक्ष—सरकार भी मौजूद हैं और आप भी। आप पत्र-व्यवहार कीजिये, बातचीत कीजिये, लेकिन कामरोको प्रस्ताव ऐसी बातों पर फिर-फिर मत लाइये।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—इस पर कार्यवाही करने से सरकार गुरेज करती है और इसके फलस्वरूप वहां की स्थिति गंभीर हो रही है।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर बैठें।

पंखों की व्यवस्था के संबन्ध में शिकायत

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। क्या इस सदन के सम्मानित सदस्यों के लिये इस सदन में रोशनी और हवा की भिन्न व्यवस्था होना इस सदन का अपमान नहीं है? जैसे पंखे यहां भी रखे हुए हैं और वहां भी, यहां का चल नहीं रहा है और वहां का चल रहा है। अगर वैसा हो तो समान रूप से हो।

कृषि मंत्री (मोहनलाल गौतम)—सोशलिज्म का सब से बड़ा तर्क यह है कि ईच एकार्डिंग टु हिज ओन नीड्स (Each according to his own needs)।

श्री राजनारायण—मन्त्री लोग हम लोगों को बड़ा सबक पढ़ाया करते हैं इसलिये इतनी बात भी कह दूं यह मैंने सोचा है। अगर कोई सम्मानित सदस्य बीमार हो किसी कारणवश तो उसके लिये आप कोई खास व्यवस्था कर सकते हैं, इजाजत दे सकते हैं, जैसे आपने त्रिलोकी सिंह जी को कहा है कि वह बैठ कर बोलें। कोई और बीमार होता है तो आप से आज्ञा मांगता है और आप प्रदान करते हैं, लेकिन सामान्य रूप से अगर भेद हो रोशनी और हवा में, तो मैं समझता हूं कि यह सदन का अपमान है।

श्री अध्यक्ष—(पंखे की ओर इशारा करते हुए) उसने अपमान दूर कर दिया। वह बन्द हो गया था, बीमार हो गया था, अब वह ठीक हो गया है।

श्री राजनारायण—मैं क्यों कह रहा हूं? सदन के तमाम सदस्यों के लिये नहीं हो सकता। यह तो त्रिलोकी सिंह जी और संपूर्णानन्द जी के लिये है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं यह बहुत मामूली बात है।

श्री राजनारायण—यह सदन का बहुत सूक्ष्म अपमान हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—घूमते हुए पंखे जितने हमारे पास हैं और जितनी सहूलियत मैं दे सकता हूं, देता हूं। अब यह भी अपमान कहा जा सकता है कि हर एक के सामने माइक्रोफोन नहीं है, टेबिलों पर माइक्रोफोन की जितनी व्यवस्था हो सकती है वह मैंने की। आप कृपया बैठें। आपने फैसला मुझ से मांगा था वह मैं दे रहा हूं। हर जगह इतने बड़े पंखे रहेंगे तो मैं समझता हूं कि सब लोगों का बोलना बन्द हो जायगा और मैंने कल इसीलिये यह कहा था जब कि पंखे से शायद कमलापति जी का मुंह ढंक जाता था, तो मैंने कहा था कि पंखा हमारे और उनके बीच में नहीं होना चाहिये। तो इसीलिये दूसरा नीचा पंखा रखा गया। दूर पर अगर ऊंचा पंखा हो तो मेरे और सदस्यों के बीच में वह आ जाता है। लेकिन इस समय जो पंखा लग रहा है वह बहुत से सदस्यों के लिये लग रहा है। कोई एक व्यक्ति के लिये होता तो मैं भेद-भाव मान लेता, लेकिन यह घूमते हुए पंखे हैं। वे अनेक सदस्यों को हवा दे सकते हैं और देते हैं। इसीलिये मैंने इनकी इजाजत दे दी है, एक दो के लिये होता, चाहे वह नेता विरोधीदल के लिये होता या नेता सदन के लिये होता, तो मैं कहता कि कोई भेदभाव हो रहा है और उसकी अनुमति न देता, परन्तु वस्तुस्थिति यह नहीं है।

*उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८

कृषि मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ [The U. P. Prevention of Cow slaughter (amendment) Bill, 1958.] पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस अमेंडमेंट की इस लिये आवश्यकता पड़ी कि जो गो-वध निवारण विधेयक इस सदन ने स्वीकार किया था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई। बहुत से सूबों और प्रदेशों के इस तरह के ऐक्ट्स के खिलाफ अपीलें हुईं और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि जहां तक मादा का संबंध है, वह तो ठीक है, और किसी भी उम्र की गाय को वध करने से रोका जा सकता है। लेकिन जहां तक नर का सम्बन्ध है, अर्थात् सांड़ या बैल का सम्बन्ध है, उनके बारे में उन्होंने कहा कि 'वे चाहे किसी भी उम्र के हों, वह उपयोगी रह गये हों या न रह गये हों', उनके वध पर रोक लगाना ठीक नहीं है। यह कांस्टीट्यूशन की धारा १९ (१) जी० के अन्तर्गत उन्होंने अवैध घोषित किया है। इसका मतलब यह है कि इस नर-यानी सांड़ या बैल की उम्र या अनुपयोगिता का खयाल किये बिना ऐसे सांड़ों या बैलों, उसके वध को रोक देना कानून के खिलाफ है। इसलिये जरूरत यह महसूस हुई कि इसके सम्बन्ध में कोई कानून लाया जाय। लिहाजा एक आर्डिनेंस निकाला गया और उसी के आधार पर यह बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस में खास बात यही है कि १५ साल से ज्यादा उम्र के बैल या सांड़ अगर हों, और बैल या सांड़ ऐसे हों, जो कि काम के न रह गये हों, तो उनका वध हो सकता है और इसकी इजाजत दी जा सकती है। इस संशोधन विधेयक में यह भी है कि इसकी इजाजत कौन देगा। बस यही एक बात है जिसके लिये यह संशोधन विधेयक लाया गया है।

आर्डिनेंस के रूप में यह पहले से ही लागू है। मेरी प्रार्थना है कि इसको ६ हफ्ते के अन्दर पास कर दिया जाय नहीं तो यह आर्डिनेंस बिल्कुल बेकार हो जायगा। और अगर यह बिल पास नहीं हुआ तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जायगा। उस वक्त किसी बैल या सांड़ को वध होने से रोका न जा सकेगा। इसलिये मेरी प्रार्थना यह है कि इस बिल को शीघ्र पास कर दिया जाय।

† श्री [illegible]याबख्शसिंह (जिला सुल्तानपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि गो-वध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ को जनमत जानने के लिये ३ माह तक जनता में घुमाया जाय।

---

* २५ जूलाई, १९५८ की कार्यवाही में छपा है।

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गयाबख्श सिंह]

श्रीमन्, यह विधेयक जो इस आदरणीय सदन के सामने उपस्थित है, जनता का प्रत्येक व्यक्ति, वह भले ही किसी उम्र का हो, किसी व्यवसाय का हो, किसी अवस्था का हो, कुछ भी काम करता हो, सबसे सम्बन्ध रखता है। इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य जितने हैं वे सब जनता के प्रतिनिधि के रूप में आये हैं। कोई एक लाख जनता का प्रतिनिधि है, कोई दो लाख जनता का प्रतिनिधि है और कोई ढाई लाख जनता का प्रतिनिधि है। गो-वध का एक ऐसा विषय है जिसके सम्बन्ध में अधिक न कहते हुए, फिर भी मैं संक्षेप में आपके द्वारा आदरणीय सदन से निवेदन करता हूं कि जिन पूज्य महात्मा के चरणों में बैठ कर कृपालु मंत्रिगण स्फूर्ति लेते हैं, जनता का हर आदमी, कम से कम भारत तो इससे इन्कार कर ही नहीं सकता कि स्फूर्ति लेते हैं। उनके शब्द हैं, उन्होंने कहा था कि "स्वराज्य मिलने के बाद पहला काम जो किया जायगा वह गो-वध बन्दी का होगा।" इसी भारत के प्रख्यात पहलवान स्वर्गीय राममूर्ति ने अंग्रेजों को चैलेंज किया था, परामर्श किया था और सुझाव रखा था कि मैं रेलवे इंजन को रोक सकता हूं अगर आप गो-वध बन्द करने की शर्त्त को मंजूर करें। अंग्रेजों के पैर लड़खड़ा गये, हिम्मत नहीं पड़ी कि इस शर्त्त को मंजूर करें। सम्भव है कि इंजन रुकता या नहीं रुकता, लेकिन उससे एक समस्या हिन्दुस्तानियों के सामने रखी थी। इतना ही नहीं प्राचीनकाल में बड़े-बड़े राजा, ऋषि महर्षि आदि ने कितना इसको गौरव दिया था, कितना महत्व इसका बढ़ाया था।

मैं आदरणीय सदन का जिसमें सन् १९५५ में इस कानून को सामने रखकर पारित किया था, बड़ा अभारी हूं और कृतज्ञ हूं। फिर भी कुछ त्रुटियां रह गयीं जिनका सम्बन्ध यहां नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लक्ष्य कर देना जरूरी होगा। वह कानून ऐसा था जिसमें कहीं-कहीं थोड़े से लूप होल्स, थोड़े से छिद्र रह गये जिनके कारण भ्रष्टाचार के रूप में जिस गाय को मारना चाहें मारा जा सकता था। खैर, वह विषय यहां पर नहीं है लिहाजा मैं उसे छोड़ देना चाहता हूं। वह तो ऐसा ही था जिसको अंग्रेजी में अनवेलकम गेस्ट कहते हैं "अब आ ही गये हो तो बैठ जाओ, थोड़ी सी चाय वगैरह पी लो।" लेकिन आप के द्वारा मैं आदरणीय सदन को बतला देना चाहता हूं कि इस प्रदेश की ७२ से ७५ फीसदी जनता से इसका विशेष सम्बन्ध है। इस संशोधन में उम्र जो दिखलायी गयी है वह १५ साल की रखी गयी है। मैं श्रीमन्, नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि २५ से ३० साल तक के बैल हल में जोतते हुए देखे गये हैं। यह वही बतला सकता है जिसके यहां खेती होती है। मैं यहां बैठ कर या शहर में रह कर नहीं जान सकता हूं कि बैलों की अवस्था कितने दिनों तक उपयोगिता के साथ चलती है और कितने दिनों तक अनुपयोगिता के साथ चलती है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि बैल और गाय या गोवंश के जितने भी प्रसंग हैं वे किसी भी समय अनुपयोगी नहीं होते। बम्बई की प्रयोगशाला में यह करके देखा गया है कि मरते-मरते तक गाय अपनी खुराक से ज्यादा मूल्य की चीजें देती जाती है। मगर इसको जानने वाला कौन है? इसलिये भी मेरा नम्र निवेदन आप के द्वारा इस सदन से यह है कि इस विधेयक को जनमत--संग्रह के लिये भेजा जाय।

इतना ही नहीं गोवध के सिलसिले में हमारे यहां समय-समय पर अशान्ति उत्पन्न हो जाया करती है। पिछले सालों के हिसाब को अगर देखा जाय, रेकर्ड की तरफ गौर किया जाय तो मालूम हो जायगा कितनी जगहों पर बलवे हुए और अशान्ति उत्पन्न हुई। इस प्रांविस में हम लोगों का विचार न रहते हुए, उसके खिलाफ कोशिश करते हुए भी आज यह भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और ऐसे संशोधन की आड़ में क्या नहीं हो सकता। बैल की एक टांग तोड़ दी जायगी और कह दिया जायगा कि अनुपयोगी हो गया और इस तरह से उसके मारने का सर्टिफिकेट मिल सकता है। ऐसी एक नहीं अनेकों चीजें होंगी जिनका सारांश में मैंने उल्लेख कर देना जरूरी समझा, ज्यादा विवरण के साथ कहने की न जरूरत समझी और न उसके लिये समय ही है और न मैं इस आदरणीय सदन का अधिक समय लेना ही चाहता हूं।

किसी ऐसी चीज को जनमत के लिये घुमा देना बहुत अच्छा होता है। यह ऐसा ऐक्ट नहीं है जैसे स्टाम्प ऐक्ट या कोर्ट फीस ऐक्ट, जिनका सम्बन्ध केवल मुकदमेबाजों से होगा। यह तो जनजीवन के तार से सम्बन्धित है। यह नाम सुनते ही कि कहीं गाय का वध हो गया तो सारे तार झनझना उठते हैं और जो जिस अवस्था में होता है वह उसी अवस्था में दौड़ जाता है। ईश्वर न करे कहीं ऐसी कुव्यवस्था आये और गाय का मारना सुनाई पड़े। मैं सुझाव रखूंगा कि यह जनमत के लिये अवश्य घुमाया जाय। फेडरल कोर्ट के सुझाव में तीन चीजें रखी गयी हैं। एक तो जो अनुपयोगी बुल है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि जहां तक उम्र का सम्बन्ध है बैल और गोवंश यह कभी भी बेकार नहीं होते। जहां तक बुलक्स का ताल्लुक है वे चलतेचलते खेतों में मरे दिखाई देते हैं, लेकिन इसका विवरण वही दे सकता है जो खेती करता हो, ट्रैक्टर वाले इसका अहसास नहीं कर सकते।

जहां तक सांड़ों का ताल्लुक है, बुल्स का ताल्लुक है मेरा सुझाव यह है कि उनको इनसे मिनेशन सेंटर्स में ले जाइये। धृष्टता होगी यह कहने में अगर वे गाय को कवर न कर सकते हों, लेकिन उस प्रयोगशाला में उनसे लाभ उठाया जा सकता है। मेरा नम्र निवेदन है जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा अगर मादा से इतनी हमदर्दी है तो नर संहार की तरफ क्यों ध्यान दिया जाता है ? हमें कोशिश करनी चाहिये कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग अपनी जगह कायम रहे और गोवंश का ह्रास भी न हो। मुझे यह कहते हुए कोई हिचक नहीं होनी चाहिये कि इस राज्य के सामने और इस आदरणीय सदन के सामने कितनी बड़ी समस्या है बैल खरीदने की। बैलों को खरीदने के लिए तकावी दी जाती है फिर भी शिकायत चारों तरफ से आती है कि बैल नहीं हैं। खाद वितरण होती है तो बैल नहीं मिलते। अगर १५ साल की उम्र के बैलों को मारने की अनुमति किसी तरह से मिल गयी तो मैं समझता हूं कि यह समाज व प्रदेश का दुर्भाग्य होगा। इस आदरणीय सदन ने इस फ्लोर पर बैठ कर ७० साल के बुड्ढों की पेंशन मंजूर की तो फिर गोवंश ने कौन सा बड़ा अपराध किया है जिससे १५ साल के बाद खुली छूट देदी जाय। यह भाग्य की बात है कि कोशिश तो सदन में यह की गयी कि गोवंश का बिल्कुल ह्रास न हो और किसी तरह से मारने की अनुमति न दी जाय, लेकिन घटते घटते १५ साल की उम्र रख दी गयी और उसके मुताबिक मारने की अनुमति मिल गयी, जब कि हमने यह चाहा था कि एक दम से गोवध बन्द हो जाय।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसको जल्दी पास होना चाहिये। तात्पर्य उनका यह है कि ऐसा न हो आर्डिनेन्स बेकार हो जाय और इस बीच में कत्ले आम हो जाय और नरसंहार गोवंश का हो जाय। मैं इससे सहमत हूं और मेरा यह निवेदन है कि मसला बहुत टेढ़ा है और जनमत से सम्बन्ध रखता है, इसलिये अगर ३ महीने की अवधि जो संशोधन में मैंने रखी है वह अधिक मालूम होती हो तो आदरणीय सदन के सुझाव पर वह घटाई जा सकती है। और जल्दी काम हो, हमारा लक्ष्य तो यही है। जैसा कि कहा गया है बड़े-बड़े महात्माओं ने, अपने मार्गदर्शकों ने सुझाव रखा था गोवंश का ह्रास हर पहलू से रोकने की जरूरत है। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं नम्र निवेदन करूंगा आपके द्वारा आदरणीय सदन से कि इस सुझाव पर पूर्णतः गौर किया जाय और यह जनमत के लिये घुमाया जाय।

श्री अध्यक्ष---यह ब्रजनारायण तिवारी जी का संशोधन जहां तक मैं समझता हूं वैसा ही है जैसा कि गयाबख्शसिंह जी का है। इसलिये उसको उपस्थित करने की इजाजत मैं नहीं दे रहा हूं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ दोनों सदनों की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और यह अधिकार दिया जाय कि परिधि बढ़ा सके तथा अपनी रिपोर्ट ४५ दिन में दे। सदस्यों के नाम बाद में दिये जावेंगे।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

मान्यवर, मेरे लिये थोड़ी सी कठिनाई है। जबकि यह अध्यादेश इस सदन के समक्ष आया था तो उस अध्यादेश के विरोध में मैंने डिस्एप्रूवल का एक रिजोल्यूशन दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश समयाभाव क कारण वह संकल्प सदन के समक्ष नहीं आ पाया। अतः मैं इस दूसरे संशोधन के आधार पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। श्री अवधेश-प्रताप सिंह जी यह कह रहे हैं कि उन्होंने इस अध्यादेश के अननुमोदन के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भेजा था। भारतीय संविधान के आर्टिकिल १२३(२) के मुताबिक सर्वप्रथम अननुमोदन के प्रस्ताव पर विचार किया जाता है। अध्यादेश को रिप्लेस करने के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष--(श्री अवधेश प्रताप सिंह से) आप कृपा करके बैठें। मैं पहले आपत्ति का जवाब दे दूं। मेरे पास वह आया दो रोज पहले। कुल दो रोज बीते हैं और उसके लिये कम से कम तीन रोज का नोटिस होना चाहिये, नियमानुसार नोटिस कम से कम ३ रोज का चाहिये। आज तीन रोज समाप्त होंगे। इसलिये वह पहले नहीं आ सकता क्योंकि तीन रोज पहले आपने नोटिस नहीं दिया।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--मान्यवर, लहरी जी ने तो मुझे सहायता प्रदान की, लेकिन इसकी जरूरत न थी, क्योंकि मैं पहले ही यह कह चुका था कि यह दोष मेरा था और इस पर प्वाइंट आफ आर्डर की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती थी।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान विशेष रूप से इस विधेयक की ओर आकर्षित करना चाहूंगा तथा आपक द्वारा माननीय मंत्री महोदय का भी। श्रीमन्, यह गोवध निवारण विधेयक जो हमारे समक्ष उपस्थित किया गया ह उसका क्या कारण था यह माननीय मंत्री महोदय भी बता चुके हैं और विधयक के उद्देश्य और कारणों में भी पाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग के सानुकूल बनाने के हेतु यह विधेयक लाया गया है। जबकि गोवध निवारण अधिनियम के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत की गई तदुपरान्त जो उसके ऊपर निर्णय हुआ उस निर्णय को देखते हुए यह विधेयक हमारे सामने लाया गया है। इसमें न माननीय मंत्री महोदय को इनकार हो सकता है न सदन को। परन्तु श्रीमन्, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मुझे वैधानिक आपत्ति है इस विधेयक पर और मुझे यह कहना है कि यह भारतीय संविधान के विपरीत है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक को वापस ले लें तो कहीं अच्छा होगा, नहीं तो बाद को चलकर यही आपत्तियां फिर उठेंगी। मैं श्रीमन्, आपका ध्यान भारतीय संविधान क आर्टिकिल ४७ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं---

"The State shall regard the raising of the level of the nutrition and the standard of living of its people and the improvement of the public health".

श्रीमन्, इस पब्लिक हेल्थ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

"As among its primary duties and, in particular, the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are in jurious to health".

आर्टिकिल ४७ भारतीय संविधान का डाइरेक्टिव प्रिन्सिपिल है। किसी भी सरकार को उस विषय पर कानून नहीं बनाना चाहिये जिससे जन-स्वास्थ्य पर उसका कुप्रभाव पड़े, पब्लिक हेल्थ या लेविल आफ न्यूट्रीशन पर कोई असर पड़ता हो, ऐसा विधेयक इस सदन को नहीं बनाना चाहिये। हो सकता है इसके बारे में यह कहा जाय कि भारतीय संविधान का जो डाइरेक्टिव प्रिन्सिपिल है वह किसी अदालत के जरिये एनफोर्स नहीं कराया जा सकता।

मैं अब आपका ध्यान अनुच्छेद ३७ की ओर आकर्षित करता हूं :

"37. The provisions contained in this part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws".

यह श्रीमन्, मेन्डेटरी है। यह सही है कि यह किसी अदालत के द्वारा एनफोर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ ही साथ यह किसी भी स्टेट के लिये लाजिमी है, मेन्डेटरी है। यह ऐच्छिक नहीं है, डिस्क्रीशनरी नहीं है कि वह इन फंडामेंटल और डायरेक्टिव प्रिंसिपिल्स को इगनोर करे या उन पर ध्यान न दे या उनके विपरीत कोई अधिनियम या कानून बनाये। अब प्रश्न यह उठता है कि पब्लिक हैल्थ पर असर कैसे पड़ता है? सारांश में मेरी आपत्ति यह है कि यह विधेयक आर्टिकिल ४७ के विरुद्ध है। और मुझे अब आपके समक्ष यह साबित करना है कि जो विधेयक लाया गया और जिसके द्वारा सांड़ और बैल जो १५ साल से अधिक आयु के हों वह मारे जा सकते हैं, या ऐसे बैल और सांड़ मारे जा सकते हैं जो कृषि कार्य के लिये या भार वहन के लिये अथवा प्रजनन के लिये बिल्कुल बेकार साबित हों, वह भी मारे जा सकते हैं चाहे उनकी अवस्था १५ साल से कम क्यों न हो। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि जो विधेयक आया है उसको पढ़ दूं। दो शर्तों में बैल और सांड़ मारे जा सकते हैं। एक शर्त तो यह है कि यदि वह १५ वर्ष से अधिक आयु का है और दूसरी यह है जो खंड ३ का उपखंड (३) (ख) में दिया है : "भार-वहन या किसी भी प्रकार का कृषि कार्य करने अथवा प्रजनन के लिये स्थायी रूप से अयोग्य हो गया है।"

अब मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेशीय सरकार ने किसी बुलेटिन में या किसी भी रिपोर्ट में यह नहीं लिखा कि बैल की उम्र कम से कम यह सरकार कितनी समझती है। हां, इस सम्बन्ध में यह कह सकता हूं कि एक डायरेक्टर साहब थे जिनका नाम था श्री कौरा जो डायरेक्टर एनीमल हस्बैंड्री थे उनका यह कहना है कि १२ साल तक तो अवस्था जानी जा सकती है उसके उपरान्त अवस्था जानने के लिये कोई उपाय नहीं है।

अब मैं श्रीमन्, आप के द्वारा वह रिपोर्ट भी सदन के समक्ष रखता हूं "कैटिल डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश"। कौरा साहब जो उत्तर प्रदेश में डायरेक्टर आफ एनिमल हस्बैंडरी थे, उन्होंने यह रिपोर्ट लिखी थी, उस में फैक्ट्स ऐन्ड फिगर्स के साथ डायग्राम दिया हुआ है। उन्होंने लिखा है कि :—

"At 11 years incisors appear smaller due to wearing out. At 12 years space appears between the teeth and the table is four-sided instead of oval. After this aging is difficult."

तो कौरा साहब भी यह कहते हैं कि १२ साल के बाद उनकी अवस्था नहीं बताई जा सकती। अब प्रश्न यह उठता है कि १५ साल के बाद आप उन बैलों को यह समझते हैं कि यह कृषि कार्य या प्रजनन कार्य के लिये अनुपयुक्त हैं या भार वाहन के कार्य के अयोग्य हैं और मारे जा सकते हैं। तो यदि कसाई ऐसे जानवरों का मांस वध कर के बेचता है तो वह कैसे मनुष्य के लिये लाभदायक और हितकर हो सकता है? मैं यह चुनौती देता हूं कि कौन बता सकता है कि उसकी अवस्था १५ साल की है या अधिक है। मैं केन्द्रीय सरकार का भी हवाला दूं, उनकी न्युटरिशन पर प्रिजरवेशन और कैटिल पर भी रिपोर्ट है, लेकिन कहीं भी यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि १५ साल के बूढ़े बैल को कटवा कर और उसका मांस बाजार में बिकवा कर सरकार कोई जनहित का काम करेगी। रही न्युटरिशन की बात। हो सकता है कि उससे थोड़ा सा प्रोटीन मिले लेकिन १५ साल से पहले जो प्रजनन के योग्य न होंगे, बूढ़े होंगे, कृषि के कार्य में नहीं आयेंगे उसके माने केवल यह होंगे कि वे रोगी होंगे और अगर वह रोगी बैल कसाइयों के हाथ सौंपे जायेंगे और अगर उनका मांस न्युटरिशन के लिये खिलाया जायगा तो वह किसी हालत में भी जन-स्वास्थ्य के लिये सही और उचित न होगा बल्कि अलाभकर, हानिकारक और सर्वथा अनुचित होगा। मैं तो कहूंगा कि यह बिल राष्ट्र के स्वास्थ्य पर कुठाराघात करेगा। अतः यह आर्टिकिल ४७ के विरुद्ध है और इसे सदन को किसी हालत में भी पारित नहीं करना चाहिये।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

इसी भारतीय संविधान में आर्टिकिल १६५ है जिस से कि कोई भी ऐसा मसला माननीय एडवोकेट जनरल साहब के सुपुर्द किया जा सकता है और उनकी राय मांगी जा सकती है। आर्टिकिल १७७ के द्वारा वह इस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं।

मैं श्रीमन्, आप के द्वारा सरकार से अनुरोध करूंगा कि एडवोकेट जनरल साहब को यह मसला रेफर किया जाय और उसके बाद वह सदन में, जिन के लिये एक सीट लगी है, बतायें कि आर्टिकिल ४७ किस तरह से इनफ्रिन्ज नहीं होता। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध नहीं करता, लेकिन श्रीमन्, चाहें तो मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करूं कि जो आर्गूमेन्ट्स सुप्रीम कोर्ट में किये गये हैं या आर्टिकिल ४८ के आधार पर किये गये हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो टेस्ट है वह आर्टिकिल ४८ के आधार पर है और १९(१) (जी) के आधार पर है। आर्टिकिल ४८ को मैं पढ़ता हूं :—

"The State shall endeavour to organize Agriculture and Animal Husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle".

अब १९(१) (जी) फंडामेंटल राइट्स के बारे में है—

"To practice any profession or to carry on any occupation, trade or business".

यह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का आशय यह है कि आर्टिकिल ४८ के अन्तर्गत यह चीज नहीं आ पाती है कि गाय, बछड़े और बछियों का जहां तक सम्बन्ध है वहां तक तो इस अधिनियम को वैध मानें और जहां सांड़ और बैलों का प्रश्न है उसको वैध न मानें और आधार था आर्टिकिल १९(१) (जी) जोकि आपकी सेवा में प्रस्तुत कर चुका हूं। अब मैं सुप्रीम-कोर्ट का जजमेंट पढ़ रहा हूं। उसमें यह है कि :—

"As regards the U. P. Act we uphold and declare for reasons already stated, that it is constitutionally valid in so far as it prohibits the slaughter of cows of all ages and calves of cows, male and female, but we hold tha tin so far it purports to totally prohibit the slaughter of breeding bulls and working bullocks without prescribing any test or requirement as to their age or usefulness, it offends against Art, 19(1) (*g*) and is to that extent void".

श्रीमन्, वह यह कहते हैं कि टेस्ट रिक्वायरमेंट न रहने की वजह से यह अधिनियम अवैध घोषित किया गया। जहां तक एज का प्रश्न है, यूटिलिटी का प्रश्न है, अवस्था और उपयोगिता का उस वक्त तक यह सदन सुप्रीम है। मैं उन्हीं के जजमेंट पर अपना केस आधारित करता हूं :—

"In our view the ban or slaughter of she-buffaloes, breeding bulls and working bullocks (cattle and buffalo) which are useful is reasonable but of those which are not useful is not valid. The question as to when a she-buffalo, breeding bull or working bullock (cattle and buffalo) ceases to be useful and becomes useless and unserviceable is a matter for legislative determination".

लिहाजा यह हमारे अधिकार क्षेत्र में है कि हम क्या अवस्था रखें और क्या रिक्वायरमेंट्स उसके वास्ते रखें। मुझे यह संदेह है कि सरकार की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी ठिकाने से नहीं की गयी। मुझे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय शिरोधार्य है, लेकिन आप यह चाहें कि अदालत मुवक्किल का मुकदमा खुद तैयार करके निर्णय दे यह संभव नहीं। आर्टिकिल ४८ बिलकुल इगनोर किया गया। जबतक कि यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी में रेफर किया जाय उस बीच में ऐडवोकेट जनरल से इस सम्बन्ध में राय ली जाय और सदन में हमको बतावें।

अब श्रीमन्, जैसा कि मैं अभी निवेदन कर चुका हूं कि अवस्था जो १५ साल की है वह बहुत ही कम है और इसके बारे में जानने के लिये जो कौरा साहब की रिपोर्ट है वह भी कुछ नहीं बताती है। कौड़ा साहब उत्तर प्रदेश के एनीमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे। सुप्रीम-कोर्ट के जजमेंट के २४ पृष्ठ पर यह है कि:—

"Instances are not uncommon, however, that to get an animal passed for slaughter, the teeth or the rings round the horns of the animal are tampered with and sometimes a cow is even maimed in order that she may be passed by the Veterinary Inspector as fit for slaughter".

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप संक्षेप में विषय पर वाद कीजिये क्योंकि बहुत से लोग बोलेंगे और आज ही यह दोनों विधेयक कार्य-क्रम के अनुसार समाप्त होने हैं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—आप जितना समय दें उसी के अन्दर समाप्त कर दूंगा

श्री अध्यक्ष—मैंने आपको इशारा किया है। आपको अधिकार है और आप संक्षेप में भाषण दे सकते हैं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—इस वजह से सरकार के पास कौन सा तरीका है जिससे वह बैल और सांड़ों की अवस्था जानने में समर्थ हो सके। आपके जो डायरेक्टर कौरा साहब थे उनकी रिपोर्ट यह है कि आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें हवाला है कि उनके सींग और दांतों को इस तरह से टैम्पर किया जाता है कि उनकी अवस्था जानना असंभव हो जाता है।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका नतीजा क्या होगा? मैं अपने पूर्व वक्ता से सहमत हूं कि बहुत से जानवरों के ऐसी चोट पहुंचा दी जायगी कि वह बेकार हो जायंगे जिससे कसाई के घर पहुंच सकें और इसके लिये कोई रोकथाम नहीं है। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी में आपने किस अधिकारी को रखा है वह भी हमारे सामने नहीं है। अतः यह बड़ी कठिनाई है और मैं चाहूंगा कि सदन इस पर ध्यानपूर्वक विचार करे और कोई हल निकाले।

श्रीमन्, जो गोवध-निवारण विधेयक बना हुआ था उसके अन्तर्गत इस बात का प्रतिबन्ध था और दफा ६ में इस बात का हवाला दिया हुआ है और उसके अलावा प्लानिंग कमीशन तथा गोसंवर्धन इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट हमें इस बात के लिये बाध्य करती है कि हम उत्तर प्रदेश तथा भारत में गोसदन खोलें और उनको चलायें जिसमें अनएकोनोमिक कैटिल रह सकें और यह अधिनियम १९५५ में आया तो इसके लिये दफा ६ अलग बना दी गई थी। उसमें यह था कि:—

"There shall be established by the State Government or by any local authority, wherever so directed by the State Government, institutions as may be necessary for taking care of uneconomic cows".

श्रीमन्, दफा ६ अपनी जगह पर यह कहती है कि गौसदन रखे जायंगे। लोकल बाडीज उनके लिये टैक्सेज लगाये, लेवी लगाये और प्लानिंग कमीशन भी यही चाहता है और गोसंवर्धन कमेटी की रिपोर्ट मौजूद है, उससे स्पष्ट है कि प्रदेशीय सरकार की यह नीति है कि गोसदन खोले जायं। श्रीमन्, अब तक काऊ की डेफिनीशन में बुल और बुलक भी सम्मिलित थे। लिहाजा इन गोसदनों में सांड़ और बैल भी मौजूद हैं। लिहाजा क्या अब उसके मानी यह होंगे कि गोसदनों में वह सांड़ और बैल जो रह चुके हैं वह कसाई के हाथ बेंच दिये जायंगे? क्या दफा ६ के उद्देश्य की पूर्ति में यह विधेयक है? इसको माननीय मंत्री जी कम से कम समझ लें कि इस विधेयक का परिणाम यह होगा कि अगर किसी गोसदन का बैल या सांड़ किसी कसाई द्वारा मारा जाता है तो आपका कानून कुछ नहीं कर सकता है

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

क्योंकि आपने काऊ की डेफनीशन में से बुल और बुलक निकाल दिया है और इसके पहले बुल और बुलक था। लिहाजा अगर यही करना था तो आपको सेक्शन ६ भी संशोधित करना चाहिये था।

अब यह देखना है कि जिस पर बड़ा हंगामा है कि बहुत से बैल और सांड़ ऐसे हैं जो कि हमारे देश में अनइकोनामिक हैं और ऐसे जानवरों को रखना कहां तक लाभप्रद है। मैं इसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानते हुये कहना चाहता हूं कि पंडित ठाकुरदास भार्गव ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा है कि ६३ करोड़ रुपये का गोबर और जो उससे खाद बनती है वह नैशनल इनकम में शुमार होती है प्रति वर्ष। इसी जजमेंट की दो लाइनें भी मैं पढ़ना चाहता हूं--

"Cattle urine is also useful for the nitrogen, phosphates and potash contents in it. In terms of money the dung and the urine will account for a large portion of the agricultural income in India. Indeed Pandit Thakurdas Bhargava appearing as amicus curiae has claimed Rs. 63,00,00,000 per year as the contribution of the dung of these animals to the national income".

यह भी अवस्था उनकी तब आती है कि जब वह कृषि में काम न कर सकें, जब कि परिश्रम की वह योग्यता न रखते हों और जब कि हम उनको अपने कामों से दूर रखने के लिये बाध्य हों। तो इस वक्त भी गोबर और पेशाब से ६३ करोड़ रुपये सालाना की आमदनी इस भारतवर्ष को हो रही है।

श्रीमन् जो मैं यह चाहता था कि यह विधेयक प्रवर समिति में जाय तो उसका उद्देश्य यही है कि इन कानूनी बातों पर विधिवत् विचार विनिमय हो नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं। सन १९५५ में एक अधिनियम बनता है जो कि १९५८ अवैध घोषित होता है और १९५८ में दूसरा अधिनियम बनता है वह १९५९ में अवैध घोषित होता है।

श्री अध्यक्ष--अब आप कृपया पांच मिनट के अन्दर खत्म कर दें।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--यह सच है कि माननीय मंत्री जी सिर्फ दफा तीन में संशोधन कर रहे हैं। लेकिन उसका परिणाम क्या होने वाला है इस पर भी गौर फरमायें। यह भी सच है कि यह संशोधन छः हफ्ते में पास हो जाना चाहिये। यह भी सच है कि अगर यह न पास हो तो क्या परिस्थिति हो सकती है। लेकिन मैं यह पूछना चाहता था कि आपका आर्डिनेंस न भी मौजूद रहे तब भी आप दूसरा आर्डिनेंस तो नहीं ला सकते क्योंकि दोनों हाउसेज सेशन में हैं, लेकिन एक दूसरा विधेयक ला कर सदन के समक्ष रख सकते हैं यह देखते हुये कि जो सांड़ और बैल मारे जायेंगे वह भी अवैधानिक होगा। इन सब चीजों का विचार करते हुये हमको एक कम्प्लीट विधेयक लाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि यह सम्मानित सदन इसको देखे और मेरी बातों को इसलिये न ठुकरा दे कि विरोधीदल की तरफ से यह बातें कही जा रही हैं। यह कायदे और कानून की बातें हैं और इसमें ऐसी बातें नहीं हैं जिससे तत्काल किसी का फायदा नजर आता हो। यह ऐसा प्रश्न है जिसको आप न्याय के आधार पर कसौटी पर देख सकते हैं कि कहां तक मैंने उचित बातें आपके सामने रखी हैं।

*श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल (जिला रायबरेली)--श्री मन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ एक प्रवर समिति को सौंपा जाय, जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो एक महीने के भीतर अपना प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करे।

श्रीमन्, जितनी बातें कानूनी थीं वह सब अवधेश प्रताप सिंह जी ने सदन के सामने प्रस्तुत कर दी हैं। मेरा इतना निवेदन है कि जो ऐक्ट पहले पास हुआ था उसको इतनी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जल्दी में पास किया गया था कि उसमें बहुत सी त्रुटियां रह गई थीं। उन त्रुटियों को दूर करने के लिये यह सदन के सामने रखा गया है। पुराने ऐक्ट में दफा २, ३ और ५ ऐसी थीं जिनमें कमी रह गई थीं। दफा ५ में अधिनियम बनाने वाले माननीय व्यक्तियों का यह मंशा था कि गोवध किसी प्रकार से न हो सके किन्तु उसमें भी ऐसी त्रुटि रह गई जिससे गोवध बराबर होता रहा और उसको रोकने का उपाय नहीं हो सका। इसलिये इस कठिनाई को सामने रखते हुये मैं चाहता हूं कि यह प्रवर समिति के सिपुर्द किया जाय।

अब मैं उन त्रुटियों की ओर इस आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उस ऐक्ट की दफा ५ में यह है कि--

"No person shall sell or transport or offer for sale or transport or cause to be sold or transported beef or beef products in any form except for such medicinal purposes as may be prescribed".

उसमें मन्शा यह नहीं था कि कोई गो मांस बेचेगा या बिकवायेगा या बेचने के लिये भेजेगा। परन्तु इसमें २, ३ लूप होल्स रह गये हैं। बिकवाने या बेचने का उनका अभिप्राय था, लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वयं लेकर चलता है या रेलवे बुकिंग में गोमांस भर कर ले आया और वह यह कहता है कि यह बेंचने के लिये नहीं है तो वह बच सकता है। जो लोग खुले रूप में दूकान पर बेचना चाहें या बेंचते हों तो वह पकड़े जा सकते हैं और उन पर मुकदमा भी चल सकता है।

दूसरी मिसाल यह है कि अगर कोई आदमी गोमांस लेकर बाजार में बैठ जाय और यह कहे कि यह बेंचने के लिये नहीं है या किसी को दान के रूप में देने के लिये है तो उस पर मुकदमा नहीं चल सकता है। इस प्रकार की त्रुटि इसमें रह गई है। श्रीमन्, मेरा यह निवेदन है कि यह इसमें जो आयु की बात कही गई है वह भी त्रुटिपूर्ण है। इसमें कहा गया है, कि १५ वर्ष की आयु या मुकम्मल अयोग्य हो। इन दोनों हालतों में किसी भी हालत के होने पर सांड या बैल को मारने के लिये उसको सर्टिफिकेट मिल सकता है। यह देखना है और दूसरे यह कि किस हालत में वह काम करने के योग्य नहीं रह सकेंगे। जैसा अभी अवधेशप्रतापसिंह जी ने रखा है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी है कि जानवरों को अगर ठीक से खिलाया नहीं जाता तो वे अयोग्य हो जाते हैं खेती के लिये, लेकिन अगर फिर उनकी सेवा की जाय तो वह खेती के योग्य हो सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री मोहनलाल गौतम--श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि दूसरे संशोधन भी ले लिये जायं। मेरा निवेदन यह था कि अगर सदन की यह राय हो कि यह एक प्रवर समिति को जाय तो सात दिन वाला प्रस्ताव तो ऐसा हो सकता है कि जिसको हम मंजूर कर सकते हैं क्योंकि ६ सप्ताह में आर्डिनेंस लैप्स हो जाता है और सदन की बैठक शुरू हुए दो सप्ताह बीत चुके हैं। तो अगर ७ दिन वाला प्रस्ताव मान लें तो यह बिल ऐक्ट बन सकता है समय के भीतर, नहीं तो आर्डिनेंस भी लैप्स हो जायगा और यह बिल ऐक्ट भी नहीं बन सकेगा।

श्री अध्यक्ष--यह कोई वैधानिक प्रश्न नहीं है, क्योंकि अगर प्रवर समिति में यह एक मास के लिये जाता है और प्रस्ताव इस प्रकार स्वीकृत हो जाता है तो सदन इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि इस बीच यह अध्यादेश खत्म हो जाय। सदन को यह भी अधिकार है कि अध्यादेश को वह लैप्स हो जाने दे। तो इसमें कोई वैधानिक आपत्ति नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी प्रवर समिति वाले प्रस्ताव को स्वीकार करने का इरादा रखते हैं तो मैं इतना कर सकता हूं कि जिस समय प्रवर समिति को सिपुर्द करने का प्रस्ताव पास हो जाय उस समय कोई संशोधन उपस्थित करने की मैं उनको इजाजत दे सकता हूं और इसीलिये मैंने समय बचाने के खयाल से यह तय किया है कि तीन तरह के संशोधन ले लिये हैं, एक घुमाने

[श्री अध्यक्ष]

के बारे में, दूसरा संयुक्त प्रवर समिति में भेजने के लिये और तीसरा प्रवर समिति जो इस विधान सभा की हो, के लिये। तो इसके बाद इनमें से जो प्रस्ताव स्वीकार होने वाला हो, उसके स्वीकार होने के बाद यह हो सकता है कि मैं अमेंडमेंट लाने की इजाजत दे दूं कि एक महीने के बजाय वह समिति ७ दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे। ऐसे संशोधन को मूव करने के लिये मैं इजाजत दे दूंगा अगर आप प्रवर समिति की बात स्वीकार करते हैं। तो यह बात तो आखीर में मालूम होगी कि आप स्वीकार करते हैं या नहीं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरा संशोधन लिया जायगा या नहीं।

श्री अध्यक्ष--मैंने कहा कि आपका संशोधन नहीं लिया जायगा। टीकाराम जी का भी तब लिया जायगा जब कि ऐसी आवश्यकता पैदा होगी।

श्री उग्रसेन--मंत्री जी ने इशारा किया है कि वह ७ रोज वाला मान लेंगे।

श्री अध्यक्ष--अभी उन्होंने कहा है कि एक महीने का समय रखने से यह अवैधानिक हो जायगा और जो आपका अध्यादेश है वह खत्म हो जायगा, इसलिये उन्होंने यह पूछा था कि क्या ऐसा संशोधन वैध है। उस पर निर्णय देकर यह भी मैंने कहा कि अगर वह प्रवर समिति वाले संशोधन को मान लेते हैं तो मैं मौका दे दूंगा कि अमेंडमेंट में अमेंडमेंट पेश कर सकें। (श्री रामलखन मिश्र से) आप केवल ५ मिनट बोलेंगे।

श्री रामलखन मिश्र--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे केवल ५ मिनट का समय मिला है और फिर भी मैं प्रयास करूंगा कुछ कहने का। इसमें गोवंश की अवस्था, उसकी उपयोगिता पर दृष्टि डालना और सक्षम प्राधिकारी के संबंध में विचार करना यह तीन बातें ऐसी महत्वपूर्ण हैं कि जिन पर बहुत गंभीरता से विचार करना होगा और इसलिये इसको जैसा कि प्रस्ताव है संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का, उसमें जाना आवश्यक होगा। इस समय यद्यपि अर्थनीति से सारा संसार संचालित है और सारा संसार अर्थ नीति से गाइड हो रहा है और उसी से प्रभावित हो कर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आज्ञा दी है, लेकिन इस देश में आज से ५,००० वर्ष पहले इन पशुओं की जो उपयोगिता थी उस दृष्टिकोण से यदि आप की आज्ञा हो तो संस्कृत के कुछ श्लोक मैं सुना दूं। गीता के पहले जिनको भगवान कृष्ण ने कहा था "गावः श्रेष्ठः पवित्राश्च पावना जगोत्तमा रित दधि घृताभ्याम नो--ग्रहे यज्ञाः प्रवर्तते पयसा हविषा दध्ना शकृत्यापि चर्म अष्टाभि चापि कुर्वन्ति बालिः सृग्रहि भारतः गोमिषतुल्यं न पश्यामि धनम् किंचित इहाच्युतः मातृसर्व भूतानाम् गा लोक सुखप्रदः"

आज भी गऊ के गोबर से लक्ष्मी की मूर्ति बनाई जाती है। वह एक अलंकार है कि उसके गोबर में इतनी शक्ति है। इस कारण से उपयोगिता पर विचार करते हुये हमें अनेक और भी दृष्टियों से देखना होगा। यद्यपि मैं जानता हूं कि हमारी केबीनेट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से प्रभावित होकर दूसरे प्रदेशों की नक़ल की है, कहीं १४ और कहीं १५ वर्ष लिया गया है। लेकिन हमारे प्रदेश में इस प्रश्न पर बहुत गम्भीरता से विचार करना होगा। इसी प्रकार उसके लिये सक्षम प्राधिकारी के संबंध में विचार करना होगा। इस पर भी विचार करना होगा कि गोवंश की रक्षा हम कैसे करते हैं यद्यपि इकानामी अपना काम करती है, सन् ३५ से ५१ तक, सैन्सस बताता है, भैंसें अधिक काटी गईं, गायों के ऊपर प्रतिबन्ध रहा। लेकिन फिर भी भैंसों की संख्या बढ़ी और गायों की घटी। खंड ३ का भाग (२) हो या (१) हो इन सबके ऊपर बहुत गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है

हमें इस सब कार्य के लिये संयुक्त प्रवर समिति बनानी होगी। कैबीनेट के लिये कोई ऐसी बात नहीं है कि वह अपने निर्णय पर ही डटी रहे। मेरा विश्वास है कि हमारे माननीय सदस्य और मंत्री जी इस बात से सहमत होंगे।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो आज बिल अपने सामने आया है इसे हम केवल यूटीलिटी की ही दृष्टि से नहीं देख सकते। गऊ के साथ हमारी लक्षावधि वर्ष से सारे समाज की और इस देश की परम्परा से भावनायें लगी हुई हैं। मैं आज आपके द्वारा अपील करूंगा कि इस देश में ९० फीसदी लोग ऐसे हैं जिनकी भावनायें गऊ के साथ हैं। मैं उन सबसे अपील करूंगा जो इसे केवल यूटीलिटी की भावना से देखते हैं कि इस पर भावनाओं की दृष्टि से भी देखें और अच्छा होगा कि वे अपनी भी भावना वैसी बनालें। इससे सुन्दर बात क्या होगी?

श्रीमन्, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मंत्री महोदय के विभाग ने एक ऐसा अधूरा बिल या संशोधन लाकर रख दिया। आवश्यक था कि इतने गम्भीर बिल पर ठीक से विचार किया गया होता। दुनिया के सभी देशों में हरेक समाज का एक एम्बलम या सिम्बल हुआ करता है चाहे उसकी यूटीलिटी हो या न हो। रूस में जहां कि अर्थवादिता इतनी विशेषता रखती है, वहां भी भालू को राष्ट्र का प्रतीक बनाया है। वहां उसे हानि पहुंचाना जुर्म करार दिया गया है। अमरीका में ईगिल को बनाया है और उसके बचाव के लिये सब तरह के प्रयत्न किये जाते हैं। हमारे यहां भी गोवंश इसका सिम्बल रहा है। इसलिये इसके ऊपर कम्पलीट बैन होना चाहिये। मान लिया एक मिनट के लिये कि सुप्रीम कोर्ट की किसी प्रकार की रूलिंग हुई, और उससे मंत्रिमंडल को बाध्य होना पड़ा। परन्तु फिर भी, बिल में है कि कौन सर्टिफिकेट देगा। इसमें अथारिटी या अथारिटीज रखा है। वह स्पष्ट नहीं है। क्या इसके मानी हैं कि विटैरिनरी डाक्टर होगा? आज अपने प्रांत में भ्रष्टाचार का हल्ला मचा हुआ है। हो सकता है कि लोग उसे पैसा देकर या सिफारिश पहुंचाकर सर्टीफीकेट ले लें। इसलिये मैं चाहूंगा कि वेटैरीनरी डाक्टर हो और उसके साथ कम से कम तीन आदमी जनता के अन्दर से हों जिनकी क्वालीफीकेशन ऐसी होनी चाहिये कि जो गऊशालाओं से, गोसंवर्धन से, संबंध रखते हों। जब ये लोग यूनानिमस सर्टीफीकेट दें तभी उस पर विचार किया जाय।

उन्होंने जुरिसप्रुडैंस का इसमें हनन किया है। उन्होंने इसमें रखा है कि "सक्षम प्राधिकारी की इस धारा के अधीन प्रमाण-पत्र जारी करने की अस्वीकृति की आज्ञा से, असन्तुष्ट कोई व्यक्ति, आज्ञा के दिनांक से १५ दिन के भीतर, राज्य सरकार के पास उसके विरुद्ध अपील कर सकता है तथा राज्य सरकार उस पर ऐसी आज्ञा दे सकती है जो वह उचित समझे।" इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी की दरख्वास्त कत्ल करने की रिजैक्ट हो गई तो वह अपील कर सकता है, लेकिन अगर किसी ने यह दरख्वास्त दी कि यह पशु जिसके लिये कहा जाता है कि १५ या १८ वर्ष का है, यह बात गलत है और उसकी अर्जी रिजैक्ट हो जाय तो उसे अपील का अधिकार नहीं है। मैं चाहूंगा कि उसे भी अपील का अधिकार हो।

दूसरे, अपील होगी एग्जीक्यूटिव के यहां। हमारे प्रान्त में जुडिशियरी मौजूद है। क्यों नहीं जज को या मुन्सिफ़ के यहां अपील का अधिकार दिया जाय जिससे स्पष्ट न्याय हो? इसलिए आवश्यक है कि जहां भावनाओं का प्रश्न हो और जुरिसप्रूडेंस का सवाल भी हो, जहां हमारे राष्ट्र के सिम्बल का प्रश्न हो, ऐसे मसले पर बहुत ही गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। उस विचार के लिये जो संशोधन हैं कि इसे संयुक्त प्रवर समिति में भेजा जाय, भेज देना आवश्यक है जिससे सब प्रकार की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये, हरेक मनुष्य को न्याय के साथ न्याय प्राप्त कराते हुये हम इस विधेयक को फिर यहां लावें। जहां मनुष्य को न्याय का अधिकार है वहां पशुओं को भी होना चाहिये। उनमें भी लाइफ है। परन्तु जितना हम मनुष्य के बारे में सोचते हैं उतना ही हम पशुओं के बारे में कुअल हैं।

[राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे]

फिर यूटिलिटी की बात कही जाती है। यदि जानवरों के लिये कहा जाता है तो फिर बुड्ढे मनुष्यों को भी रखना नहीं चाहिये। उनकी भी युटिलिटी कुछ नहीं होती और एक अवस्था के बाद वे भी बेकार हो जाते हैं। यूटिलिटी का सिद्धांत बड़ा भीषण सिद्धान्त है। भावनाओं का भी कुछ महत्व है। भावनायें यूटिलिटी के पहले आती हैं।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अथारिटी के बारे में, जुडिशियल अफसर के यहां अपील क बारे में सोचें और उस हालत में इस विधेयक का स्वरूप ही बदल सकता है। उसकी आवश्यकता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसे संयुक्त प्रवर समिति में भेजे जाने के लिये तैयार हो जावें।

श्री अध्यक्ष—मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इस विधेयक को वह प्रवर समिति में भेजना चाहते हैं या नहीं?

श्री मोहनलाल गौतम—श्रीमन्, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है अगर यह आर्डिनेंस ६ हफ्ते के अन्दर पूरा कानून बन जाता है।

श्री अध्यक्ष—तो मतलब यह है कि आप ७ दिन वाला प्रस्ताव स्वीकार करेंगे?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां।

श्री अध्यक्ष—(श्री मोहनलाल गौतम से) क्या आप ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में भेजना चाहते हैं?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, वही ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष—तो उसके बारे में संशोधन श्री अवधेशप्रताप सिंह जी का है। वही पेश करेंगे। माननीय उग्रसेन जी को टीकाराम जी का संशोधन पेश करने की आवश्यकता नहीं है। वे बोलना चाहेंगे तो बोल अवश्य सकते हैं। श्री जगदीशशरण अग्रवाल सवा दो बजे भाषण देंगे।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में मुझे कई बार यह निवेदन करने का अवसर हुआ है कि यहां जिस तरह से कामरोको प्रवृत्ति बढ़ रही है, प्रवर समिति की मांग की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है, लकिन प्रस्तुत संशोधन विधेयक ऐसे महत्व का है कि मैं स्वयं यह समझता हूं कि इसका एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना उचित ही नहीं नितान्त आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष—आप कोई संशोधन उपस्थित करना चाहते हैं?

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—जी हां, यदि आज्ञा हो।

श्री उपाध्यक्ष—तो उसे पेश कर के ही भाषण करें।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से श्री अवधेशप्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन में यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि—

> "पंक्ति २ में शब्द 'किया जाय' के बाद के शब्द 'और यह' से लेकर पंक्ति ३ के शब्द 'दिन में दें' तक निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर शब्द "जो अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह क अन्दर दे।' रख दिये जायं।"

श्रीमन्, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया, यह विधेयक इतने महत्व का है कि इसकी आवश्यकता है कि यह प्रवर समिति में जा कर अच्छी तरह से देखा जा सके। विधान सभा द्वारा यह विधेयक एक बार पारित हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में कठिनाई पड़ चुकी है और इसीलिये यह विधेयक फिर सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है। यह सरकार जो चाहती थी या इस बहुमत के लोग जो चाहते थे उसका प्रतीक तो वह विधेयक था जो सन् १९५५ में इस सरकार द्वारा प्रस्तुत हुआ और इस माननीय सदन द्वारा पारित हुआ। आज जो संशोधन विधेयक इस सदन के सामने उपस्थित हुआ, उसका एकमात्र कारण सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में यह घोषित किया गया है कि इसका वह हिस्सा जिसके द्वारा बैलों के लिये बिना उनकी उपयोगिता और उनकी आयु का प्रतिबन्ध लगा हुआ है, जो उसका वध निषेध किया गया है, वह अवैध है, इसी कारण यह आवश्यकता पड़ी कि यह संशोधन विधेयक लाया जाय। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा उन माननीय सदस्यों की सेवा में जो इससे पहले पारित हुए विधेयक के लक्ष्य से तो सहमत हैं, लेकिन जिन्होंने उसे समिति में जाने के लिये ४५ दिन या इससे अधिक का प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि यदि वह प्रस्ताव उस रूप में पास हो जाय तो उसमें कठिनाई यह पड़ेगी कि वह आर्डिनेंस ६ हफ्ते के अन्दर कानून के रूप में नहीं बन पायेगा। उसका परिणाम यह होगा कि कदाचित् जो उनका लक्ष्य व उद्देश्य है वह डिफीट हो जायगा और उसका परिणाम यह होगा कि जो पुराना वाला कानून जिस हद तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा अवैध घोषित हो चुका है, वह तो अवैध रहेगा ही, लेकिन जो नया आर्डिनेंस है, वह भी डिफंक्ट हो जायगा, अवैध हो जायगा और जो उनका लक्ष्य है, जो उद्देश्य है उसके यह विपरीत होगा, सारे बैलों का वध वैध रह जायगा। इसलिये मैं बड़े आदर के साथ उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे मेरे इस संशोधन को अवश्य स्वीकार करें।

इसके अतिरिक्त मुझे केवल इतना निवेदन करना है कि हमारे भारतवर्ष का यह दुर्भाग्य है कि यहां गायों के लिये इतनी अच्छी भावनायें हैं जिसका अभी सदन में संकेत भी किया गया और जो हमारी भारतीय संस्कृति में निहित भी है, लेकिन इन सब बातों के होते हुये भी हमारे यहां की गायों का एवरेज मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम है। हमारे यहां दूध का वार्षिक एवरेज प्रोडक्शन ४१३ पौंड है जब कि ८ हजार पौंड वार्षिक दूध का एवरेज प्रोडक्शन यू० एस० ए० में है। एक ऐसा देश जहां गायों की इतनी भक्ति होती है, जहां गाय के लिये इतना आदर व भावना हो वहां साल भर में ४१३ पौंड दूध प्राप्त हो सके और दूसरे मुल्कों में जहां उतनी भावना न हो, लेकिन उपयोगिता की दृष्टि से देखा जाता है तो वहां ८ हजार पौंड दूध एक वर्ष में औसतन प्राप्त होता है।

जहां तक दूध के कंजम्पशन का सवाल है हमारे प्रान्त में पिछले फाइव ईयर प्लान में जो अनुमान लगाया गया था वह ५.५ औंस पड़ता है जब कि इंडियन कौंसिल आफ एग्रिकल्चरल रिसर्च की न्युट्रिशन कमेटी जो बनी थी उसकी सिफारिश थी कि कम से कम १० औंस होना चाहिये। मैंने इन बातों का सदन के सामने बहुत संक्षेप में जिक्र करना चाहा।

आज इस विषय में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि हर वह कदम उठाया जाय जिसके द्वारा हमारे यहां दूध की वृद्धि हो और हमारी नसलों व देश के लिये दूध अधिक मिल सके, उसके लिये गो वध निषेध भी एक कदम हो सकता है। और भी बहुत से कदम उठाने पड़ेंगे और उठाने की बात चल रही है।

मुझे जरा आश्चर्य हुआ जब मैं दुबे जी का भाषण सुन रहा था। मैं तो समझता था कि भावनाओं की बात से शुरू कर के वे इस बिल का आमूल विरोध करेंगे। वे कहेंगे कि वध बुलक्स का किसी भी अवस्था में होना ही नहीं चाहिये, लेकिन मुझे संतोष हुआ यह देख कर कि उन्होंने इसका आमूल-चूल विरोध नहीं किया। केवल उन्होंने कुछ सुझाव रखे और माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना की कि वे संयुक्त प्रवर समिति में इन सुझावों पर विचार करें। संयुक्त प्रवर समिति में ले जाने के माने यह होते हैं कि वे सिद्धान्ततः इस विधेयक का

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

समर्थन करते हैं। वास्तव में तो इस सदन की जो इच्छा थी वह तो जो विधेयक पहले पारित हो चुका है उसमें उसका प्रत्यक्ष प्रतिबिम्ब मिलता है, लेकिन जो वैधानिक कठिनाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर हमारे सामने आई है उसको हमें किसी न किसी तरीके से दूर करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट न तो यू० पी० सरकार के जुरिस्डिक्शन में है और न किसी और सरकार के जूरिस्डिक्शन में है। उसका जो भी फैसला है वह मान्य रहेगा ही। मैं तो यह चाहूंगा जो प्रवर समिति बने वह इस मौलिक बात को ध्यान में रखे कि हमको एक ओर तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बाधा उत्पन्न हुई है उसको ओवरकम करना है और दूसरी ओर उन भावनाओं, विचारों और लक्ष्यों को जिनको समय-समय पर इस सदन के अधिक से अधिक सदस्य प्रबल से प्रबल शब्दों में व्यक्त करते रहे हैं, प्रतिपादित करना है, इन दोनों का जिस प्रकार भी सामंजस्य हो सके अधिक से अधिक मात्रा में वही एक उसका सुन्दर रूप होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि ३ बजे इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का जो प्रस्ताव है वह खत्म हो जायगा, अतएव माननीय सदस्य (कुंवर श्रीपाल सिंह से) ५ मिनट से अधिक भाषण न करें।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अवधेशप्रताप जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि गोवंश से हमारा क्या लाभ होता है। एक गाय और एक जोड़ी बैल से हमारा कितना लाभ होता है, कितने मनुष्यों का पालन पोषण होता है तथा उनके मारे जाने से उनके मांस के खाने से कितने आदमियों की तृप्ति होती है यह मैं सदन को बताना चाहता हूं। श्रीमन्, एक गाय कम से कम २ सेर दूध देती है और अगर ज्यादा से ज्यादा देखा जाय तो २० सेर देती है। यानी औसत ११ सेर दूध फी गाय का आता है। १ गाय छः महीने कम से कम और ज्यादा से ज्यादा १८ महीने तक दूध देती है। इस हिसाब से औसत जो आता है वह करीब १२ महीने का आता है फी गाय के दूध देने का। तो ११ सेर फी गाय और १२ महीने तक दूध देने के औसत से हिसाब लगाया जाय तो फी गाय ९९ मन दूध सालाना होता है। अब अगर इस दूध में एक छटांक चावल और एक छटांक शकर फी सेर के हिसाब से मिला कर खीर बनायी जाय तो उस खीर से औसतन् अगर एक आदमी दो सेर खाय तो १९८० आदमी एक बार खा सकते हैं। इस प्रकार एक गाय कम से कम ८ बार बियाती है और ज्यादा से ज्यादा १८ बार बियाती है। इसका अगर औसत निकाला जाय तो १३ बार आता है। इस १३ बार के औसत से अगर दूध का औसत निकाला जाय और फिर उतने दूध में कितने आदमी एक बार भोजन कर सकेंगे एक बार उनको तृप्ति हो सकेगी, इसको देखा जाय तो २५,७४० आदमी आते हैं। तो एक गाय के पूरे जीवनकाल में जितने आदमियों को उससे तृप्ति हो सकती है वह संख्या है श्रीमन् २५,७४० और अगर उस को मार दिया जाय तो उस के मास से केवल ८० आदमी भोजन कर सकते हैं अधिक से अधिक यह औसत नहीं है और वह २५,७४० औसत है। तो इस प्रकार यह देखा जाता है कि एक गाय के जिन्दा रहने से कितने आदमियों का लाभ होता है और उसके मार देने से कितने आदमियों को लाभ होता है, इस पर विचार किया जाय तो उसका जिन्दा रहना कई हजार गुना अच्छा है।

इसी प्रकार श्रीमन्, बैलों को देखा जाय। एक जोड़ी बैल से दोनों फसलों में मिला कर के २०० मन अन्न साल में उपजाया जाता है। अगर इन बैलों की औसत उम्र काम करने लायक ८ वर्ष मान ली जावे तो १६ सौ मन अन्न हुआ। अगर एक आदमी ३ पाव के हिसाब से अन्न खाये तो १६ सौ मन अन्न में ८५,३३३ आदमी एक बार भोजन कर सकते हैं। यानी एक जोड़ी बैल जो है वह अपने जीवन भर में ८५,३३३ आदमियों को भोजन देता है और अगर उसको

मार दिया जाय दोनों को तो वही ८० के हिसाब से १६० आदमी भोजन कर सकेंगे। यह तो श्रीमन्, रहा आर्थिक दृष्टिकोण। इससे अगर विचार किया जाय तो गाय और बैल के जीने से कितने लाभ हैं, यह इस प्रकार मालूम होता है।

दूसरी चीज यह है श्रीमन्, जो दो कारण बतलाये मंत्री जी ने कि किन कारणों से यह विधेयक लाना पड़ा, उसमें उन्होंने एक चीज यह कही कि सुप्रीम कोर्ट ने यह प्ली ली है कि वह जानवर जो बेकार हो गए हों वह मार डाले जायं, उनको मारने के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये, तो मैं अब थोड़ी सी बात मनुष्यता की निवेदन करना चाहता हूं। मनुष्य होने के नाते एक इतने उपयोगी जानवर, जिसने अपनी जवानी अपनी सारी शक्ति हमारे लिये व्यर्थ में फूंकी, मेहनत उसने की, कलेजा उसका फटा मिट्टी को चीरते हुये हलों से, उसके उपजाये हुये अन्न को हमने खा लिया और उसे भूसा खिला दिया। मगर फिर भी वह बेचारा यों ही मरता रहा और काम करता रहा और हम इतने कृतघ्न हो गये कि जब उसकी कार्य क्षमता कम हो गई तो हम यह कानून बनाने के लिये बैठे हैं कि उसे मार डालें। श्रीमन्, अगर यही कृतघ्नता है तो हम कहते हैं कि यह कानून हर आदमी के लिये, जीवमात्र के ऊपर क्यों न लागू कर दिया जाय? मनुष्यों के ऊपर भी लागू किया जाय। हमारी सरकार ने सरकारी नौकरों की कार्य करने की अवस्था ५८ साल रखी है। तो उस आयु के बाद उन्हें भी फांसी दे दी जाया करे, क्योंकि वह बेकार अन्न खाते हैं। मंत्री लोग जो हैं उनके लिये समय का प्रतिबन्ध नहीं है माना मैंने। मगर दूसरा प्रतिबन्ध जो इसमें रखा गया है कि प्रजनन शक्ति की हीनता के कारण मारे जा सकते हैं, उसमें तो मंत्री लोग आ ही जायेंगे। तो इस प्रकार कोई भी इससे नहीं बच सकता। अगर आदमियों के ऊपर भी इसे लागू कर दें तो कोई बात नहीं है, कृतघ्नता तब नहीं रहेगी। कम से कम इस दोष से बच जायेंगे। जिसका उपजाया हुआ अन्न खाकर तगड़े हुए, घी, दूध खाकर तगड़े हुए और देश की आजादी में लड़े ताकत होने की वजह से, वह न कर पाते अगर ताकत न होती...

श्री उपाध्यक्ष--समय की तरफ़ जरा ध्यान दीजिये।

कुंवर श्रीपालसिंह--बहुत अच्छा। तो मुझे इतना ही निवेदन करना था। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करके, और इतना ही नहीं कि जो उसमें संशोधन रखे गये हैं उन्हीं के ऊपर विचार करें, बल्कि पूरे विधेयक पर विचार करें और कुछ ऐडवोकेट जनरल वगैरह की भी राय इस किस्म की लें जिससे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है उसको बचाते हुए कोई ऐसा रास्ता निकल आवे जिससे गोवध कतई बन्द हो सके।

श्री उपाध्यक्ष--(श्री नारायणदास पासी से) कृपया आप ५ मिनट ही लीजियेगा क्योंकि बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में तय हुआ है कि यह बिल ३ बजे तक खत्म हो जायगा

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, जिनके संशोधन हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय ने रूलिंग दी है....

श्री उपाध्यक्ष--हां, तो ५ मिनट ही आपको मिलेंगे, क्योंकि इतने समय में काफी बातें कह सकते हैं।

श्री नारायणदास पासी (जिला फैजाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर विचार प्रकट करने के लिये आपने मुझे अवसर दिया।

श्रीमन्, जिस वक्त हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद हमारे कांग्रेस के महान् नेताओं ने देश की जनता व दलों की सर्वसम्मत राय से एक संविधान बनाया जिसमें अपन

[श्री नारायणदास पासी]

देश और प्रदेश के सर्वतोन्मुखी उन्नति के लिये बहुत सी बातें रखीं गईं। जिस वक्त गोवध निवारण बिल १९५५ में आया तो इसका आधार यह था कि जो संविधान का अनुच्छेद ४८ है उसके ऊपर यह निर्धारित था। उसको मैं आप की सेवा में पढ़ कर सुना देना चाहता हूं।

"४८--राज्य कृषि और पशु पालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संघटित करने का प्रयास करेगा तथा विशेषतः गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक ढोरों की नस्ल के परिरक्षण और सुधारने के लिये तथा उनके वध का प्रतिषेध करने के लिये अग्रसर होगा।"

इस धारा पर यह बिल आया हुआ था। लेकिन पहला कदम जो सरकार ने उठाया वह गाय और उसके वंश का उठाया। तो श्रीमन्, जिस वक्त यह कदम उठाया गया, मैं आप से कहना चाहता हूं इसका असर यह पड़ा कि देश और प्रदेश में एक प्रसन्नता का लहर छा गयी कि हमारी सरकार ने एक बहुत न्यायपूर्ण काम किया है। क्योंकि गोवंश अनुपयोगी होता ही नहीं और यही नहीं बल्कि श्रीमन्, आज से नहीं सदा से मानव हम कहलाते हैं, मनु जी ने मानवता के प्रति मनुष्यों को कहा और आज से हजारों वर्ष पहले कहा है:--

१--धर्मं शनैः साञ्चिनुयाद् वाल्मीकमिव पुत्तिकाः।
परलोकसाहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन्।।

२--नामुत्रहि साहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः।
न पुत्रदारं न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः।।

३--मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्टसमं क्षितौ।
विमुखा वान्धवा यान्ति धर्मस्तानुद्गच्छति।।

इस तरह से मनु भगवान ने कहा कि किसी भी जीव का मनुष्य को वध नहीं करना चाहिये। इतना बड़ा सिद्धान्त और त्याग हमारी भारतीय संस्कृति का है उसको ध्यान में रखकर हमने सन् १९५५ में गोवंश की रक्षा का कदम उठाया। लेकिन जैसे ही आजादी के बाद हमने जमींदारी एबालिशन किया वैसे ही यहां के राजाओं और ताल्लुकेदारों और जमींदारों ने उसमें एक अड़ंगा पैदा कर दिया और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और ऐसी अड़चनें पैदा कीं कि हमें संविधान को संशोधित करना पड़ा और तब हम जमींदारी एबालिशन को स्कीम को कायम रख सके। यह भी एक अहम सवाल है, यह सवाल इस प्रदेश का ही नहीं वरन सारे भारतवर्ष का और विश्व का सवाल है। यदि हम इस बिल में यह मान लेते हैं कि गोवंश का वध होना चाहिये तो वह बड़ी शर्म की बात होगी और खास तौर से इस वजह से होगी जब हम कहेंगे कि बैल की जोड़ी हमारा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। जिस वक्त हम जनता के सामने जांयगे तो लोग कहेंगे कि आपने बैलों पर छूरा चलाने की आज्ञा दी है।

समय कम है, मैं इस विषय पर काफी बोलना चाहता था, लेकिन केवल ५ मिनट ही मिले हैं। मेरा सुझाव है कि हमारी प्रदेशीय सरकार द्वारा इस विषय में केन्द्रीय सरकार से कहा जाय कि वह संविधान में तब्दीली करे और जिस तरह से जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की अड़चनों को खत्म किया था उसी तरह से संशोधन करके गोवंशवध का निषेध करे। मैं भी इस शर्त के साथ चाहता हूं कि संयुक्त प्रवर समिति में जाय और वहां पर मेरे इस सुझाव पर भी विचार किया जाय कि यह सरकार क्या कर सकती है जिससे यहां पर गोवंश को बचाया जा सके। यह उत्तर प्रदेश भगवान राम, कृष्ण और भगवान शंकर की भूमि है और यह प्रदेश इस मामले में किसी से भी पीछे न रहेगा, हमारे यहां गायों, बैलों को स्त्रियां पूजती हैं, हमारे यहां जब विवाह होता है तो गौरी और लक्ष्मी गोबर की बनाकर पूजा की जाती है और बिना गौरी पूजा के व्याह सम्पन्न नहीं होता और मरते समय तक गोदान किया जाता है। जब

हमारे यहां शिवलिंग की पूजा होती है तो उनके वाहन की जो बैल है, पूजा होती है। हमारे जीवन में गौ का बहुत ही अधिक उपयोग है, दूध के अतिरिक्त उसका मलमूत्र तक मनुष्य के काम की वस्तु है उसका चमड़ा और अस्थि तक काम में आती है।

आखिरी बात मैं यह कहूंगा कि हमारी तीन मातायें हैं, वह हर मनुष्य की होती हैं, हमारी पहली माता वह है जिसके उदर से हमने जन्म लिया है और दूसरी माता हमारी यह पृथ्वी है जिस पर हम जन्म लेने के बाद आकर गिरे, वह पृथ्वी या धरती माता कहलाती है। तीसरी माता वह है जो हमें अपनी मां के दूध के बाद दूध पिलाती है वह है गौमाता। अपनी इस तीसरी माता की गोवंश की रक्षा करने में यह देश कभी भी पीछे नहीं रहा है। मुझे आशा है कि सरकार संयुक्त प्रवर समिति में हमारे सुझाव पर विचार करेगी।

श्री उग्रसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण बिल के सम्बन्ध में मैंने भी एक संशोधन दिया था जिसके द्वारा मैंने आग्रह किया था कि इसे प्रवर समिति के समक्ष भेजा जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपनी रपट दे दे। माननीय मन्त्री जी ने भी इसे संयुक्त प्रवर समिति में भेजने की बात का समर्थन किया है और उनको इस पर कोई आपत्ति नहीं है। जैसा कि इसके उद्देश्य और कारणों से पता चलता है यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे मैं उनको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना माना है कि गाय और बछिया आदि जो जानवर हैं उनका वध न हो, जो वह चाहते हैं उसको उन्होंने माना है। सिर्फ इतना ही नहीं माना है कि दूसरा अंश जो बैलों और सांड़ों के बारे में है उसको भारतीय संविधान की दृष्टि से अवैध कर दिया है। इस सम्बन्ध में मैं पहले यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय मन्त्री जी से कि मुझे ऐसा लगता है कि यह बिल बहुत जल्दी में ड्राफ्ट किया गया और उसका सबूत मैं एक बात से जानना चाहूंगा माननीय मन्त्री जी से कि यह जो १५ वर्ष लिखा गया है कि १५ वर्ष तक या १५ वर्ष के बाद बैलों के प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट मिलेगा और उनका वध किया जायगा, तो इस प्रकार का सर्टिफिकेट किस टेक्निकल ओपीनियन के आधार पर रखा गया है? मैं जानना चाहूंगा कि औसत आयु कितनी होती है? मैं समझता हूं कि १०–१२ वर्ष से ज्यादा औसत उम्र, जो बैल हल में चलते हैं उनकी नहीं होती। क्योंकि हम तो किसान हैं, तो फिर इसमें १५ वर्ष किस टेक्निकल ओपीनियन के आधार पर रखा गया है?

कई सदस्य—२० साल।

श्री उपाध्यक्ष—शान्ति रहनी चाहिये। माननीय मन्त्री जी जवाब दे लेंगे।

श्री उग्रसेन—हो सकता है कि हमारी और आपकी जानकारी में फर्क हो, मगर टेक्निकल ओपीनियन क्या है?

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि अभी हमारे दुबे जी कह रहे थे कि हमारा देश भावनाओं का देश है। इसमें कोई शक नहीं श्रीमन्, मगर मैं आपके द्वारा एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी बहुत सी जगहों पर गोशालायें हैं, उनकी जितनी दुर्गति आज इस प्रदेश में है उतनी किसी की नहीं होगी। जितनी बुड्ढी गायें आती हैं वह रख दी जाती हैं और एक आदमी रख दिया जाता है चार आना पैसा देकर, वह उतने पर चरवाही करता है और इस प्रकार जिन्दा गाय, बैल और सांड़ गोशालाओं में मारे जाते हैं। क्या इसका पाप प्रदेश की सरकार पर नहीं पड़ेगा? बराबर अपोजीशन की ओर से मांग की गयी कि ये गोशालायें और गोसदन बढ़ाये जायं और घुला-घुला कर जो हमारे मवेशी मारे जाते हैं उनको रोका जाय, लेकिन उस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया। मैं सिर्फ भावनाओं में बहना नहीं चाहता। हां, मैं मानता हूं कि गाय हमारी माता है, हमारा एम्बलम है, प्रतीक है, यह सब मानता हूं और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है।

आज हमारे एक माननीय सदस्य ने अभी बताया कि अगर यह विधेयक पास हो गया तो सन् १९६२ में गड़बड़ी हो जायगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना में लाइव-स्टाक की, ढोरों की यूटिलिटी को बहुत बड़ा श्रेय दिया गया है। अगर उनके प्रजनन

[श्री उग्रसेन]

में, नस्ल सुधार में, रक्षा में और यूटिलिटी में सरकार अपना कोई साफ दृष्टिकोण रखती है तो उसको इस बिल में लाना चाहिए, यह मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक धुबे जी का सवाल है भावनाओं का तो मैं भावनाओं के प्रदेश में नहीं भटकना चाहता हूं। मैं यह मानता हूं कि इस समस्या का सम्बन्ध स्पिरिट से नहीं है, मैटर आफ फैक्ट से है, इसलिये जब यह विधेयक आया तो मैं मन्त्री जी से आशा करता हूं कि जो यूटिलिटी का प्वाइंट आफ व्यू है उसको ध्यान में रखेंगे।

बिल के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि प्रमाणीकरण का अधिकार जो जिले में एक अधिकारी को दिया जाता है वहां सब लोग जो इस किस्म का पेशा करते हैं अपनी दरख्वास्त लायेंगे और उसके प्रमाणीकरण कराने में उनको बड़ी कठिनाई होगी। वह कोई टेक्निकल आदमी होंगे नहीं। अगर खराब पशु आया तो अच्छा प्रमाणित कर दिया और अच्छा आया तो खराब किया। तो इसमें बहुत सी अनियमितताएं हो सकती हैं, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा था, और बहुत सी गल्तियां हो सकती हैं। तो इसके सम्बन्ध में चाहे कोई गैर सरकारी कमेटी हो, जैसे लाइव-स्टाक ऐडवाइजरी कमेटी है, ताकि इसमें किसी किस्म का भ्रम या गलती न हो। तो इस प्रकार सलाह देने के लिये कोई प्रबन्ध अवश्य करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि समय की तरफ भी देखेंगे, बाकी प्रवर समिति में आप को मौका रहेगा।

श्री उग्रसेन—वहां मैं जरूर कहूंगा। मैं आशा करता हूं कि इस बिल को जब प्रवर समिति में भेजा जाय तो उसके पहले इस पर और ज्यादा टेक्निकल ओपीनियन ले ली जाय, तब इसपर ज्यादा प्रकाश पड़ सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष—श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, आप बस ४ मिनट ले लें तो हमारा काम आसान हो जाय।

*श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस विधेयक का विरोध कर रहा हूं, इस नाते कि यह भारतवर्ष एक बहुत पुण्य पवित्र देश है और उत्तर प्रदेश इसका एक हृदय है। यहां पर २४ अवतार हुए हैं और इसको धर्म-परायण देश कहा जाता है। यहां गो वध बन्द न हो यह हमारे और आप सब के लिये बड़ी लज्जा की बात है। हमारे इस स्वतंत्र भारत में अच्छे से अच्छे कानून बने, लेकिन गौ वध बन्द न होने से एक कमी रह गयी थी और सब लोगों का ध्यान उधर जाना चाहिये था। इसके बारे में पुराण भरा पड़ा है, समय बहुत ही कम है और हमको केवल चार मिनट ही दिये गये हैं और उसी के अन्दर हमको समाप्त करना है।

श्रीमन्, यदि हम अपने देश को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं तथा दुर्भिक्ष और दरिद्रता से बचाना चाहते हैं तो गौ वध का निषेध करना चाहिये। धार्मिक दृष्टिकोण से न भी लें तो भी इस दृष्टिकोण से देखें कि खेती की समस्या बड़ी जटिल है और उसमें भी इसकी आवश्यकता है। श्रीमन्, यदि भारत के संविधान के अनुसार यह न हो सकता हो तो इस में संशोधन करने के लिये एक सभा बिठानी चाहिये। मन्त्री महोदय की इस मामले में जानकारी बहुत अल्प है और वह इसे मानते हैं कि जब तक हमारे प्राचीन ग्रन्थों और पद्धति का अनुसरण नहीं किया जायगा तब तक इस मसले पर पूरी तरह से विचार नहीं किया जा सकता है। ऐसी दशा में यदि मैं श्लोक सुनाऊं तो दो तीन घंटे गाय की उपयोगिता के विषय में कहा जा सकता है और कह सकता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—एक दो तो सुना दीजिये ताकि हम लोग भी पवित्र हो जायं। (हंसी)

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—गाय के बारे में लिखा हुआ है कि जिस घर में गाय या उसका वंश रहता है उसमें देवता रहते हैं और दरिद्रता नाश करने के लिये जब कोई उपाय सोचा जाता है तो गाय को रख दिया जाता है। कोई भी हिन्दुस्तानी हो वह गाय की बड़ी कद्र करता है, इस नाते कि उसका मूत्र, गोबर, दूध और दही वगैरह से जो चीज पंचद्रव्य बनता है वह जिसको पिला दिया जाता है वह बड़े से बड़े पातक से मुक्त हो जाता है। इसलिये ऐसे आदमियों से सलाह लेनी चाहिये थी जो इस के विशेषज्ञ होते और इसके बारे में काफी जानकारी रखते।

यह ऐसा विधेयक है कि मैं चाहता हूं कि सदन इसका विरोध करें और अगर प्रवर समिति में भेजा जाय तो उसमें ऐसे आदमी रखे जायं जो इस बात को जानते हों, जो हमारे यहां की परम्परा को जानते हों, जिन्होंने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया हो, उनकी एक कमेटी बना दी जाय और उसमें इसको रखा जाय और गो वध हमेशा के लिये बन्द हो जाय। इससे उत्तर प्रदेश का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री ब्रजनारायण तिवारी से) आप दो तीन मिनट का समय लें, क्योंकि इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी को समय देना है।

***श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक संशोधन इसके जनमत जानने के संबंध में रखा था, लेकिन गयाबख्शसिंह जी के संशोधन के साथ पेश करके मुझे अध्यक्ष महोदय ने इजाजत नहीं दी। श्रीमन्, आज से तीन वर्ष पहले एक ऐसा कानून बना जो सर्वसम्मति से पास हुआ था और यदि कुछ विरोध होगा भी तो वह नामिनल होगा। लेकिन तीन वर्ष के बाद फिर से इसमें संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ी। इसका जो नाम गौ वध निवारण रखा गया है तो उसकी आड़ में कैसे गो वध किया जाय जब यह संशोधन लाया जा रहा है तो इसका नाम भी बदल देना चाहिये था ताकि लोगों को देखने से ही मालूम हो जाय कि गो वध करने के लिये संशोधन है और एक योजना है।

अब श्रीमन्, इसमें उम्र के बारे में लिखा गया है इसके लिये मैं समझता हूं कि उम्र निर्धारण करने के लिये एक जन्म मृत्यु का रजिस्टर रखा जाय तो यह विवाद हल हो जायगा। मैं १५ वर्ष और २५ वर्ष पर नहीं जाऊंगा। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा, मैं उनका प्रतिवाद नहीं करता। लेकिन मेरी तो जानकारी है और देहात की है जैसे घाघ ने कहा है:—

"धूवां धूरि दीप जरिजहवां, बैल पचीस वर्ष जिय तहवां।"

जहां पर २५ वर्ष की बैल की उपयोगिता है वहां पर १५ वर्ष का प्रतिबन्ध लगाना मारने के लिये न सामाजिक दृष्टिकोण से और न आर्थिक दृष्टिकोण से ही उचित है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि उम्र के बारे में अपोजीशन यूनाइटेड नहीं है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—श्रीमन्, इस खयाल से मैं समझता हूं कि किसी तरह से भी भावना के आधार पर सामाजिक या आर्थिक दृष्टि से भी गोवध के लिये कानून बनाना उचित नहीं है।

अब मैं श्रीमन्, एक चीज सरकार से जरूर निवेदन करूंगा कि अपने स्वार्थों के अनुकूल, अपनी भावनाओं के अनुकूल सरकार जहां आवश्यकता पड़ती है तो वह संविधान में संशोधन करने के लिये सिफारिश करती है इसमें क्या कठिनाई है कि वह संविधान में संशोधन करने के लिये सिफारिश नहीं करती है, इसके साथ मैं यह जरूर चाहूंगा कि इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

पर गहराई के साथ विचार हो क्योंकि उस पक्ष के लोग भी एकमत मालूम नहीं पड़ते हैं। जब गवर्नर साहब के सम्बोधन पर विवाद हुआ था तो कहा गया था कि यह बड़ा प्रगतिशील विधेयक है, इस पर कुछ नहीं कहा गया। इस प्रकार के प्रगतिशील कानून आ रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि इस पर गहराई से विचार करके फिर नये ढंग से लिया जाय तो कोई हर्ज नहीं है

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सजीवनलाल, आप दो तीन मिनट में समाप्त कर दें। उसके बाद कृषि मंत्री बोलेंगे, तत्पश्चात् माननीय सदस्य कष्ट न करें।

*श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री अवधेश प्रताप सिंह द्वारा उपस्थित संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह एक मानी हुई बात है कि हमारे देश की खाद्य समस्या जटिल है। इसको देखते हुये हमारे यहां यह लाजिमी है कि जो यह १५ वर्ष की अवधि मुकर्रर की जा रही है वह वाजिब नहीं है। इसलिये कि १५ साल के बाद भी कुछ बैल ऐसे होते हैं कि बराबर काम देते रहते हैं और उनसे खेती का भी काम, गाड़ी का भी काम और अनेक प्रकार के काम लिये जाते हैं। अगर इस तरह से यह सीमा मुकर्रर कर दी जायगी तो हम समझते हैं कि हमारे देश के लिये नुकसान होगा।

दूसरे यह कैसे तय होगा कि इस जानवर की १५ साल की उम्र हो चुकी है या नहीं। न तो अभी तक इनकी उम्र के विषय में गांव के चौकीदार की पुस्तक में लिखा जाता है, न सभापति के यहां कोई रजिस्टर है कि वह यह तय कर सके कि इस जानवर की उम्र इतनी हो चुकी है। इसलिये मैं इसका विरोधी हूं कि उसकी उम्र तय की जाय कि १५ साल का हुआ या नहीं। इसलिये उम्र की कोई कैद ही न रखी जाय। इस बिल पर दोनों तरफ से काफी बहस हो रही है। इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिससे एक अच्छी और सही राय हमारे सदन के सामने और जनता के सामने भी आ सके। हमारी इस विषय में इस सदन के सामने एक दरख्वास्त है कि यह प्रवर समिति के सुपुर्द अवश्य किया जाय।

दूसरा प्रश्न इस संबंध में यह है कि जो जगह-जगह पर गोसदन खुले हुये हैं उन में सरकार द्वारा जो प्रबन्ध किया जा रहा है, उसमें चारे की उचित व्यवस्था नहीं है। वहां पर उचित व्यवस्था हो। यह कहा जाता है कि जिन में प्रजनन शक्ति नहीं है या काम नहीं दे सकते हैं उनके लिये यह है। लेकिन सांड़ में अगर बच्चा पैदा करने की शक्ति नहीं रह गयी है तो खेती का काम बड़ी आसानी से दे सकता है। ऐसा बाज-बाज फारमों में हुआ है। बाज वक्त ऐसा हो जाता है कि गांव के सांड़ आदमियों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ऐसी सूरत में अगर उनसे खेती का काम लिया जाय तो कोई बुरी बात नहीं होगी। हमारे देश के अन्दर अभी इतना मशीनरीकरण नहीं हुआ है, इतनी प्रगति नहीं कर सके हैं। ऐसी हालत में गोवध या बैलों और सांड़ों का वध उचित नहीं है। यह रोका जाय और इससे हमारे देश की तरक्की होगी और हमारे देश की खाद्य समस्या भी काफी सीमा तक हल हो सकती है। इसलिये मैं यह उचित समझता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

*श्री मोहनलाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अमेंडमेंट बिल पर सभी माननीय सदस्यों ने जिस भावुकता से काम लिया है उसमें जो वह चाहते थे उसके विपरीत ही सब लोगों ने सुझाव दिया है। अगर वे बातें जो माननीय सदस्य चाहते हैं मान ली जायं तो वह वे बातें होंगी जो वह नहीं चाहते हैं। अभी ब्रह्मचारी जी ने कहा कि पुराने विद्वान जो आदमी हों उनकी एक कमेटी बनाई जाय और ऐसे आदमी गो-रक्षा कर सकते हैं जैसे कि वे खुद हैं। यह भी उन्होंने कहा कि इस विधेयक को वापस ले लें तो यह मेरी समझ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में नहीं आया। अगर यह विधेयक वापस हो जाय तो बैल, सांड़ और बछड़े कटने का आज से दरवाजा खुल जायगा और कोई ताकत इसको रोक नहीं सकेगी यह उनका सुझाव है। कहते तो यह हैं कि गो वध बन्द करें और बैल और सांड का मारना बन्द करें, लेकिन सुझाव देते हैं मारने के लिये दरवाजा खोलने का कि चाहे जो मारे। फिर वह कहते हैं कि विद्वान आदमी हों जैसे कि वह खुद हैं। इस प्रकार के सुझाव पर क्या विचार किया जा सकता है?

जितने सुझाव यहां पर दिये गये हैं और विरोधी दल की ओर से जितने सुझाव आये हैं अगर उनका यह मतलब है कि मारने का दरवाजा खुला रहे और गवर्नमेंट ने जो इस दरवाजे को बन्द करने के लिये आर्डिनेंस जारी किया था वह गलत है तब तो उन सुझावों का यही मतलब है कि इनके मारने का दरवाजा खुला रहे, क्योंकि ये सुझाव हमको उसी रास्ते पर ले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि कांस्टीट्यूशन के मुताबिक अगर आर्डिनेंस ६ हफ्ते के अन्दर कानून नहीं बनेगा तो वह लैप्स हो जायगा। अगर यह आर्डिनेंस ६ हफ्ते के अन्दर दोनों सदनों से कानून बनकर पास नहीं होता है तो यह लैप्स हो जायगा। १ महीना, ३ महीना या ४५ दिन का मतलब यह है कि यह आर्डिनेंस रद्द हो जाय और बैल तथा सांड के मारने का दरवाजा खोल दिया जाय।

मैं पूछना चाहता हूं कि जिन साहब ने ३ महीने का समर्थन किया है क्या वह यह चाहते हैं कि यह दरवाजा खोल दिया जाय? राजा साहब जौनपुर बड़े स्वस्थ आदमी हैं। उनके शरीर को देखकर मालूम होता है कि उन्होंने जो आंकड़े दिये हैं वह सही होंगे क्योंकि जो गाय का दूध पीते हैं वह जरूर तन्दुरुस्त हो सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने यहां पर अपने आंकड़े दिये कि हमारे यहां औसत गाय ११ सेर दूध देती है, क्या यह ठीक है, अगर ऐसा हो तब तो २ छटांक अन्न से ही आदमी का गुजारा हो सकता है। क्या उन्होंने यह हिसाब लगाया है कि हमारे प्रदेश में कितने इंसान हैं और कितनी गाये हैं और कितना अन्न पैदा होता है? अगर उनकी बात का विश्वास किया जाय तब तो अन्न की समस्या भी न हो, गरीबी की समस्या भी न रहे। यदि इस हिसाब को सही तरह से देखा जाय तो यह उनका हिसाब गलत है। अभी श्री जगदीश शरण जी ने बतलाया था कि दूध की औसत पैदावार इस देश में ४१३ पौंड ३६५ दिन की है। जो औसत एक दिन का आधा सेर से कुछ ज्यादा होती है। उन्होंने ११ सेर का हिसाब लगाया जिससे यह समझा जा सकता है कि इस प्रदेश में दूध की कमी नहीं है और अन्न की कमी नहीं है।

बहरहाल वह उनका हिसाब है। हर एक आदमी का, पेट भरे का हिसाब कुछ और होता है और भूखे का कुछ और। इसलिये प्रवर समिति में भेजने के सुझाव को मानने में असमर्थ हूं। मैं इस संशोधन को, जो श्री जगदीश शरण जी ने ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये दिया है, उसको मान सकता हूं क्योंकि वह चाहते हैं कि समिति की रिपोर्ट ७ दिन के अन्दर आ जाय। किन्तु हमको यह भी देखना है कि २१ जुलाई से दोनों सदन मिल रहे हैं और ६ सप्ताह के अन्दर यह कानून पास हो जाना चाहिये। आज दो सप्ताह से ज्यादा हो गये हैं। तीसरे का आधा हफ्ता गुजर चुका है। अब साढ़े तीन हफ्ते जो बाकी हैं उसमें यह इस सदन से और उस सदन से पास हो जाय और गवर्नर की मंजूरी हो जाय यह होना है। तो जब तक प्रवर समिति एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट न दे दे, जो हम चाहते हैं उसका मतलब खब्त हो जायगा। इसलिये मैं जगदीश शरण जी के संशोधन को मानता हूं कि एक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को यह सुपुर्द कर दिया जाय जो ७ दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें कही गयी हैं, लेकिन क्योंकि यह सेलेक्ट कमेटी में जा रहा है इसलिये मैं उनकी तमाम बातों का उत्तर देना कोई खास जरूरी नहीं समझता, इतना जरूर निवदन कर दूं कि अवधेशप्रताप सिंह जी ने जो आर्टिकिल ४७ पढ़ कर सुनाया

[श्री मोहनलाल गौतम]

उसके माने मैं अभी तक नहीं समझ सका कि बूढ़े बैल से और इस दफा से क्या ताल्लुक है। जो उन्होंने पढ़ कर सुनाया वह यह है ।

"The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties and, in particular, the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health".

अगर वह इसके मारजिन में लिखी हुई यह बात भी पढ़ लेते तो मतलब साफ हो जाता

"Duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health".

उस में अगर कोई खराबी है तो खाने वाला नहीं खायगा। बहरहाल बहुत सी बातें कही गयीं आर्टिकिल ३७ का भी हवाला दिया गया मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि अगर यह ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया गया और उसने ७ दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दी तो यह अवधि के अन्दर पास हो जायगा। इसलिये मैं केवल इस संशोधित प्रस्ताव को मानने के लिये तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं पहले गयाबख्श सिंह जी का संशोधन लेता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ को जनमत जानने के लिये ३ माह तक जनता में घुमाया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--दूसरे संशोधन में मैं पहले माननीय जगदीशशरण जी का संशोधन ले लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी के संशोधन में दूसरी पंक्ति में शब्द "किया जाय" के बाद के शब्द निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर नीचे लिखे शब्द रख दिये जायं ।

"जो अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर दे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--अब मैं माननीय अवधेशप्रतापसिंह जी का संशोधित संशोधन ले लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ दोनों सदनों की एक प्रवर समिति के सिपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर दे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--(श्री यमुना प्रसाद शुक्ल से) आप अपना संशोधन प्रेस करेंगे या वापस लेते हैं ?

श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल--मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

†वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८

*शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, यह बहुत छोटा-सा विधेयक है ।

इस विधेयक को लाने की खास मंशा यह है कि वाराणसी विश्वविद्यालय अधिनियम भी उसी रूप का हो जाय जिस रूप के अन्य विश्वविद्यालय अधिनियम हैं ।

माननीय सदस्यों के समक्ष कुछ विश्वविद्यालयों के संशोधन अधिनियम प्रस्तुत हो चुके हैं और उन पर विचार भी हो चुका है । उसी आशय के संशोधन विशेषकर के इस विधेयक में रखे गये हैं । मैं इसलिये यह आवश्यक नहीं समझता कि माननीय सदन का कुछ अधिक समय लूं ।

धारा २ में पहले यह व्यवस्था थी कि उपकुलपति को शिक्षकों के खिलाफ, विशेष परिस्थितियों में, अनुशासन की कार्यवाही करने का अधिकार था । अन्य विश्वविद्यालय विधेयकों में यह धारा थी । लेकिन जब से इन धाराओं का समावेश विश्वविद्यालय विधेयकों में किया गया था, तभी से उनके प्रति असंतोष था । इससे शिक्षकों के मान को कुछ ठेस पहुंचती थी । विचार करने के पश्चात् यह उचित समझा गया कि उसमें संशोधन किया जाय । अतः लखनऊ विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधेयकों में ये संशोधन हो चुके हैं और माननीय सदन ने प्रायः एकमत से उनको स्वीकार किया है । इस विधेयक में से भी उन धाराओं को निकाल दिया गया है । इस विधेयक के खंड २ की यही मंशा है ।

श्रीमन्, खंड ३ के द्वारा मूल अधिनियम की धारा १९ में एक संशोधन किया गया है । इस संशोधन में यह व्यवस्था की गयी है कि रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स की ओर से जो प्रतिनिधि कार्यकारिणी में जायं उसका चुनाव सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट आफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर होना चाहिये । अन्य विश्वविद्यालय विधेयकों में भी इस चीज को रखा गया है और प्रायः यह पसंद की गयी है । वाराणसेय विश्वविद्यालय विधेयक में भी इसको रखा गया है ।

धारा ४ में पहले यह व्यवस्था थी कि किसी संस्था की मान्यता को यदि वापस लेना हो तो वहां की कार्यकारिणी राज्य सरकार के एप्रूवल से वहां की मान्यता वापस ले सकती है । अन्य विश्वविद्यालयों में यह है कि यदि कार्यकारिणी को किसी की मान्यता वापस लेनी है तो वह राज्य सरकार के बजाय कुलपति का एप्रूवल लेती है और यह उचित भी है ।

इस विधेयक में भी यही रखा गया है, यदि कार्यकारिणी किसी की मान्यता को वापस लेना चाहती है तो उसे राज्य सरकार के बजाय कुलपति के एप्रूवल की आवश्यकता होगी ।

खंड ५ में जो १८ महीने मूल अधिनियम में थे उसके बजाय ३६ महीने रख दिये गये हैं । जब मूल अधिनियम बनाया गया था तो उसके प्रचलन के लिये, जैसी कि अन्य विधेयकों में व्यवस्था की जाती है कि यदि कोई कठिनाई पड़े तो राज्य सरकार आज्ञा जारी कर सकती है, जिससे कि वह कठिनाई दूर हो और विश्वविद्यालय का काम सुगमता से चल सके । यह अवधि १८ महीने की थी । वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, जैसा कि माननीय सदस्यों को जानकारी है, उसके चलाने में कुछ देरी हुई । अभी पिछली मई में उपकुलपति की नियुक्ति हुई और अब विश्वविद्यालय का काम चालू है । यह जो १८ महीने की अवधि थी वह १६ जुलाई, १९५८ को समाप्त होने वाली थी । क्योंकि उस समय सदन नहीं बैठा था इसलिये

---

† २५ जुलाई, १९५८ की कार्यवाही में छापा गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कैलाशप्रकाश]

यह आवश्यकता पड़ी कि अध्यादेश द्वारा उस अवधि को बढ़ा दिया जाय और एक अध्यादेश जारी किया गया जिसमें वह अवधि १८ महीने के बजाय ३६ महीने कर दी गयी। इस खंड में वही एक संशोधन है जो अध्यादेश में था। श्रीमन्, क्योंकि विश्वविद्यालय का कार्य अभी हाल ही में चालू हुआ है, यह आवश्यक है कि उसको सुगमता के साथ, सुविधा के साथ चलाने के लिये यह अवधि ३६ महीने की रहे। यही विशेष बात है इस संशोधन विधेयक में जो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को स्वीकार होगा। क्योंकि इसके जो कुछ सिद्धान्त हैं उन पर तो पूर्व काफी विचार विनिमय हो चुका है और अन्य विश्वविद्यालयों में भी उनका समावेश किया गया है। इन संशोधनों को स्वीकार करने से वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय का अधिनियम भी अन्य विश्वविद्यालयों के समान रूप हो जायगा। मैं आशा करता हूं कि सदन इस विधेयक पर विचार करने की आज्ञा देगा।

श्री उपाध्यक्ष—इस विधेयक को आज ५ बजे तक पास करना है, इसलिये काफी संख्या में लोग बोलना चाहते हैं। तो सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक हो सके संक्षेप में ही भाषण करें?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—मान्यवर, अपने संशोधन को मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है—

"वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ को जनमत जानने के लिये सरकारी गजट और प्रदेश के मुख्य-मुख्य समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराया जाय जो एक मास पश्चात् पुनः सदन में प्रस्तुत किया जाय।"

श्री उपाध्यक्ष—आपके संशोधन में थोड़ी सी अनियमितता है, यह इस रूप में रहेगा, आप बाद में शुद्ध कर लेंगे। "वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ को जनमत जानने के लिये एक मास के लिये घुमाया जाय।"

श्री ऊदल—ठीक है, मान्यवर, इस समय मैं क्यों जनमत जानने के लिये इसको घुमाने के लिये सदन से निवेदन कर रहा हूं। जैसाकि माननीय मंत्री जी ने कहा विश्वविद्यालय का काम १३, १४ महीने से शुरू हुआ है लेकिन मैं देखता हूं कि इस विश्वविद्यालय का कानून जो है वह सन् १९५६ में ही बन गया था और इसके पहले भी वह महाविद्यालय के नाम से कहा जाता था जिस में मेरा ऐसा खयाल है कि उसके अन्दर हमारे सूबे के और पूरे देश के जितने संस्कृत के विद्यालय और पाठशालायें थीं, वे सभी उसी से संचालित होती थीं। तो मैं समझता हूं कि केवल विश्वविद्यालय कह देने से ही बहुत बड़ी बात नहीं हो गयी, वह तो पहले ही से महाविद्यालय के रूप में था, लेकिन मैं समझता हूं कि महाविद्यालय के रूप में जब संस्कृत विद्यालय काम कर रहा था उस वक्त भी मैं समझता हूं कि उसमें अनेक गड़बड़ियां थीं और उसमें पढ़ाई-लिखाई की जो व्यवस्था है, वह न तो आज ठीक है और न पहले ठीक से हो पाती थी। जैसा कि आपको मालूम है यह महाविद्यालय बनारस के अन्दर है जिसे लोग काशी नगरी के नाम से जानते हैं और कुछ लोग कैलाशपुरी कहते हैं। हमारे गृह मंत्री और मुख्य मंत्री दोनों वहीं से आते हैं और जिनको बहुत बड़ा विद्वान् समझा जाता है और गृह मंत्री जी अपने को विद्वान समझते भी हैं, क्योंकि जब वे भाषण देते हैं तो उसी स्वर में देते हैं कि बहुत बड़ा महाविद्वान और पंडित हूं, लेकिन मैं आपके जरिये सदन को बताना चाहता हूं कि बनारस के अन्दर आज दो एक परिवारों को छोड़ कर कोई भी पंडित या ब्राह्मण अपने बच्चों को उस विद्यालय में भेजने को तैयार नहीं है। वहां डिग्री जो शास्त्री की दी जाती है वह बी० ए० के बराबर और आचार्य की एम० ए० के बराबर होती है परन्तु बाहर के देशों में जैसे फ्रान्स आदि में जो संस्कृत की पढ़ाई होती

है वहां के विद्वानों के मुकाबले में हमारे यहां के विद्वान टिक नहीं पाते हैं । इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है और जब तक विचार नहीं किया जाता तब तक मैं समझता हूं कि उस विश्वविद्यालय को जो हम एक कुलपति और तरह-तरह के सामान व सज्जा दे रहे हैं उनका उपयोग हमारे देश के लोग नहीं कर पायेंगे ।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उस विश्वविद्यालय की प्रगति के लिये बहुत से यंत्र बाहर के मुल्कों से खरीद कर लाये गये। सर्वे का यंत्र और ज्योतिष का यंत्र लाखों रुपये में खरीद गया और इस प्रकार सूबे का लाखों रुपया प्रति वर्ष उस विश्वविद्यालय पर खर्च किया जाता है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि जितने सर्वे के यंत्र और ज्योतिष के यंत्र थे उनको सरकार ने उठा कर नैनीताल में भेज दिया, वहां उनका क्या उपयोग हो रहा है । मेरा सरकार से निवेन है कि उनको उठाकर नैनीताल से फिर विश्वविद्यालय में लाया जाय ताकि वहां सर्वे और ज्योतिष को पढ़ाई हो सके ।

इसी के साथ विश्वविद्यालय के जरिये कुछ जमीन सारनाथ में खरीदी गई और वह सालों से यों ही पड़ी हुई है । किस काम में लाई गई यह मैं समझ नहीं पाया और उस जमीन पर जो वधशाला बनने वाली थी उसका क्या हुआ । मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि उस जमीन पर वधशाला कब तक बनकर तैयार हो जायगी ताकि संस्कृत के विद्यार्थी वहां जाकर फायदा उठा सकें ।

इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में जो प्रधानाचार्य का स्थान है वह ४ साल से रिक्त है और उनकी जगह पर अस्थायी तरीके से एक सज्जन को रख दिया गया है जिनको न वह ज्ञान है और न वह क्षमता जिससे वे विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दे सकें ।

वहां एक सरस्वती पुस्तकालय है जो इसी कालेज से सम्बन्धित है । उसके लिये भी मैं चाहता हूं कि सरकार उसको एक अलग इकाई के रूप में मान्यता प्रदान करे ताकि सरस्वती भवन पुस्तकालय का सुचारु रूप से कार्य कर सके और जो किताबें खरीदी जाती हैं उसका सारा कार्य भी अलग से होना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और सदन से मैं यह मांग करता हूं कि यह बहुत आवश्यक संशोधन है और इस पर सरकार जनमत जानने के लिये जो भी तरीका चाहे इस्तेमाल करे लेकिन उसे घुमाये ताकि सही जनमत आ जाने के बाद सदन पुनर्विचार करके उचित कार्यवाही करे ।

इसके साथ-साथ श्रीमन्, इसमें जो माननीय मंत्री जी ने खंड २ में अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (५) और (६) का संशोधन किया है उसका मैं स्वागत करता हूं और खंड ३ में अधिनियम की धारा १९ में जो संशोधन किया है उसका भी मैं स्वागत करता हूं और खंड ५ में जो १८ महीने के बजाय ३६ महीने करने की बात कही गई है मैं उसका विरोध करता हूं । मैं समझता हूं कि १८ महीने बहुत काफी हैं । ३६ महीने करने की कोई आवश्यकता नहीं है । आखीर में मैं फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि इस संशोधन को माननीय मंत्री जी स्वीकार करें और जनमत जानने के लिये इसे घुमायें ।

श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल (जिला रायबरेली)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ में यह संशोधन उपस्थित करता हूं :—

"वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सिपुर्द किया जाय जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और जो अपना प्रतिवेदन एक मास के अन्दर इस सदन के सम्मुख उपस्थित करे ।"

[श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल]

श्रीमन्, मैंने यह देखा कि जो बिल यहां जल्दी-जल्दी पारित कर दिये जाते हैं उनमें हमको बहुत जल्दी संशोधन लाना पड़ता है जैसे अपने यहां जमीदारी एबालीशन एंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट, पंचायत राज ऐक्ट, इनमें बहुत ही शीघ्र हमको संशोधन लाने पड़े । यह विधेयक एक शिक्षा सम्बन्धी विधेयक है । यह भी श्रीमन्, छिपा नहीं है कि जो हम लोग जल्दी में विधेयक पास करते हैं उसमें हमको इतना अनुभव न होने के कारण भी इतनी जल्दी जल्दी संशोधन लाने पड़ते हैं । पहले अंग्रेजों के जमाने में जो ऐक्ट पास हुए थे इंडियन पेनल कोड, एविडेंस ऐक्ट वगैरह उनमें बहुत दिनों तक, अभी तक कोई संशोधन नहीं लाना पड़ा । इस वास्ते इसके लिये यह आवश्यक है कि इस संशोधन विधेयक पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय, जिसमें कि बहुत जल्दी इसमें संशोधन लाने की आवश्यकता न पड़े । ला के लिये यह बहुत ही आवश्यक है कि उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिये । उसमें जल्दी जल्दी जब चेंजेज होते हैं तो उनसे लोगों को अनुभव नहीं होता है और लीगल मिस्टेक्स, कानूनी गलतियां उसमें हो जाती हैं । इस वास्ते मेरा यह निवेदन है कि इसको एक प्रवर समिति के सिपुर्द किया जाना चाहिये ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं :—

> "वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ को विधान सभा की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रपट एक सप्ताह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे । (प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे) ।"

मान्यवर, मैं यह संशोधन इसलिये आवश्यक समझता हूं कि जो संशोधन श्री ऊदल जी ने उपस्थित किया है उसमें प्रवर समिति की रिपोर्ट देने के लिये वे एक महीने की मियाद लेना चाहते हैं । लेकिन उसमें वैधानिक आपत्ति है और वह यह कि एक अध्यादेश जारी हो चुका है और उस अध्यादेश के मातहत छः सप्ताह के अन्दर यह विधेयक दोनों सदनों से स्वीकृत हो जाना चाहिये और माननीय गवर्नर महोदय की स्वीकृति भी उसको प्राप्त हो जानी चाहिये । तो ऐसी परिस्थिति में इसको एक महीने के लिये समय देना मैं उचित नहीं समझता । मैं आवश्यक समझता हूं कि एक सप्ताह का जो मेरा संशोधन है उसे माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लें और इस सदन की जो प्रवर समिति होगी उसको इस बात का अवसर दें कि वह इस पर विचार करके जो उचित संशोधन हो सकें, उनको वह इस विधेयक में शामिल कर सकें । मैं इसी सम्बन्ध में मान्यवर, यह निवेदन करना चाहता हूं कि काशी या वाराणसी बहुत प्राचीन समय से संस्कृत विद्या का केन्द्र रहा है और आज से हजारों वर्ष पहले यहां पर अपने देश के कोने-कोने से ही नहीं संसार के कोने कोने से संस्कृत और भारतीय संस्कृति और सभ्यता की शिक्षा लेने दूर दूर से विद्या के उपासक आया करते थे और यहां से जो ज्ञानर्जन करते थे उसका प्रचार अपने देश में किया करते थे । यों तो महामना मालवीय जी ने काशी विश्वविद्यालय स्थापित करके काशी की मर्यादा को पुनर्जीवित करने का आज से बहुत पहले प्रयत्न किया था । परन्तु हमारी वर्तमान सरकार ने जो संस्कृत की मर्यादा ऊंची करने के लिये विश्वविद्यालय स्थापित किया है और यह विधेयक सदन के सामने लाई है इसका मैं स्वागत करता हूं और इस बात की आशा करता हूं कि सरकार संस्कृत की उन्नति के लिये निरन्तर ऐसा ही प्रयत्न करती रहेगी । मैं समझता हूं आज प्रान्त में जगह-जगह पर जितने भी संस्कृत विद्यालय हैं उन सब का ऐसा संगठन होना चाहिये, नियम बनने चाहिये कि वे सब इस संस्कृत विश्वविद्यालय से एफीलियेट हो जायं और उन सब का संचालन इस ढंग से हो और ऐसी समुन्नत शिक्षा संस्कृत की दी जाय, और जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा कि संस्कृत की शिक्षा जर्मनी में और रूस में और संसार के दूसरे देशों में इतने श्रेष्ठ ढंग से दी जाती है कि वहां के विद्वान भारतीय विद्वानों की अपेक्षा ज्यादा प्रतिष्ठित समझे जाते हैं कि जिससे काशी की संस्कृत शिक्षा अपने प्राचीन गौरव के पद को प्राप्त कर ले । उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन

करूंगा कि वह ऐसे संस्कृत के विद्वानों को एकत्र करें जो संस्कृत शिक्षा के ढंग को इतना समुन्नत करें कि जिससे वाराणसी अपनी संस्कृत शिक्षा के प्राचीन पद को प्राप्त कर लें जो आज से हजारों वर्ष पहले उसे प्राप्त था । हमारे देश में दिल्ली ने जहां बहुत सी राजनीतिक उथल-पुथल देखी हैं वहां वाराणसी ने बहुत सी सभ्यतायें और संस्कृतियों की उथल-पुथल देखी है । आज गांधी जी के पुण्य प्रताप से वह दिन आया है कि हम संस्कृत का उत्थान फिर से देख सकें और फिर से ऐसी संस्कृति की रचना कर सकें जो संसार में सर्वोपरि हो और जिस सभ्यता को देख करके संसार के दूसरे देश शिक्षा ग्रहण कर सकें । इन शब्दों के साथ मैं संशोधन को उपस्थित करता हूं ।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---श्रीमन्, मैंने अपने से पूर्व तीन वक्ताओं के संशोधनों पर जो भाषण हुए हैं उनको ध्यान से सुना । माननीय मंत्री जी ने दो या तीन संशोधन पेश किये हैं । मैं यह नहीं समझा कि केवल उन संशोधनों पर विचार करने के लिये या थोड़ी सी और बातों पर विचार करने के लिये प्रवर समिति की क्या जरूरत है ।

माननीय ऊदल जी ने संस्कृत महाविद्यालय के सम्बन्ध में बहुत बातें कही हैं । मैं भी पिछले ६, ७ साल से उस विद्यालय से सम्बन्ध रखता हूं और प्रान्त की संस्कृत शिक्षा परिषद् का सदस्य रहा हूं । इसलिये उस कालेज या उसकी परीक्षाओं के बारे में बहुत सी जानकारी रखता हूं । इसके बावजूद मैं यह समझता हूं सरकार ने जब यह समझा कि वह विद्यालय अपना कार्य पूर्ण तौर पर नहीं कर रहा है इसीलिये उसका महाविद्यालय का रूप न रख करके विश्वविद्यालय का रूप दिया है । मैं समझता हूं कि जो महाविद्यालय होते हैं उनमें जो कमियां होती हैं उनको विश्वविद्यालय बना करके दूर किया जाता है और उस आदर्श को उपस्थित किया जाता है जिसको हमारे तीनों संशोधक चाहते हैं । मैं यह भी जानता हूं कि संस्कृत महाविद्यालय की जो मौजूदा अवस्था है उसमें जल्दी से जल्दी परिवर्तन होना चाहिये । खेद है कि सरकार ने सन् १९५० में संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक पेश किया था, दुर्भाग्य से वह ६ वर्ष तक विधेयक के रूप में रहा और अधिनियम नहीं बन सका । सन् १९५६ में यह बिल अधिनियम बना । मुझे खेद है कि प्रदेशीय सरकार ने जिस विश्वविद्यालय को पहले बनाने का बीड़ा उठाया था उससे पहले कई और प्रदेशों ने विश्वविद्यालय बना लिये और पंजाब ऐसे प्रदेश ने जो सीमान्त प्रदेश है और जिसका संस्कृत शिक्षा के साथ अधिक सम्बन्ध नहीं रहा है उसने भी कुरुक्षेत्र में जो विश्वविद्यालय बनाया है वह हमसे पहले बना लिया है । लेकिन अब जब कि हमने संस्कृत विश्वविद्यालय बना लिया है तो इस प्रकार के प्रवर समितियों के संशोधनों से तो उस में और देर ही लगेगा और मेरी राय में यह उचित न होगा । इस दृष्टि से भी और दूसरे दृष्टिकोण से भी हमें देखना है कि हम इस पर प्रवर समिति में अधिक समय न लगायें । भारतीय जी कहते हैं कि मेरा संशोधन केवल ७ दिन का है और प्रवर समिति इतने समय में अपना विचार कर सकती है । मेरा विचार है कि सदन ने सन् १९५६ में जो बिल ऐक्ट की शक्ल में पारित किया था उसमें अधिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस में पहले ही काफी देर हो चुकी है । इसलिये वर्तमान संशोधन विधेयक जिस तरह से मंत्री जी ने रखा है उसे उसी रूप में पारित करना चाहिये और प्रवर समिति में न भेजना चाहिये ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो यह संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक सदन के सम्मुख रखा है मैं उसका स्वागत करता हूं । मैं आपके द्वारा कुछ ठोस सुझाव दूंगा । आज देश में शिक्षा की बहुत कमी है । जहां इस को संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम दिया जा रहा है मैं चाहूंगा कि इस विधेयक को और व्यापक रूप दिया जाय और उसमें केवल संस्कृत की ही पढ़ाई न हो बल्कि वह एक ऐसा विश्वविद्यालय हो जिसमें जर्मन, फ्रेंच, चीनी, जापानी, अरेबिक, परशियन और तामिल आदि सभी भाषायें पढ़ाई जायं ताकि तमाम संसार के विद्यार्थी हमारे यहां पढ़ने आयें

[श्री प्रतापसिंह]

जिस तरह से कि आज हमारे विद्यार्थी दूसरे देशों में पढ़ने जाते हैं। यह प्रबन्ध यदि वहां किया जायगा तो हमारे इस विश्वविद्यालय को और देश को अधिक सम्मान मिलेगा।

इसके साथ ही साथ मेरा एक यह भी सुझाव है कि इस विश्वविद्यालय को सेन्टर आफ रिसर्च भी बनाया जाय, यहां पर सभी भाषाओं का रिसर्च वर्क भी हो, जिस तरह से हमारे स्टूडेंट्स बाहर जाकर रिसर्च करते हैं उसी तरह से दुनिया के कोने कोने से हमारे यहां लोग रिसर्च करने आयें और विभिन्न भाषाओं की रिसर्च करें।

इसके अलावा मंत्री जी ने जो यह ३६ मास का समय रखा है उसके बारे में उन्होंने यह बताने की कोशिश नहीं की कि १८ मास में काम क्यों नहीं चलेगा और समय बढ़ाने की क्या जरूरत हुई, देरी क क्या कारण है। इस पर वह कृपया प्रकाश डालें। इसके अलावा अगर एक विद्यार्थी व्याकरण भी पढ़ता है और दूसरा विषय भी पढ़ता है तो वह २ की गिनती होती है वह ठीक नहीं है। इसी तरह से अध्यापकों का भी प्रश्न है उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर विचार किया जाय ताकि विश्वविद्यालय को सम्मान और ख्याति मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---उपाध्यक्ष महोदय, वाराणसेय संस्कृत विश्व-विद्यालय ऐक्ट २८ इस सदन ने सन् १९५६ में पारित किया था और वह ठीक ठीक कार्यान्वित नहीं हो सका था कि उस के पूर्व ही २-३ संशोधन माननीय शिक्षा मंत्री जी ने रखे हैं। इनकी आवश्यकता तो थी ही, लेकिन साथ ही में दो तीन बातों की ओर ध्यान दिलाऊंगा। हमारे यहां भारतवर्ष में संस्कृत की शिक्षा की परम्परा बहुत पुरानी और अपने ढंग की है और जो विश्वविद्यालय है वह पश्चिमी सभ्यता की देन हैं। यदि हम इस विश्वविद्यालय को उसी पश्चिमी देशों के स्तर पर चलायेंगे तो उस में प्रगति होगी इसमे मुझे शंका है। इसलिए मैं सदन का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां उसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि क्वींस कालेज जो यूनिवर्सिटी का काम करता था, एफिलियेशन देता था और जहां गांव की पाठशालाओं के लिये अध्यापकों की आचार्य और शास्त्री की पढ़ाई होती थी, इससे संबंधित थे और वही काम करते थे जो विश्वविद्यालय के थे। साथ ही साथ गांव की संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापक ३०-३०, ४०-४० रुपया सहायता के रूप में पाते हैं, क्योंकि वह शुल्क नहीं लेते और सहायता से उनका काम चलता है। तो इस प्रकार एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है कि मंत्री जी जो पे स्केल संशोधित करके विश्वविद्यालय में रखना चाहते हैं, यानी आगरे और लखनऊ के टीचर्स ३०० रुपये से और ८०० रुपये तक पायेंगे और वहां वाइस चांसलर को ४,००० रुपया देंगे तो क्या लोगों पर ऐसा प्रभाव नहीं पड़ सकता है कि जो आचार्य गांव में ३० और ४० रुपये में पढ़ाते हैं उनमें असंतोष पैदा हो साथ ही विश्वविद्यालय के अगल-बगल के जो कालेज चलते हैं और व्यक्तियों की सहायता से चलते हैं वहां के जो आचार्य दो-दो तीन तीन विषयों में आचार्य पास हैं उनके दिल में यह खयाल नहीं होगा कि हमको ८०० रुपये मिलने चाहिये और ३०० रुपये तनख्वाह मिलनी चाहिए, क्योंकि वह तो ६० रुपये में काम करते हैं और संस्कृत की शिक्षा को भारतीय परम्परा से जमीन पर बैठाकर और अपने को केवल गुरु कहलाकर ही संतोष कर लेते हैं और संतोष वृत्ति से इस शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं। क्या हम इसे विश्वविद्यालय के स्तर पर ले जाकर जो इस वक्त भारतीय परम्परा है उसको कायम रख सकेंगे? मुझे डर है कि कहीं यहां भी वैसी ही हालत न हो जैसी कि बी० एम० बी० एस० कालेज में विद्यार्थियों की हुई। वहां बी० एम० बी० एस० कोर्स सन् १९४९ में चलाया, सन् १९५३ तक चलाया, सन् ५४ में चलाया और फिर उनको एम० बी० बी० एस० का कोर्स पढ़ाना पड़ा। क्या ऐसी भूल तो नहीं होने जा रही हैं? मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान

इस ओर दिलाना चाहता हूं कि ३-४ वर्ष के एक्सपेरिमेंट करने के बाद कहीं फिर हम वही करें। इसलिए इस पे स्केल को दे करके हम सैकड़ों, हजारों उत्तर प्रदेश के अध्यापकों में एक असंतोष की प्रवृत्ति पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रवृत्ति में जब असमानता की भावना उदय होगी और जब एक और लड़के जमीन पर बैठकर शिक्षा लेंगे, निःशुल्क लेंगे और अंग्रेजी और इतिहास का प्रोफ़ेसर कुर्सी मेज पर पढ़ायेगा तो एक घंटे में एक प्रकार से और दूसरे घंटे में दूसरे प्रकार से शिक्षा होने से क्या किसी किस्म की भावना पैदा नहीं होगी ?

बड़े से बड़ा डाक्टर अंग्रेजी विश्वविद्यालय का आज बिना पुस्तकों के देखे कुछ नहीं समझ सकता और हमारे यहां कहा जाता है कि:—

"सुहृद् बन्धु परदेश में धन ताला के मांहि,
विद्या पुस्तक मध्य में समय संभारे नांहि।"

तो हमारी विद्या और हमारे आचार्यों की विद्या तो उनके मस्तिष्क में, उनके मुख में थी। पाणिनि ने व्याकरण पर ग्रंथ लिख करके ही शब्द शास्त्र पर अपना पूरा प्रभुत्व स्थापित किया। मैं समझता हूं कि ऐसे पंडितों की परम्परा कायम होनी चाहिये। हम ऐसी भूल न करें कि वह परम्परा समाप्त हो जाय। हम इस विधेयक द्वारा वही अनुकरण करने जा रहे हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और पश्चिमी यूनिवर्सिटियों की परम्परा है। मुझे शक है कि इस पे स्केल से हमारी परम्परा कायम नहीं रह सकती। मैं दूसरे विश्वविद्यालयों की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब हम विश्वविद्यालय में एक तरह का ग्रेड देंगे तो वह आचार्य जो ३०-४० रुपये पर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उनका कैसे आदर हो सकेगा ? कोई आचार्य अभी तक कई वर्षों से सरकारी कालेजों में नियुक्त नहीं हो सका है, इसलिए कि अंग्रेजी नहीं पढ़ा है। तो अगर हमें अंग्रेजी के जरिये से संस्कृत पढ़ानी है तो ऐसे बहुत से इंटर कालेज हैं और यूनिवर्सिटी में तो होता ही रहता है। फिर वही चीज विश्वविद्यालय में करने की क्या जरूरत थी ? अगर हमको इस विद्यालयों के जरिये संस्कृत को आगे बढ़ाना है और वेद शास्त्रों में जो पांडित्य भरा पड़ा है उसको प्रकाश में लाना है तो हमको भारतीय ढंग से और भारतीय परम्परा से कार्य करना होगा।

एक ऐसा वाइस चांसलर जो हमारी तरह से पढ़ा है, जो एक अंग्रेजी विश्वविद्यालय का स्नातक है और आई० सी० एस० है, मुझे शक है कि ऐसे वाइस चांसलर की नियुक्ति जो मई में की है और उसको पे स्केल देने की बात कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी के विधान में संशोधन कर रहे हैं, तो ऐसे वाइस चांसलर के द्वारा आप क्या परम्परा कायम कर सकेंगे, मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। इसलिये मैं अपनी शंकायें आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री तथा सदन के सामने रखना चाहता हूं।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और सदन का ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं। इसमें जो यह १८ महीने और ३६ महीने की बात है तो वह तो यह है कि १८ महीने में व्यवस्था इसकी नहीं हो सकी। इसलिए ३६ महीने का समय रखा गया है कि इस समय में व्यवस्था ठीक करें और विश्वविद्यालय का कार्य चालू किया जाय। मैं समझता हूं कि श्री रामअौतार शर्मा और उनके रहन-सहन का ढंग, उनका तौर तरीका और आजकल के उपकुलपति का तरीका, मैं नहीं समझ पाता हूं कि कैसे इनका मेल खायगा। इसका सरकार को और हमारे मंत्री जी को ध्यान रखना पड़ेगा।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं और वह यह है कि रजिस्टर्ड ग्रेजुयेट्स के चुनाव में जैसेकि माननीय शिक्षा मंत्री जी संशोधन करना चाहते हैं, आप देखें कि कितने हैं, कैसे हैं, क्या व्यवस्था कर सकेंगे, इस व्यवस्था के अनुसार कैसे लोग आ सकेंगे, कैसे कोर्ट बनेगी, कैसी व्यवस्था बनाई जायगी, इसके संबंध में मुझे शंका लग रही है। हम बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय को बनाना चाहते हैं तो इसकी सार्थकता को हमें सिद्ध करना चाहिये। इसमें हमारे प्रदेश का बहुत सा पैसा लगना है। इसलिये थोड़े पैसे में ज्यादा काम हो ऐसी हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिये और

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

इस तौर तरीके के अन्दर हम अंग्रेजी डालकर काम करते हैं जब कि हमारे इस आदरणीय सदन ने यह तय कर लिया है और अंग्रेजी नहीं बोलने देते हैं तो उसी की मात्रा को हम देकर कहां तक हम अपने उद्देश्य में सफलता पा सकेंगे, इस शंका के साथ मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के समय बढ़ाने वाले संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—मान्यवर, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और मैं अपने आपको इस कठिनाई में पा रहा हूं कि जो विरोधी दल के सदस्यों ने अपने संशोधन रखे हैं, उसका क्या अर्थ निकलता है जब कि वह अमेंडिंग बिल से सहमत हैं फिर भी वह चाहते हैं कि इस बिल को प्रवर समिति में भेजा जाय; तो इसका क्या सार निकलेगा मैं इसके समझने में अपने आपको मजबूर पा रहा हूं और मैं इससे सहमत नहीं हूं । मुझे दुख के साथ इसका विरोध करना पड़ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—राज आपको मालूम ही है ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—श्रीमन्, यह विधेयक जो आया है उसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है कि १८ महीने के बजाय सरकार ३६ महीने चाहती हैं । श्रीमन्, मैं सरकार को नौ महीने का अवसर और देना चाहता हूं । ३६ महीने के बजाय भले ही ४५ महीने हो जायं लेकिन कुछ करके तो दिखायें, कुछ नतीजा तो निकले ।

मान्यवर, जो मैंने देखा है उस सम्बंध में मुझे परेशानी यह होती है जैसे कि मेरे माननीय मित्र कह रहे थे कि संस्कृत विश्वविद्यालय के लिये आपने कैसा उपकुलपति रखा है जो एक ब्यूरोक्रेसी की छाया में पला हुआ है, जो एक आई० सी० एस० है ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं इस तरह से व्यक्तिगत आक्षेपों के लिये इजाजत नहीं दूंगा । सिद्धान्ततः आप दूसरे रूप में कहें ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । श्रीमन्, किसी संस्कृत विश्वविद्यालय के उपकुलपति के लिये यह आवश्यक है कि जिसको देखने से उसके स्नातकों पर एक ऐसा प्रभाव पड़े जिससे वह भविष्य में आगे चलकर उसका अनुसरण करके अपने जीवन को सार्थक बना सकें । वह जिस दिशा में ले जाये जायंगे जब कि उपकुलपति उससे अपरिचित हो तो ऐसे विश्वविद्यालय का कल्याण किस सीमा तक हो सकेगा ? मान्यवर, मैं कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहता हूं, जो आपकी आज्ञा है वह शिरोधार्य है, लेकिन जिस पृष्ठ-भूमि में यह नियुक्ति हुई है, उससे मैं अपने को सहमत नहीं कर पाता हूं । बनारस ऐसी जगह है जिसकी संस्कृति रोम से भी पुरानी है । संसार में कोई भी संस्कृति इस बात का दावा नहीं कर सकती है कि बनारस में जो एक संस्कृति बनी, परम्परा बनी उससे वह प्राचीन हो । श्रीमन्, इस बनारस में बहुत सी संस्कृतियों को, परम्पराओं को, सभ्यताओं को बनते और बिगड़ते देखा है और आज हमारा यह कार्य होगा कि अगर बनारस का स्थान चुना गया है कि वहां संस्कृत की शिक्षा प्रदान की जाय और उसके लिए रुपया रखा जाता है तो उसके लिए योग्य वातावरण भी उत्पन्न करना आवश्यक है ।

एक भय और भी है जो मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय के समक्ष रखना चाहता हूं । यह विश्वविद्यालय तो आपने खोल दिया । महाविद्यालय समाप्त हुआ । जहां तक उसका प्रश्न है, मैं शास्त्री जी से सहमत हूं । मगर इस के लिए जो फीडर हैं जो संस्कृत विद्या देहातों में या शहरों में प्रदान की जा रही है, पाठशालाओं द्वारा, वहां का प्रबन्ध उत्साहवर्द्धक नहीं है । उनके सामने आर्थिक कठिनाइयां हैं । इसलिए उन फीडर संस्कृत पाठशालाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे वहां से विद्यार्थी निकल कर विश्वविद्यालय में अध्ययन करें और सही मानों में सम्पूर्ण भारत में यह विश्वविद्यालय संस्कृत का केन्द्र बन सके ।

एक माननीय सदस्य महोदय ने यह कहा है कि रूस और जर्मनी के विद्वान हमारे विद्वानों से ऊंचे समझे जाते हैं । हो सकता है कि किसी और भाषा में अच्छे हो सकें लेकिन जब संस्कृत का सवाल आयेगा तो हमको एक मर्तबा सोचना पड़ेगा; हो सकता है कि जिस दृष्टि-कोण से हम उनको अधिक उत्तम समझते हों वह दृष्टिकोण ही दूषित हो । जब संस्कृत विद्या का प्रश्न आता है तो अब भी बनारस में अद्वितीय विद्वान हैं जो कि किसी भी देश के लिए नाज का कारण हो सकते हैं । उन पर हम को गौरव हो सकता है, घमंड हो सकता है और सदैव घमंड बना रह सकता है यदि यह सरकार उनको उचित रूप से प्रोत्साहित करे । देखना यह होगा कि यह विद्या जो है जहां तक इसकी गम्भीरता का सवाल है कितनी यह रिच थी इसमें इस देश के लिए कितनी भलाई थी इसकी शिक्षा से भारत कितने उच्च शिखर पर पहुंच चुका था, यह सोचा जाय तो उसके लिए हमें एक वातावरण पैदा करना होगा । इन पाठशालाओं में विद्यार्थियों और अध्यापकों के सामने आर्थिक संकट है । उसको भी दूर करना होगा ।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि न केवल सेलेक्ट कमेटी में यह बिल जाय बल्कि जो हम कह रहे हैं मंत्री जी उस पर ध्यान दें और जितनी जल्दी हो सके इस काम को आगे बढ़ाते रहें और अपनी जगह पर हमारा यह कर्तव्य हो कि जो चीज १९५० से १९५६ तक, ६ वर्ष तक, रुकी पड़ी रही, अगर वह आयी है तो हम लोगों की वजह से वह न रुकने पाये ।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, जो संस्कृत विश्वविद्या-लय (संशोधन) विधेयक सदन के सामने रखा गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इसके सेलेक्ट कमेटी में जाने की कोई ऐसी बात नहीं है कि वहां यह भेजा जाय। इसमें जो संशोधन है वह बहुत छोटा और अच्छा है ।

इसके साथ-साथ मैं चन्द बातें कहना चाहता हूं और वह यह हैं कि संस्कृत की वह पुस्तकें जिनके अन्दर हमारे पिछले जमाने में ऐसा विज्ञान था जिससे इस मुल्क के अन्दर, जो आज दूसरे मुल्कों में हवाई जहाज और तरह-तरह का इंजीनियरिंग का सामान बनता है, वह सारा सामान बना करता था और वह विज्ञान की विद्या यहां पर बहुत ही उच्च कोटि की थी। आज उसका उसी तरह से शोधन होना चाहिये और उसी तरह की पुस्तकों का पता लगा कर प्रकाशन होना चाहिये और उनको इस विश्वविद्यालय के पाठचक्रम में आना चाहिये।

इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ऐसी पुस्तकें जो सामाजिक दृष्टि से आज के युग में पठन-पाठन के योग्य नहीं हैं उनका पठन-पाठन अगर वहां पर रोक दिया जाय तो वह ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो सामाजिक विचारधारा पिछले जमाने में इस मुल्क में फैली थी और जिस तरह से इस मुल्क के अन्दर सामाजिक विषमता पैदा हुई उससे यहां तमाम मुल्क में जातियों के अन्तर्गत जातियां बनीं और उसी तरह का यहां पर एक ऐसा कटु वातावरण पैदा हुआ जिससे इस मुल्क के दो टुकड़े बने। उस तरह का विषम वाता-वरण आज भी पुस्तकों में मौजूद है। उस तरह की चीजों को हटा दिया जाय

(इस समय ३ बज कर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि आज के जमाने में उन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक एकता के लिये और सामाजिक समानता के लिये सरकार ने कानून भी बनाये हैं और वे चीजें वैधानिक रूप से सरकार ने मान ली और उनको हटा दिया गया है। ऐसी पुस्तकों से यदि पठन-पाठन होता हो तो उनको निकाल दिया जाय। कुछ लोगों के अन्दर जो बातें पैदा हो गई थीं और जो फूट का कारण अन्दर-अन्दर बनीं, ऐसी चीजों को पुरानी पुस्तकों से हटा कर उनकी नई व्याख्या करके नये रूप में रख कर उनका पठन-पाठन हो तो ज्यादा अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सम्मानित सदन में वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और मैं इसका पूर्णतः स्वागत करता हूं। वैसे तो बहुत से विधेयक इस सदन में रोज आया जाया करते हैं किन्तु यह जो विधेयक आज आया हुआ है यह एक अपना प्राचीन गौरव रखता है। इसके लिये शिक्षा मंत्री या उनके सहयोगियों का जो भी प्रयास हुआ है वह बहुत ही स्तुत्य है।

श्रीमन्, काशी भारत की गौरवगरिमा को बढ़ाने वाली एक नगरी रही है और वहां पर भारत के ही नहीं विश्व के सभी स्थानों से बड़े-बड़े विचारक आकर संस्कृत शिक्षा का अध्ययन करते थे। इतना ही नहीं बल्कि बाहर के लोग जो शास्त्रार्थ करने के खयाल से यहां पर आते थे, शिवकुमार जी विद्वान के समय की बात है यहां से पारंगत होकर नहीं गये। संस्कृत शिक्षा का जब से ह्रास हुआ है तब से हमारी अनेक कठिनाइयां बढ़ीं और हम दुर्बल हुये। किसी भी देश की भाषा अगर शुद्ध हो, परिष्कृत हो, तो वहां का देश, वहां का समाज और वहां के नागरिक स्वतः उत्तम कार्य में लग जाया करते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य था कि देश पराधीन हुआ और संस्कृत की पढ़ाई का ह्रास हुआ। हमें आज संस्कृत के उन पुराने विद्वानों को धन्यवाद देना है कि जिनके अथक परिश्रम और त्याग से संस्कृत कुछ पाठशालाओं में बाकी रह गयी थी। यह बड़ा उत्तम हुआ कि सरकार का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। मैं विधेयक के समर्थन के साथ-साथ कुछ आवश्यक सुझाव माननीय मंत्री जी की सेवा में समर्पित करना चाहता हूं जिनको उत्तम होगा कि यदि वह नोट कर लें।

विश्वविद्यालय बहुत से खुले, किन्तु यदि यह वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय भी लखनऊ, इलाहाबाद और अलीगढ़ के पदचिह्नों पर ही चलता है और उसी तरह के छात्र यदि यहां से भी निकलते हैं तो मैं समझूंगा कि इस विश्वविद्यालय को खोलने का कोई महत्व नहीं है। संस्कृत की पढ़ाई का जो मौलिक ढंग पहले से था वही रहना चाहिये। हम लोग भी संस्कृत पढ़े हैं उन पाठशालाओं में। न उस समय हम लोगों के सामने कुर्सी रहती थी और न मेज। चौकी पर बड़े-बड़े विद्वान बैठ कर पढ़ाते थे और हम लोग पट्टी पर बैठ कर पढ़ते थे और पूरी-पूरी किताब याद कर लेते थे। जब से यह परीक्षा पद्धति संस्कृत में चलाई गई, उसका बड़ा ह्रास हुआ और वहां के आचार्य और शास्त्री की परीक्षा पास करने वाले छात्र भी आज बिल्कुल अयोग्य हैं। तो सब से पहले इस बात पर ध्यान देना होगा कि विश्व-विद्यालय में जो हमारी प्राचीन परम्परा है पढ़ाने में उसमें किसी तरह का मिश्रण नहीं होना चाहिये। वहां के जो अध्यापक हों उनकी वेशभूषा प्राचीन पद्धति के अनुकूल हो। वहां पर व्याकरण, ज्योतिष, कर्मकांड, न्याय, मीमांसा, दर्शन, तंत्र, आदि विषयों की शिक्षा विधिवत् उसी रूप से होनी चाहिये जैसी कि प्राचीन काल में हुआ करती थी। तब तो इस विश्व-विद्यालय का एक अलग महत्व होगा अन्यथा यह विश्वविद्यालय उन्हीं अंग्रेजी विश्वविद्यालयों की तरह अपना कार्य करता रहेगा और इसके अध्यापक भी सूट-बूट पहन कर भाष्य की टीका करेंगे और काव्यों की व्याख्या करेंगे और उनमें कोई अन्तर नहीं रहेगा। यूं तो इन विश्व-विद्यालयों में एम० ए० और बी० ए० में संस्कृत पढ़ाई जाती है।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय के लिये जितना भी सहारा मिले, उत्तम होगा। बड़ा दुःख है कि आज संस्कृत के ५० विद्यार्थी भी सूर्याघ्र्य देते हुए नहीं मिलते। यह हमारे लिये बड़े कलंक की बात है। काशी में पुराने समय में जिस समय आप जाते थे वहां की पाठशालाओं के छात्र पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए वेदों की सूक्तियों का पठन-पाठन करते हुए मिलते थे और बाहर के लोग उसका

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रवण करते थे और उससे अपने को कृतकृत्य मानते थे। आज वह सारी चीजें लुप्त हो गई हैं। सरकार का यह जो प्रयास हुआ, बड़ा उत्तम हुआ। इसलिये मैं चाहता हूं कि वहां पर एक तंत्र और मंत्र की भी शाखा खोली जाय कि जहां उसके जानकार विद्यार्थियों को तंत्र और मंत्र की शिक्षा दे सकें। इसकी बड़ी जरूरत है। जैसे अणु बम और परमाणु बम की अनुसंधानशालायें खोलने की ओर ध्यान दिया जा रहा है, मैं कहता हूं कि यह उससे ज्यादा बलवान और शक्तिमान तंत्र और मंत्र के श्लोक हैं। इन पर विश्वास किया जाय और उनकी पद्धतियों के अनुकूल उनका साधन किया जाय तो यह आपको और ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसे जितना भी धन दे सकें अवश्य दें। विश्वविद्यालय खुलते हैं। गोरखपुर का खुला लेकिन धनाभाव के कारण वह भी अपनी जगह एक कालेज सा रह गया है। यदि धनाभाव के कारण काशी के संस्कृत विश्वविद्यालय की अनुसंधानशाला नहीं बनी और अन्य साधन नहीं दिये गये तो वह भी नाममात्र की चीज रह जावेगी। मैं बरमा में गया और वहां मैंने देखा कि पाली का विश्वविद्यालय बना हुआ है और वहां के मुख्य मंत्री विशेष रूप से उसका संचालन करते हैं। जिस ढंग से उन्होंने हमारी प्राचीन अवशेषों को और मंत्रों की पुस्तकों को संग्रह किया है उनको देख कर बहुत प्रभावित हो जाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि गांवों में जो हस्तलिखित पुस्तकें पड़ी हुई हैं और बिना पैसे भी मिल सकती हैं, उन्हें मंगा कर रखें।

अध्यापकों की भी विशेष रूप से दिनचर्या हो और उनको देखने से मालूम हो कि वे ऋषि या महर्षि हैं और संस्कृत के अध्यापक हैं। अध्यापक चौकी पर बैठें और छात्र दरियों पर बैठ कर पढ़ें और प्राचीन पद्धति पर उन्हें पढ़ाया जाय। मौलिक ग्रन्थों के अध्यापन का बिल्कुल अभाव सा होता जा रहा है। अंग्रेजी के लिये तो बहुत से स्कूल और कालेज खुल गये हैं और जैसे लड़के उनसे निकल रहे हैं वह भी सब को मालूम है। वहां इसकी आवश्यकता नहीं है। इतिहास और भूगोल भी वहां पढ़ा दीजिये लेकिन जैसे प्राचीन समय में संस्कृत पाठशालाओं में प्राचीन पद्धति से विद्वान् लोग पढ़ा करते थे उसी तरह से पढ़ाई होने में किसी प्रकार की भूल नहीं होनी चाहिये।

जहां तक इसके आचार्य का सम्बन्ध है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। परन्तु इतना अवश्य है कि किसी प्राचीन पद्धति का अनुसरण करने वाले व्यक्ति को वहां बैठाना चाहिये था। संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी की मनोदशा और विचार को वही जान सकता है जो संस्कृत स्वयं पढ़े हों और प्राचीन ग्रन्थों में उनका स्वतः विश्वास हो। इस प्रकार से यदि वहां की पढ़ाई आरम्भ हुई तो मुझे विश्वास है कि सरकार का उद्देश्य सफल होकर रहेगा।

मैं चाहता हूं कि संस्कृत के और भी जो अध्यापक हैं उनका वेतनक्रम इतना अवश्य हो जाना चाहिये कि उनको भी मालूम हो कि हम एक स्वतंत्र देश के अध्यापक हैं। अभी तक संस्कृत पाठशालाओं में जो आचार्य और शास्त्री हैं वे २५, ३० रुपये में अपनी गुजर कर रहे हैं। संस्कृत पाठशाला हर गांव में बिखरी हुई हैं, लड़के भी कम आ रहे हैं लेकिन फिर भी वे सरकार की थोड़ी सी सहायता से जीवनयापन कर रही हैं। अगर वे प्राचीन संस्कृत की पाठशालायें सब जगह न होतीं और अध्यापकों का उतना त्याग न होता तो ये शिक्षालय कैसे रहते? जितनी भी गांवों में पाठशालायें हैं उन्हें सुचारु रूप से चलाया जाय और उन्हें अनुदान दिया जाय। जब कि १६ करोड़ रुपया हम शिक्षा पर खर्च करते हैं तो संस्कृत पर हम कुछ भी खर्च नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—अब जरा आप इस विधेयक पर आ जाइये।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—अध्यक्ष महोदय, इस विश्वविद्यालय विधेयक द्वारा जो बहुत सी कमियां थी उनको दूर किया जा रहा है, उन कमियों की पूर्ति की जा रही है। सरकार का यह प्रयास बहुत ही स्तुत्य है।

[श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी]

वहां पर एक बहुत बड़ी अनुसंधानशाला होनी चाहिये ताकि वहां से जो लोग निकल कर आयें वे अपनी पुरातन परिपाटी के अनुसार अपना जीवन बिता सकें। जर्मनी, अमेरिका और रूस या जापान से जो भी लोग यहां आते थे और जिन्होंने यहां आकर शिक्षा प्राप्त की है, उन्होंने वहां की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। वहां पर ऋषिकेष आश्रम में यौगिक शिक्षा दी जाती है। बाहर के लोग वहां आकर शिक्षा प्राप्त करते हैं।

इस विश्वविद्यालय के स्थापन से एक बहुत बड़ी कमी की पूर्ति हुई है और इससे जो हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी है उसको भी बहुत बल मिला है। अगर यह विश्वविद्यालय न खुलता तो हम गलत-सलत हिन्दी बोलते और सही उसको कहां से करते? इसके कारण आपका भंडार सुरक्षित रहेगा और आपकी भाषा समुन्नत होती रहेगी। ऐसी दशा में मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि जो विश्वविद्यालय उन्होंने खोला है, उसके सम्बन्ध में जो विधेयक वे लाये हैं, वह बहुत ही अच्छा है लेकिन उन्हें इसका भी स्मरण रहे कि रुपया तो बहुत खर्च होता है लेकिन वहां पर हमको अधिक से अधिक धन देना चाहिये।

एक बात और है। छात्रों की छात्रवृत्ति भी हमारी एक परम्परा रही है। कहा गया है—

"कुक्षौं तिष्ठति यस्यान्नं विद्याभ्यासेन जीयंति।
पितृश्च तारयेत् सर्वान् दशपूर्वान् दशापरान्॥"

मनु ने ऐसा लिखा है कि संस्कृत शिक्षा को ग्रहण करने वाले विद्यार्थी जिसके अन्न से शिक्षा ग्रहण करते हैं उस व्यक्ति के १० पूर्व के और १० बाद के पुरखे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस चीज को मान कर छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाती थी। इसलिये आप वहां छात्रवृत्ति में कमी न करें, क्योंकि उसके अभाव में विद्यार्थी वहां से न निकल सकेंगे। यह इसलिये भी जरूरी है कि आजकल राजे महाराजे या सेठ साहूकार तो इस स्थिति में रहे नहीं हैं, इसलिये सरकार को अधिक से अधिक मात्रा में वहां के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं सरकार को धन्यवाद देते हुए इसका समर्थन करता हूं।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—मान्यवर, जो प्रस्तुत संशोधन विधेयक है, वह तो एक बहुत छोटा सा विधेयक है और एक तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिये ही लाया गया है, उसका तो मैं हृदय से समर्थन करता हूं परन्तु संस्कृत विश्वविद्यालय के बारे में विचार करने के लिये इस समय हमें जो अवसर मिला है उसका लाभ उठाते हुए मैं कुछ कहना चाहता हूं।

संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना से हमारे देश के संस्कृत जगत् में एक बहुत बड़ी आशा का संचार हुआ और उसने हमें इस बात का विश्वास दिलाया कि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की छत्रछाया में संस्कृत साहित्य और संस्कृत दर्शन के पूर्ण परिचय ज्ञान के प्रसार एवं उद्धार करने का महा अभियान शुरू किया गया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना से यह भी आशा जगी है कि इस पीड़ायुक्त संसार में मानवता के जो अपने आदर्श हैं, जिससे लोग दिन प्रति दिन हटते जा रहे हैं, जिसके कारण ज्ञान होने पर भी हम महाप्रलय की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उसके सामने हमारे संस्कृत के विद्यार्थी अपने प्राचीन ज्ञान और आदर्श को ले जाकर रखने की चेष्टा करेंगे। महामान्यवर, किसी भी शिक्षण संस्था पर उसके वातावरण का, उसके अध्यापकों का, उसके अध्यापकों के ज्ञान और आचरण का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ करता है। प्राचीन समय में हमारे महाविद्यालय ऐसे वातावरण में हुआ करते थे, ऐसे अध्यापकों के संरक्षण में चला करते थे जिनके आचरण का काफी प्रभाव उनके शिष्यों पर पड़ा करता था। हमारी आशा यह थी कि संस्कृत विश्व-विद्यालय उसी दिशा में संस्कृत शिक्षा को ले जायगा, परन्तु, मान्यवर, जो अभी संस्कृत विश्वविद्यालय के वर्तमान उपकुलपति की नियुक्ति हुई उससे हमारी उस आशा को

धक्का लगा। हम तो समझते यह थे कि यहां पर भारद्वाज आश्रम जैसे कुलपति, उपकुलपति रहेंगे जिससे संस्कृत संसार में एक आशा जगेगी और संस्कृत के विद्वानों के हृदय में विश्वास जगेगा कि इस महाविद्यालय के उच्च आसन पर उन्हें भी विराजमान होने का अवसर मिलेगा। मान्यवर, यदि हम संस्कृत के विद्वानों को भी उन्हीं परम्पराओं की तरफ ले जाना चाहते हैं जहां कि बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों के छात्र जाते हैं, जहां उन्हें अपने देश की वेशभूषा का ध्यान नहीं रह जाता और अपने देश के प्राचीन आदर्श को भूल जाते हैं तो फिर मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि संस्कृत विश्वविद्यालय उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता है जिसकी आशा उससे की जाती है। और फिर मैं निवेदन करूंगा कि यदि उसी तरफ संस्कृत के विद्यार्थियों को भी ले जाने की कोशिश की, अनजाने भी ऐसा कार्य किया तो उससे हमें अपने कदम को मोड़ना चाहिये। कहा जा सकता है कि ऐसी ऊंची संस्था को पक्के आधार पर स्थापित करने के लिये किसी अनुभवी प्रशासक की आवश्यकता हो सकती है। परन्तु मैं जानता हूं कि इस देश में और इस प्रदेश में भी संस्कृत के भी ऐसे ऊंचे-ऊंचे विद्वान् हैं जो अपने चरित्र और कार्यों के कारण ऐसी ख्याति रखते हैं जो इस काम को योग्यता और आसानी से कर सकते थे। विश्वविद्यालय के द्वार पर एक सिद्धान्त लिखा हुआ है "सा विद्या या विमुक्तये" उसे देख कर यह आशा जगी कि यह संस्कृत विश्वविद्यालय मानव को हर प्रकार से विमुक्ति की तरफ ले जायगा, लेकिन जब मैंने इसके विपरीत जाते हुए देखा तो मुझे कुछ आशंका हुई।

मान्यवर, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ-साथ हमने यह कल्पना की थी कि यह शहरी वातावरण से दूर किसी ऐसे वातावरण में होगा जहां कि हमारे छात्र शान्तिपूर्वक संस्कृत विद्या का अध्ययन कर सकें क्योंकि हमारे सामने मिसाल अभी यहीं लखनऊ आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थियों की है। जो उन्होंने अभिनय किया उसे देख कर तो हमें यह शंका हो गयी कि कहीं संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों को देख कर, आसपास के विश्वविद्यालयों को देख कर उन्हीं के छात्रों जैसी कल्पना न करने लगें कि वे भी उन्हीं की तरह सूट बूट पहनेंगे और पंडित तथा आचार्य कहलाने के बजाय डाक्टर ही कहलाना पसन्द करेंगे। यदि वे ये सब चीजें उस वातावरण में हुईं तो सम्भव है कि वे भी वैसी कल्पना करने लगें। मैंने तो बहुत पहले ही एक सुझाव दिया था कि बनारस जिले में वाल्मीकि आश्रम जो पुराना स्थान है और जो गंगा जी के किनारे है, वहीं पर इस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय और यदि ऐसा हुआ होता कि उसी प्राचीन आदर्श को सामने रखते हुए हमारे विद्यार्थी और अध्यापक ग्रामीण वातावरण में बैठते और संस्कृत विद्या पर शोध कार्य करते तो अति उत्तम होता। इसकी सम्भावना तो इस समय नहीं है परन्तु मेरा सुझाव यह है कि यदि शहरी वातावरण में इस विश्वविद्यालय को रखा गया तो आजकल के जमाने में संस्कृत विद्या से वह लाभ नहीं हो सकेगा जो कि हम उठाना चाहते हैं। यदि हमारी चेष्टा यह हो कि हम इसके अन्दर अंग्रेजी को ले आवें, किसी विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर को या राजनीति के प्रोफेसर को इस संस्कृत विश्वविद्यालय में ले आवें जो यहां आकर पढ़ावें लिखावें तो मैं बतला देना चाहता हूं कि यहां का वातावरण बिल्कुल बदल जायगा और फिर सारे विद्यार्थियों की आकांक्षायें वे ही हो जायेंगी जैसी कि आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थियों की हुई। और आज दुर्भाग्य यह है कि आयुर्वेद की तरक्की के लिये, उसको उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंचाने के लिये नौजवानों को जो आवाहन दिया गया तो मांग यह होने लगी कि इस आयुर्वेद की शिक्षा को हटा दिया जाय। वैद्यक की जगह डाक्टरी का सार्टिफिकेट मिलना चाहिये और आयुर्वेदिक कालेज के बजाय मेडिकल कालेज में दाखिला दिया जाय। इन भावनाओं को देख कर मेरा हृदय तड़प उठता है कि सचमुच किस तरह से हम इस देश को उस आदर्श पर ले जा सकते हैं, जिस आदर्श पर इस देश की प्राचीन संस्कृति की स्थापना हुई थी, जिससे हमारे देश की उन्नति हो सकती है। अगर पाश्चात्य की ओर देखना है तो इस महाविद्यालय के जरिये हम उस ओर नहीं जा सकते। मैं तो चाहता हूं कि प्राच्य विद्या का आदर्श विश्व-

[श्री महावीर प्रसाद शुक्ल]

विद्यालय यह सारे जगत में अद्वितीय हो और यहां पर हर प्रकार की संस्कृति व पुराने वातावरण की पुनरावृत्ति हो जिस वातावरण में कि भारद्वाज का आश्रम और नालन्दा का विश्वविद्यालय पोषित होता था जिनमें कि चीन, जापान और सारे एशिया के विद्यार्थी आया करते थे। यह विश्वविद्यालय उन्हीं की तरह ऐसा केन्द्र बन जाय कि सारे संसार की निगाहें भारत की तरफ हों। धीरे-धीरे हमारी वर्तमान शिक्षणप्रणाली हमें विनाश की ओर ले जा रही है, बचपन से आचरण गिरने लगते हैं, निष्ठा और सत्य में विश्वास नहीं रहता, ५० रुपये की कोई नौकरी करता है और १०० रुपये गलत तरीके से कमाने की कोशिश करता है, ये सब कार्य पाश्चात्य विद्या के ही कारण हैं। यदि यह संस्कृत विश्वविद्यालय भी पाश्चात्य विद्या के आदर्श पर ही चले, उसमें ऐसे उपकुलपति हों, उनके अधीन ऐसा ही अध्यापक वर्ग रहेगा जो पाश्चात्य वातावरण में पला हो, तो हम किसी तरह से इस विश्वविद्यालय को उस तरफ नहीं ले जा सकते जिस तरफ कि हम उसे ले जाना चाहते हैं।

जहां तक कि वहां के पढ़ने वाले विषय हैं वे भी, मान्यवर, ऐसे ही होने चाहिये जिनके द्वारा हम पुरानी संस्कृति को स्थापित कर सकें। मेरे मित्र ब्रह्मचारी जी ने पठन-पाठन की बात कही. कल्पना यह है कि आधुनिक विषय पढ़ाये जायं। मैं आधुनिक विषयों का विरोधी नहीं हूं। मैं इसका विरोधी नहीं हूं कि संस्कृत भाषा में विज्ञान की शिक्षा क्यों दी जाय। लेकिन मैं यह अवश्य चाहूंगा कि वातावरण संस्कृतमय होना चाहिये, सरल, सुगम और स्वस्थ होना चाहिये। टोप, सूट, बूट टाई वाला नहीं होना चाहिये। चमक-दमक वाला नहीं होना चाहिये। प्राचीन भारतीय परम्पराओं के अनुकूल होना चाहिये। तभी हम उन भावनाओं को छात्रों में ले आ सकते हैं जिससे उनका जीवन उदात्त भावनाओं से परिपूर्ण हो। उनका अध्ययन त्याग के साथ हुआ करता था—

"ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचिज्जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यचिद्धनम्"।

अर्थात यह सारा जगत ईश्वरमय है। जो कुछ भी संसार में है उसका भोग त्याग के साथ करना चाहिये वह यह आदर्श सामने रख कर अध्ययन करते थे। उनकी यह भी कल्पना होती थी कि सारे विश्व का कल्याण करना है ताकि कहीं दुख किंचित मात्र को भी न रह सके।

"सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वेसन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद दुःख भाग्भवेत्।"

यह नहीं होता था कि हम ५० रुपये के सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबिल हो जायं और १०० रुपये मासिक आमदनी ऊपर से करने की चेष्टा करें। जब तक हम अपने विद्यार्थियों को इन आदर्शों की ओर दृढ़ता से नहीं ले जाते हैं, जब तक हम ऐसे आचरण उनमें पैदा नहीं करते हैं तब तक हम उनको प्राचीन संस्कृति की ओर नहीं मोड़ सकते हैं। अगर अध्यापकों को मनमाने तरीके पर पाठ पढ़ाने के लिये छोड़ देते हैं तो उसी का परिणाम होता है कि विद्यार्थियों द्वारा स्ट्राइक्स और जनप्रिय सरकार द्वारा उन्हीं बालकों पर गोली चलाना। इसलिये शिक्षा का आदर्श बदल कर संस्कृत विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को प्राचीन संस्कृति की ओर ले जायगा तभी हमारा कल्याण होगा और संस्कृत विश्वविद्यालयों की स्थापना सार्थक होगी और जो मूल में गलती हुई है उसको यह सरकार सुधारने की कोशिश करेगी। ऐसा हमारा सुझाव है। श्रीमान, इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री कैलाश प्रकाश—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो संशोधन आज इस विधेयक पर उपस्थित किये उनके भाषणों को मैंने ध्यान से सुना और मैं बहुत आभारी हूं कि प्रायः सभी ने इस विधेयक का स्वागत किया।

एक संशोधन मेरे मित्र श्री ऊदल जी ने रखा कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिये घुमाया जाय। मैं बहुत ध्यान से उस बात को सुनता रहा कि वह ऐसी कौन सी चीज इस विधेयक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में है जिसके विषय में वे जनमत जानना चाहते हैं। उन्होंने जो इस विधेयक के मुख्य-मुख्य खंड हैं उनका स्वयं स्वागत किया। केवल उनको एक बात पर विरोध रहा कि १८ महीने के बजाय जो यह ३६ महीने का संशोधन रखा गया है यह वे नहीं चाहते। मैं यही समझता हूं कि यदि उन्होंने यह संशोधन जनमत जानने के लिये घुमाने का रखा है तो वह उसी संबंध में होगा। इस विधेयक को विचारार्थ उपस्थित करते समय मैं निवेदन कर चुका हूं कि मूल अधिनियम में जो १८ महीने की अवधि रखी गई थी वह जुलाई में समाप्त हो चुकी। विश्वविद्यालय का कार्य अभी चालू हुआ है। उसको सुगमता से चलाने के लिये यह आवश्यक है कि राज्य सरकार को इस बात का अधिकार रहे कि यदि इसके प्रचलन में, इसके कार्य में कोई कठिनाई और बाधा उपस्थित हो तो आज्ञा जारी करके उन बाधाओं को, उन दिक्कतों को दूर करे और विश्वविद्यालय का कार्य चलता रहे। इसलिये, श्रीमन्, मैं जो उन्होंने संशोधन उपस्थित किया है उसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

दूसरे संशोधन प्रवर समिति में भेजने के हैं। उसमें भी, श्रीमन्, मैंने सुना और कोई आवश्यकता मुझे इस बात की महसूस नहीं हुई कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय। प्रथम तो जो चीजें, जो खंड और जो व्यवस्था विधेयक में की गई हैं उनके ऊपर यह मान्य सदन पहले विचार कर चुका है, विचार विनिमय हो चुका है, उनको स्वीकार कर चुका है। यदि लखनऊ और इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में उनका होना अच्छा है तो संस्कृत के विश्वविद्यालय के अन्दर उनका होना आवश्यक है। इस कारण भी मुझको यह आवश्यकता नहीं महसूस हुई कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्रीमन्, जैसा मैंने निवेदन किया, प्रायः माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का स्वागत किया है और उन्होंने अपने कुछ विचार इस भाव के साथ प्रकट किये हैं कि प्रदेश में संस्कृत का पठन-पाठन, संस्कृत की खोज, अनुसंधान, उसके साहित्य की रचना, अच्छे तरीके से उन्नत हो सके, इस भाव को लेकर ही विश्वविद्यालय को बनाया गया था। मेरे मित्र दीपनारायण मणि जी ने कुछ शंकायें उपस्थित कीं और उनके उपस्थित करते-करते वह स्वयं ही उस बात का उत्तर दे गए। यदि केवल मंशा संस्कृत भाषा को पढ़ाने का होता तो, श्रीमन्, आज भी ऐसे विश्वविद्यालय हैं इस प्रदेश में जो संस्कृत की भाषा पढ़ाते हैं। श्रीमन्, आज भी संस्कृत की भाषा हमारे माध्यमिक स्तर पर भी पढ़ाई जाती है। उसका एक अंश वहां अनिवार्य भी है। संस्कृत की भाषा विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई जाती है। इसलिये अगर केवल उद्देश्य भाषा पढ़ाने का होता तो यह विश्वविद्यालय पर्याप्त थे। यदि पृथक से संस्कृत विश्वविद्यालय को स्थापित करने की आवश्यकता महसूस हुई तो इस कारण कि संस्कृत अपना एक विशेष महत्व रखती है, उसमें इस देश की पुरानी संस्कृति है, उसका जो साहित्य है उसमें मानवता के वे मूल हैं जिनका महत्व आज विज्ञान के बढ़ जाने पर भी बहुत ऊंचा है और जिनमें आज भी यह शक्ति है कि वह मानव समाज के संगठन की ओर मार्ग प्रदर्शित कर सकें। इसी उद्देश्य को लेकर संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करने का विचार किया गया। इसका काम चालू हुआ है। बहुत से सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं। उन सुझावों को मैंने स्वयं ध्यान से सुना और मैं उनका बहुत आभारी हूं क्योंकि उन सुझावों से शासन को और विश्वविद्यालय को बहुत लाभ होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं विश्वविद्यालय एक जीवित संस्था है उसमें एक शक्ति होती है कि वह अपनी आवश्यकतानुसार अपने आपको विकसित कर सके, अपनी आवश्यकतानुसार अपने में जीवन पैदा कर सके, अपनी आवश्यकतानुसार अपने पठन-पाठन का कार्यक्रम निश्चित कर सके। बहुत सी बातें और सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं वह उसी भावना और उद्देश्य से दिये हैं और मुझे आशा है जैसे यह विश्वविद्यालय कार्य करेगा स्वयं जो आज प्रदेश की संस्कृत की भाषा की उन्नति की आवश्यकता है उसके लिये व्यवस्था करेगा और जो उसकी आवश्यकतायें होंगी उनकी पूर्ति करने में समर्थ होगा।

[श्री कैलाश प्रकाश]

श्रीमन्, इस बात की ओर यहां ध्यान दिलाया गया कि विश्वविद्यालय के लिये जितने धन की आवश्यकता हो उसका प्रबन्ध किया जाय। इस बात पर भी ध्यान दिलाया गया कि विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाय जैसा कि अब तक बहुत सी पाठशालाओं में दी जाती रही है। यह भी बताया गया कि विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति का प्रबन्ध होना चाहिये। यह भी सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय को अच्छे रूप में विकसित होने के लिये अन्य संस्थाओं का और कालेजेज का इससे सम्बन्ध होना चाहिये। इन सब चीजों की ओर शासन का और विश्वविद्यालय का ध्यान है और यथाशक्ति जहां तक हो सकेगा और जहां तक रिसोर्सेज आज्ञा देंगे इन सब चीजों का प्रबन्ध किया जायगा।

मेरे मित्र माननीय ऊदल जी ने अपना संशोधन उपस्थित करते हुए इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि काशी में जो महाविद्यालय था उसकी वेधशाला को हटाकर नैनीताल ले जाया गया। बात यह सही है, किन्तु इस वेधशाला को हटाने का विशेष कारण है। विशेषज्ञों की राय ली गई और उन्होंने यह राय दी कि अच्छी वेधशाला स्थापित करने के लिये इस प्रदेश में नैनीताल का जिला उपयुक्त स्थान है। वहां उसको हटाया गया। उस वेधशाला में बहुत से यन्त्र भी मंगवाये गये और, श्रीमन्, जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बार कहा था, जिनको उस विषय का विशेष अध्ययन है, जिनकी विशेष रुचि उस ओर रही है, हमारे लिये गौरव की बात है कि नैनीताल में जो हमारी वेधशाला है वह न केवल देश में अपना स्थान रखती है बल्कि विदेशों में भी उसके लिये एक स्थान प्राप्त हुआ है। इस वेधशाला को वहां से हटाने का मतलब यह नहीं है कि जो विश्वविद्यालय काशी में स्थापित किया गया है वहां के जो विद्यार्थी ज्योतिष या गणित में अध्ययन करें उन्हें उसकी सुविधा प्राप्त न हो। उनके लिये भी जिन सुविधाओं की आवश्यकता होगी अध्ययन के लिये उनकी व्यवस्था अलग से की जायगी। उनकी व्यवस्था करने का प्रबन्ध है।

इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया गया कि इस विश्वविद्यालय में केवल भाषा ही नहीं बल्कि संस्कृत के या पुराने साहित्य के जो विभिन्न अंग हैं उन सब की पढ़ाई वहां होनी चाहिये। इस बात की ओर विश्वविद्यालय का ध्यान है और वह इसके लिये प्रबन्ध कर रहा है।

मैंने जैसा निवेदन किया कि मैंने देखा कि प्रायः सभी माननीय सदस्यों ने इस बिल का स्वागत किया है। जो धारायें इसमें रखी गई हैं वह उनको पसन्द हैं और वह इस बात के स्वयं इच्छुक हैं कि वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अतिशीघ्र उन्नति करे। इसलिये मुझे ज्यादा कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है।

एक बात की ओर यहां और ध्यान दिलाया गया। कहा गया कि इस विश्वविद्यालय का उपकुलपति कोई संस्कृत का पंडित होना चाहिये। यह विश्वविद्यालय का विधेयक करीब दो साल के हुये जब पारित हुआ था। उस वक्त से इस समय तक राज्य सरकार का यह प्रयत्न रहा कि विश्वविद्यालय को चालू करने के लिये, उसको ठीक ढंग से चलाने के लिये किसी योग्य व्यक्ति को उपकुलपति बनाया जाय। देश के प्रमुख पंडितों से इस विषय में वार्ता भी चली है, इस समय जो उपकुलपति नियुक्त किये गये हैं वह, श्रीमन्, स्वयं एक संस्कृत के स्कालर हैं। यह अनुचित न होगा यदि मैं निवेदन कर दूं कि बाल्यावस्था में पालन-पोषण करने के लिये योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है और अच्छे प्रशासन की भी आवश्यकता होती है। हमारे जो मौजूदा उपकुलपति हैं वह संस्कृत के स्कालर तो हैं ही साथ ही वह बहुत अच्छे प्रशासक भी हैं। उन्हें प्रशासन का अनुभव है और इस प्रदेश के प्रशासन में उनका एक खास अनुभव रहा है। एक ओर वह संस्कृत के अच्छे स्कालर हों और प्रशासन के भी अच्छे अनुभवी व्यक्ति हों इन्हीं दोनों योग्यताओं की आवश्यकता थी। इन्हीं गुणों को देखकर उनको उपकुलपति नियुक्त किया गया है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी आशंका के साथ या किसी सन्देह के साथ जब कोई नई चीज शुरू हो तो

उसमें नहीं चलना चाहिये, आशंका से उन्नति अवरुद्ध होती है, विकास में कमी आती है। हम तो यही आशा करते हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर यह विश्वविद्यालय इस प्रदेश में स्थापित किया गया है उसे यह पूरा करेगा। इन चीजों को समक्ष रखते हुये मैं उन माननीय सदस्यों से, जिन्होंने जनमत के लिये घुमाने का अथवा प्रवर समिति के सुपुर्द करने के संशोधन उपस्थित किये हैं प्रार्थना करूंगा कि वह उनको वापस ले लें और शीघ्र ही इस विधेयक को पारित होने दें, क्योंकि कोई नयी बात इस विधेयक में रखी ही नहीं गयी जो अन्य विश्व-विद्यालयों में आपने स्वीकृत न की हो और इस बात को तो आप स्वयं पसंद करेंगे कि यदि अन्य विश्वविद्यालयों में कोई चीज रखी गयी तो संस्कृत विश्वविद्यालय में भी उसका रखना ठीक बात है। मुझे आशा है कि सदन मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष—माननीय ऊदल जी, क्या आप संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री ऊदल—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो खयालात जाहिर किये हैं, मैं समझता हूं कि वापस ले लूं, लेकिन जैसा कि मैं कहना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष—अब बहस नहीं हो सकती। आप वापस लेना चाहें तो ले सकते हैं।

श्री ऊदल—मैं उसको वापस ले रहा हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री यमुना प्रसाद शुक्ल—श्रीमन्, मैं भी वापस ले रहा हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री देवनारायण भारतीय—जो मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, उसके पश्चात् मैं भी यह उचित समझता हूं कि अपना संशोधन वापस लूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, ३, ४, ५ और ६

२—वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा १३ में:

(१) उपधारा (५) तथा (६) निकाल दी जाय; तथा

(२) उपधारा (८) में शब्द "यदि" तथा "उपधारा (७) के अधीन उपकुलपति" के बीच में आये हुये शब्द "उपधारा (५) के खंड (क) या" निकाल दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २८, १९५६ की धारा १३ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (१) के मद (१८) के अन्त में आया हुआ पूर्ण विराम निकाल दिया जाय तथा उसके पश्चात् निम्न-लिखित बढ़ा दिया जाय :

"और जो ऐसी संस्थिति के पंजीकृत स्नातकों द्वारा जो नियत की जाय, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार अपने में से चुने जायंगे।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २८, १९५६ की धारा १९ का संशोधन।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २८, १९५६ की धारा ४४ का संशोधन।

४--मूल अधिनियम की धारा ४४ की उपधारा (६) में शब्द "कार्यकारिणी परिषद्" तथा "को पूर्व स्वीकृति" के बीच में आये हुये शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "कुलपति" रख दिया जाय।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २८, १९५६ की धारा ५० का संशोधन।

५--मूल अधिनियम की धारा ५० के प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "अट्ठारह" के स्थान पर शब्द "छत्तीस" रख दिया जाय।

निरसन।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३, १९५८, यू० पी० ऐक्ट १, १९०४।

६--वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है तथा यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानों कि वह उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरसित कोई विधायन हो।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २, ३, ४, ५ और ६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २८, १९५६।

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम १९५६ को संशोधित करने का विधेयक

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २८, १९५६।

यह इष्टकर है कि वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ को कतिपय प्रयोजनों के लिये संशोधित किया जाय,

अतएव, भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ।

१--(१) यह अधिनियम वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कैलाशप्रकाश--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ पारित किया जाय।

श्रीमन्, मुझे इसमें कुछ कहना नहीं है, विशेषकर अपने उन माननीय सदस्यों का आभार प्रदर्शन करना है जिन्होंने अपने संशोधनों को, जो दिये थे, वापस लिया है। मैं पुनः आशा करता हूं कि वह मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) विधेयक, १९५७

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) विधेयक, १९५७ [U. P. (Regulation of Building operation) Bill, 1957] पर जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

श्रीमन्, इधर बड़े नगरों को व्यवस्थित ढंग से उन्नतिशील बनाने का प्रयत्न हो रहा था उधर कुछ व्यक्तियों में एक प्रवृत्ति पैदा हो गई कि नगर की सीमा के बाहर जो उनकी जमीनें थीं, वहां पर मकान इत्यादि बनाने शुरू कर दिये। इसका नतीजा यह मालूम पड़ा कि अगर इस तरह नगरों के बाहर आबादी बस जायगी जिसमें न तो व्यवस्थित ढंग से मकान बने होंगे और न गंदा पानी निकलने का कोई प्रबंध ही होगा तो नगर भी गन्दा हो जायगा। उदाहरण के लिये देखिये देहली का प्रश्न था। केन्द्रीय सरकार ने कंट्रोल आफ बिल्डिंग्स आपरेशन बिल, १९५५, इसलिये बनाया था जिससे देहली नगर को अच्छा बनाया जा सके। उसको उन्नतिशील बनाने का केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रयत्न हो रहा था और यह भी सरकार का प्रयत्न था कि गन्दगी को रोका जाय। इधर यह व्यवस्था की जा रही थी उधर हमारे प्रदेश के गाजियाबाद नगर के लोगों की यह प्रवृत्ति हो गई कि जहां-जहां जमीन मिले और जिस तरह से भी हो उन पर फैक्टरी या मकान बनाये जायं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसको महसूस किया कि इस तरह से अगर गाजियाबाद में मकान बन जायेंगे तो ऐसी स्थिति हो जायगी कि वह खुद गन्दा हो जायगा और देहली को जो उन्नतिशील बनाये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है, उसमें भी सफलता नहीं मिलेगी और देहली भी गंदा हो जायगा। उनको यह सूचना मिली और आश्चर्य हुआ कि लोगों ने वहां यह लिखकर टांगना शुरू कर दिया। इसकी भाषा, श्रीमन्, मैं निवेदन करूं इस प्रकार है कि "यहां पर मकान बनाने के लिये कोई रुकावट नहीं है, आइये जमीन लीजिये और मकान बनाइये।" जब ऐसी स्थिति हुई और देखा गया कि अव्यवस्थित ढंग से मकानों का बढ़ाव हो रहा है, फैक्टरियां बढ़ रही हैं, वहां ऐसी जमीन भी है जो नीची है और उसमें पानी भर जाता है, वहां भी मकान बन रहे थे तो यह प्रयत्न किया गया प्रदेशीय सरकार की ओर से कि वहां की नगरपालिका को ऐसे अधिकार दिये जायं जो कि म्युनिसिपल ऐक्ट में दिये जा सकते हैं, जिससे प्रतिबन्ध लग सके। लेकिन दुर्भाग्यवश नगरपालिका ने सहयोग नहीं दिया। यही नहीं बल्कि जो हमारे टाउन प्लानर द्वारा स्कीम बनाई गई थी उसको रद्द कर दिया और जो उनका निजी आर्कीटेक्ट देहली का था उसकी स्कीम के अनुसार काम शुरू कर दिया। मास्टर प्लान जो वहां के लिये तैयार हुआ था उसके विरुद्ध काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद यह प्रयत्न किया गया कि वह कम से कम बाई-लाज के अन्तर्गत काम करें तो भी कुछ रुकावट होगी। लेकिन उन्होंने उसकी भी परवाह नहीं की। शासन के सामने जब यह दिक्कत आ गई तो लाजमी हो गया कि ऐसा विधेयक बनाया जाय जैसा कि कंट्रोल आफ बिल्डिंग्स आपरेशन बिल देहली का है, जिससे यह चीज रोकी जा सके।

श्रीमन्, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिये यह विधेयक सदन के सामने पेश किया गया है। इसमें प्राविजन किया गया है कि अगर राज्य सरकार यह समझती है कि कोई ऐसा उन्नति-

---

*९ दिसम्बर, १९५७ की कार्यवाही में छापा गया।

[श्री रामस्वरूप यादव]

शील नगर है और उसके चारों तरफ ऐसी आबादी होती जा रही है तो वह उस क्षेत्र को घोषित कर दे और उसके बाद उस क्षेत्र में एक अथारिटी कायम हो जायगी जिसके कुछ सदस्य होंगे और वह अथारिटी उस नगर की परिस्थिति को देखेगी और नगर की सीमा के आस-पास कोई व्यक्ति ऐसा मकान न बना सके या फैक्टरी न बना सके जिससे गन्दगी होती है और पानी वगैरह निकलने की ठीक व्यवस्था न हो। ऐसी परिस्थिति में जब हम यह देखें कि किसी नगर को स्वच्छ रखें तो पीने के पानी के अलावा गन्दे पानी के निकलने की व्यवस्था ठीक से होनी चाहिये। इसलिये श्रीमन्, इसकी आवश्यकता हो गई ।

श्रीमन्, इसके साथ-साथ यह भी प्राविजन किया गया है कि जब यह ऐक्ट लागू होगा और वहां पर मुनासिब समझा जाता है कि कुछ ऐसी जगह हैं जो खाली पड़ी हुई हैं तो उनके बारे में भी कोई योजना बना दें और उसी योजना के अनुसार आयोजित ढंग से भविष्य में मकान बन सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि यह जो विधेयक मैंने प्रस्तुत किया है यह सदन इस पर विचार करे ।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) विधेयक, १९५७ को जनमत संग्रह हेतु ६० दिन तक घुमाया जाय, यह संशोधन पेश करता हूं।

श्रीमन्, शहरों में अभी जमींदारी नहीं टूटी है, केवल देहातों की जमींदारी टूटी है और इसके उद्देश्य और कारण में लिखा गया है कि गाजियाबाद और दिल्ली के बीच बेतरतीब जो मकान बनते जा रहे हैं उससे सफाई और स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिये यह जरूरी है कि एक ऐसा कानून बनाया जाय जो सारे प्रदेश में लागू हो। श्रीमन्, यह तो एक ऐसा अधिकार है जो कि देहात और शहरों दोनों के लिये समान रूप से लिया जा रहा है। लेकिन भूमि के सम्बन्ध में देहात और शहर में अलग-अलग अधिकार हैं। देहात की व्यवस्था दूसरी है और शहर की दूसरी है। जमींदारी एबालिशन के बाद देहात में अपनी जमीन पर मकान बनाने का सब को अधिकार है। शहर में जहां कहीं उनकी जमीनें हैं, या खरीदते हैं तो मकान बनाते हैं। तो यह जो अधिकार लिया जा रहा है सारे सूबे में इसका प्रभाव होगा। यह एक तरह का बड़ा कुठाराघात है आम जनता के अधिकारों पर।

श्रीमन्, अगर आप क्लाजवाइज देखें तो इसमें केवल यह नहीं है कि वह कोई डायरेक्शन हो बल्कि यह है कि बिना उनकी आज्ञा के कोई मकान नहीं बना सकता। अगर बनाते हैं तो नोटिस निकालने के बाद गिराना होगा। अगर न गिरायें तो फिर सरकार गिरा सकती है और गिराने का उसको खर्चा भी देना पड़ेगा। इस प्रकार उस पर एक ऐसा प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है जब कि म्युनिसिपैलिटीज, टाउन एरियाज, नोटिफाइड एरियाज के जो संगठन बने हुए हैं उन्हीं के अधिकारों में वृद्धि करके उन्हीं के नियंत्रण में दे दें तो उपयुक्त होगा बजाय इसके कि अलग से एक अधिकारी नियुक्त करें और उसको सर्वेसर्वा अधिकार दे दें। वह मनमाना जो करना चाहे करे। मैंने माना कि बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ भवनों का बढ़ना जरूरी है। लेकिन जब आप एक तरफ उनको अधिकार देते हैं कि वह अपनी जमीन पर मकान बना सकें और जिस तरह जैसा चाहे बना सकें तो फिर कानून से उनके अधिकारों को छीनना उचित नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है कि इस कानून को सारे प्रदेश में लागू करें। आप स्थानिक संस्थाओं के अधिकारों को बढ़ा दीजिये। म्युनिसिपैलिटीज को अधिकार है ही कि मकानों की उचित व्यवस्था रखें, सफाई रखें, उनका इंतजाम करें। उनके अधिकारों में इतनी वृद्धि कर दीजिये, लेकिन व्यापक रूप से अधिकार लेना जिससे देहाती क्षेत्र में भी यह लागू हो जाय यह उचित नहीं है। अगर सरकार इस प्रकार का अधिकार लेना चाहती है तो यह भी जरूरी है कि जो मकान न बनवा सकते हों उनकी मदद करे, सहयोग करे। आप अपनी तरफ से मकान बनवा दें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सड़कें बनवा दें, सफाई और पानी का इंतजाम कर दें ताकि उसको कोई कठिनाई न हो जिससे वह कानून का उल्लंघन न कर सकें और जैसा चाहते हैं वैसा नगरों का निर्माण हो सके, उनका विकास कर सकें।

इसके अलावा एक धारा का जिक्र कर दूं। इसमें नियंत्रण का भी अधिकार अधिकारी को दिया गया है। नियंत्रण के अलावा जहां अधिकारी की व्यवस्था है उससे मालूम होता है कि इस सरकार की मनोवृत्ति इस तरह से होती जाती है कि ब्यूरोक्रैटिक गवर्नमेंट की स्थापना करती जा रही है और जो जनतांत्रिक संगठन है और जो जनता के प्रतिनिधि हैं उन पर से इस सरकार का विश्वास उठता जा रहा है। और एक न एक कोई कारण रहता है, जिस क्षेत्र को भी देखिये इस सरकार का रवैया क्या है यह समझ में नहीं आता। यह सरकार क्या सोचती है, किस ढंग से सोचती है, किस प्रकार यह समाज को बनाना चाहती है यह बात मालूम नहीं होती। आखिर जब जनतान्त्रिक प्रणाली पर हम चल रहे हैं तो जनता का यह हक है कि प्रत्येक आदमी अपना फैसला करे और अपने प्रकार से वह अपने कार्य का संचालन करे। यह सरकार धीरे-धीरे नौकरशाही की स्थापना हर क्षेत्र में करना चाहती है।

इसमें ही नहीं बल्कि हर कानून में यह लिख दिया गया है कि इसके खिलाफ चैलेन्ज करने का किसी को अधिकार नहीं होगा। जब हर आदमी को लड़ने का, एप्लीकेशन करने का, एतराज करने का और अपील करने का राइट है तो हर जगह इस अधिकार को उनसे छीनना कहां तक उचित है? इस ११ साल के अनुभव के बाद यह सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि अगर जनता के इस अधिकार को कम नहीं किया गया तो इस सरकार के लिये खतरा है। सरकार इस तरह के अधिकार को अपने हाथ में लेकर जो जनता के ऊपर दबाव डाल रही है उससे जनता की जनतान्त्रिक प्रणाली के प्रति आस्था भी उठ जायगी और अब भी जनता की भावना इस जनतांत्रिक प्रणाली के खिलाफ होती जाती है। इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होगी।

अगर इस प्रकार का विधेयक सरकार बनाना चाहती है तो उसको दायरे के अन्दर ही बनाना चाहिये। शहरों के अन्दर विनियमन है लेकिन शहर के बाहर भी अगर आप विनियमन करना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बेमतलब अड़ंगा उपस्थित करना चाहते हैं। आपको सड़कों के बनाने का अधिकार है, लेकिन आप देहात में जाइये आज वहां पर आने-जाने का मार्ग भी नहीं है। एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिये कितनी कठिनाई पड़ती है। उसके लिये जमीन निकालकर रास्ता बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देती। ध्यान दिया जा रहा है बड़े-बड़े शहरों की तरफ।

इसी तरह से इस विधेयक में उद्योग की भी चर्चा है। इसका क्या मतलब है। इसका मतलब साफ है और वह यह है कि यह सरकार मकानों का विनियमन नहीं करना चाहती है और न शहरों में मकानों का विनियमन करना चाहती है बल्कि यह चाहती है कि जो बड़े-बड़े उद्योग-पति हैं उनके लिये जमीन निकाली जाय और आसानी से यातायात की सुविधा देकर सभी स्थानों पर उनका कारखाना स्थापित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—आप अभी और समय लेंगे?

श्री ब्रजनारायण तिवारी—जी हां।

श्री अध्यक्ष—अच्छा तो फिर कल बोलियेगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
६ अगस्त, १९५८।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०० पर)

विभिन्न जिलों में ग्राम सभाओं की संख्या जो मालगुजारी वसूली का कार्य कर रही हैं

जिला	ग्राम सभाओं की संख्या
बुलन्दशहर	१
अलीगढ़	२
मथुरा	८
आगरा	५
मुरादाबाद	५
पीलीभीत	२
फर्रुखाबाद	२
इटावा	१९
कानपुर	२
इलाहाबाद	२
हमीरपुर	१
सीतापुर	१
खीरी	१
गोंडा	६
कुल योग ..	५७

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०१ पर)

वृद्धावस्था पेंशन के लिये गोरखपुर जिले में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का ब्योरा

जिला	तहसील	जिलाधीश के जिला यहां प्राप्त प्रार्थना-पत्र	जिलाधीश द्वारा अस्वीकृत प्रार्थना-पत्र	जिलाधीश के सिफारिश के साथ श्रम कार्यालय में प्राप्त प्रार्थना-पत्र	श्रम कार्यालय में स्वीकृत प्रार्थना-पत्र	श्रम कार्यालय में अस्वीकृत प्रार्थना-पत्र	संशोधन हेतु जिलाधीश के पास वापिस
गोरखपुर	बांसगांव	११	७	४	३	..	१
	गोरखपुर	१४	८	६	५	..	१
	महाराजगंज	१५	१०	५	४	१	..
	फरेंदा	१२	१०	२	२	..	..
	योग	५२	३५	१७	१४	१	२

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११० पर)

१--राज्य गृह

(१) अशोधक संस्थाओं (अनाथालयों इत्यादि) से उन्मुक्त पुरुषों के लिये उत्तर रक्षा गृह, इलाहाबाद ।

(२) शोधक संस्थाओं (शेष, रिफार्मेटरी इत्यादि) से उन्मुक्त पुरुषों के लिये उत्तर रक्षा गृह, कानपुर ।

(३) अशोधक संस्थाओं से उन्मुक्त महिलाओं के लिये उत्तर रक्षा गृह, मेरठ ।

(४) शोधक संस्थाओं से उन्मुक्त महिलाओं के लिये उत्तर रक्षा गृह, लखनऊ । तथा

(५) उद्धरित महिलाओं के लिये गृह, देहरादून ।

२--जिला शरणालय

(क) पुरुषों के लिये--(१) लखनऊ, (२) बदायूं, (३) एटा, (४) फर्रुखाबाद, (५) मेरठ, (६) मैनपुरी, (७) शाहजहांपुर, तथा (८) उन्नाव ।

(ख) महिलाओं के लिये--(१) अल्मोड़ा, (२) बरेली, (३) फैजाबाद, (४) गढ़वाल, (कोटद्वारा), (५) गाजीपुर, (६) गोरखपुर, (७) कानपुर, (८) नैनीताल (हलद्वानी), (९) सीतापुर, (१०) टेहरी-गढ़वाल (नरेन्द्रनगर) (११) वाराणसी तथा (१२) इलाहाबाद ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११५ पर)

सूची

हरदोई जिले के गांवों में चालू वर्ष (१९५८) में हुए अग्निकांड तथा उनमें क्रमशः हानि का विवरण (१-१-१९५८ से ३०-६-१९५८ तक)

क्रम-संख्या	गांव का नाम	क्रमशः हानि (रुपयों में)	क्रम- संख्या	गांव का नाम	क्रमशः हानि (रुपयों में)
	तहसील हरदोई—		३१	सखौरा	६,७४६
१	जिगंनिया खुर्द	३३४	३२	गोदाधर	६९७
२	औरिया फतेपुर	१,२३०	३३	कोटरा	३८,४११
३	भीखपुर	१,७२५	३४	मझौआ	६०
४	डाही	१,४३१.५०	३५	खजुराहरा	३६,३९५
५	बमौली	३,८५९.५०	३६	बहेटी	४१०
६	सुनअवा	२,८०७.७५		**तहसील शाहाबाद**	
७	हरीहरपुर	१,४४२	३७	भारखानी	६३२
८	लुनार	१,८७९	३८	फतेहपुर गंद	३,६७८
९	बेहटा मुरतिजा बक्स	१,०१९	३९	सिघांपुर	२,७००
१०	कौथलिया	१२७	४०	हाथीपुर	४८६
११	बहार	१,३१४	४१	नौरोजीपुर	७०५
१२	भदैल	९२०	४२	पीरहवन	९८,१५
१३	कथेथिया	३३४	४३	अतरजी	५९९
१४	शियुरी	१८१	४४	ढकिया	७,६४४
१५	पेंग	१०,८३०	४५	सहावर	९,३८५
१६	सुहेदी	३५,३१०	४६	करावान	१,२००
१७	लिलवल	९१९	४७	जलालपुर	१,४००
१८	कासमंडी	४१०	४८	अेनथाखेरा	४,२४७
१९	गजाधरपुर	२१०	४९	नगलापुत्तु	५,१००
२०	जिगिनिया कलां	३२०	५०	पोधना	१,२४४
२१	सथरा	३,७९०	५१	दरियाबाद	३,०००
२२	बरैला	१५०	५२	पिपरी	२,६००
२३	महोलिया शिवपुर	२,४९०	५३	हिरौली	२८,८५४
२४	टटयुरा	३,५००	५४	राजपुर लवेरा	९०
२५	नया गांव मुबारकपुर	२५३	५५	जियुरा	१,२९३
२६	करीमनगर सैदापुर	५४५	५६	बिरमपुर	४३१
२७	अलीनगर	१,५९०	५७	जातपुरा	१८,०५८
२८	भडेयुरा	३,२००.	५८	सैदापुरा	१,७७०
२९	बावन	१,९४८	५९	भूरा	१,११५
३०	गोविन्दपुर	२५	६०	थैत्तिया	१,०३५

क्रम-संख्या	गांव का नाम	क्रमशः हानि (रुपये में)	क्रम-संख्या	गांव का नाम	क्रमशः हानि (रुपये में)
६१	गौरा	१,८९१	१०२	टडांहार	५,३३०
६२	गोधेपुर	३४७	१०३	गौहानी	१,३५५
६३	मुन्डेर	४१०	१०४	कासिमपुर	८४०
६४	पलिया खास	६६५	१०५	मथेना	२३९
६५	उमरौली	५,५२३.५०	१०६	अशफतोला	४,६००
६६	पहरमहना	२३,०९५	१०७	सागर गरही	७९०
६७	मेंहदियारपुर	१२,७०५	१०८	गन्डवा पट्टी	१५०
६८	सोनीपुर	४,१३५	१०९	बहुटी	२,०००
६९	पहारपुर	४,५००	११०	बटापुर कलां	९०५
७०	रसूलापुर	२,३२२.८७		**तहसील बिलग्राम**	
	तहसील संडीला		१११	हैदराबाद	२,१५७
७१	कलमिनखेरा	२,१४३	११२	बेहटी चिरागपुर	९,५५५
७२	तिखा	७०१	११३	पुरौली	३९२
७३	बहादुरपुर	१,४२८	११४	रुदामऊ	१२२.२५
७४	ककराली	८७०	११५	पुरनमऊ	३२३
७५	पिलखानी	२०	११६	शाहपुर	१०,३४९.५०
७६	पकरा दीवान	३३४	११७	लालपुर मिर्जापुर	६८
७७	गरोडवा दीवान	३०५	११८	बखरिया	२००
७८	डेपारी	२४,९३८	११९	मेहदीपुर	२४७
७९	लुनहरा	१००	१२०	कटरई महादेव	६,०००
८०	महुआ दंदा	३,३९२	१२१	मालकठ	४३९
८१	शिवनगरा	१,८४२	१२२	परसापुर	४२,०२३
८२	इकरी	१७०	१२३	सुलहरी	११४
८३	औरामऊ	३२५	१२४	चौनसर	१,८००
८४	गहरा	९७	१२५	बिरया निजामपुर	२४९
८५	तिखा पिहलवान	३४७	१२६	सहीजाना	७२.६९
८६	सखा	२२५	१२७	हतौरा	३,२०९
८७	महगावन	७००	१२८	माझगांव	८७६
८८	हाफिज खेरा	३,०९६	१२९	सदुल्लापुर	९०
८९	तुरना रोड़	८०,०००	१३०	महमूदनगर	३,१३३
९०	पटसेनी	१,३६०	१३१	माझगांव	९८५
९१	बघौरा	६०५	१३२	लारपुर	११,७६१
९२	सिधवल मलिहाबाद	५००	१३३	माधोगंज	२,६४०
९३	कुर्सी	२३७	१३४	वीरीजोर	५००
९४	चपरतला	४९,६८०	१३५	कटरई चोचपुर	५,३३१
९५	सडादखिलवल	१,३००	१३६	अटरच्छा	३९३
९६	गौसगंज	४००	१३७	चरोहरिया	१,२५५
९७	खिवापुर	३५,०८६	१३८	शाहपुर	११०
९८	पावायान	१,९२०	१३९	जजवामऊ	५११
९९	बानी	१,३००	१४०	सुमेरगंज	९२०
१००	औरहा झार	५५,०००	१४१	बेधरई	११७
१०१	भारावान	१,५००	१४२	लच्छीपुर	५१३

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—११३ एल० ए०—१९५८—८३७ ।